लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 38, बुधवार, 14 अप्रैल, 1965/24 चैत्र, १८८७ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
855	शिक्षकों के प्रशिक्षण कालिज	3569--72
856	"शमा" पत्रिका में प्रकाशित कविता	3573-74
857	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3574--78
858	ग्रामीण संस्थायें	3578--82
859	मुदालियर समिति का प्रतिवेदन	3582--84
863	अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी	3584--87

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या		
860	दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी	3587
861	वैज्ञानिक कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवा	3587-88
862	उड़ीसा जांच सम्बन्धी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट	3588
864	गुमनाम पत्र	3588
865	बम्बई के निकट पेट्रो-रसायन संगम	3588-89
866	एशियाई संगीत समारोह	3589
867	भारत-रूस सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम	3589
868	उर्वरक	3589-90
869	उर्वरक उत्पादन के लिये नेपथ	3590
870	बंगाल की खाड़ी में तेल	3590
872	पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का आना	3590-91
873	दिल्ली में अपराध	3591
874	वर्दियों के लिये धुलाई भत्ता	3591-92
875	परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी	3592
876	विहटा हवाई अड्डा पर चीनी नागरिकों का रोका जाना	3592-93

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 38—Wednesday, April 14, 1965 / Chaitra 24, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Q. Nos.	*Subject*	PAGES
855	Teachers' Training Colleges	3569—72
856	Poem Published in 'Shama' Magazine	3573-74
857	Central Universities	3574—78
858	Rural Institutes	3578—82
859	Mudaliar Committee Report	3582—84
863	Pakistani Infiltrants.	3584—87

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Q. Nos.		
860	Theft of Cars and Scooters in Delhi	3587
861	All India Service of Scieneific Personnel	3587-88
862	C.B.I. Report on Orissa Enquiry	3588
864	Anonymous Letters	3588
865	Petro-Chemical complex near Bombay.	3588-89
866	Asian Music Festival	3589
867	Indo-Soviet Cultural Exchange Programme	3589
868	Fertilizers	3589-90
869	Neptha for Fertilizer Production	3590
870	Oil in Bay of Bengal	3590
872	Migration from East Pakistan	3590-91
873	Crimes in Delhi	3591
874	Washing Allowance for Uniforms	3591-92
875	Failures in Examinations	3592
876	Stopping of Chinese Nationals at Bihata Aerodrome	3592-93

*The sign + marked above the name of a member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2214	विश्वविद्यालयों में उपयोग-प्रमाण पत्र	3593
2215	विश्व भारती	3593–94
2216	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपकरण	3594
2217	उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा	3594–95
2218	उड़ीसा में प्रारम्भिक स्कूलों की इमारतें	3595
2219	पैरोल के लिये नज़रबन्द व्यक्ति की प्रार्थना	3595
2220	विशेष सब-जेल, विय्यूर, केरल	3596
2221	उत्तर प्रदेश में विज्ञान मन्दिर	3596
2222	दण्डकारण्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3597
2223	पर्यटन विभाग	3597–98
2224	विदेशों में पढ़ रहे छात्र	3598
2225	टंकण यंत्रों (टाइपराइटर) के कुंजी पटल (की बोर्ड)	3598–99
2226	श्री मैथिलीशरण गुप्त का स्मारक	3599
2228	दिल्ली में बोगस शिक्षा संस्थायें	3599–3600
2229	गंगा घाटी में खोज-कार्य	3600
2230	पुरातत्वीय खुदाई	3600
2231	केरल और कलकत्ता में तेल निक्षेप	3601
2232	प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता	3601
2233	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी	3601–02
2234	उत्कल विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक अनुदान	3602
2235	उड़ीसा में तेल	3602
2236	उड़ीसा में इंजीनियरी कालिज	3602–03
2237	भारत सेवक समाज को अनुदान	3604
2238	उड़ीसा में स्कूल छात्रावास	3604
2239	जामा मस्जिद तथा लाल किला	3604
2240	पुरातत्वीय खुदाई	3605
2241	अन्दमान द्वीप समूह में असैनिक जेल	3605
2242	भुज में पुरातत्वीय खोज	3606
2243	उड़ीसा सरकार के अधिकारी	3606
2244	एशियाई देशों के तट के पास तेल	3606–07
2245	छात्र गृह	3607–08
2246	दिल्ली पालिटेकनिक	3608
2247	माडर्न प्रिपेरेटरी स्कूल, पोर्ट ब्लेयर	3608
2248	पर्यटक विभाग के भूतपूर्व अधिकारी पर आरोप	3609
2249	हांगकांग में एशियाई महिला हाकी टूर्नामेंट	3609–10
2250	भ्रष्टाचार की शिकायतें	3610
2252	वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी आयोग	3610
2253	मानक ग्रन्थों के प्रतिलिप्य अधिकार	3611

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2214	Utilisation Certificates from Universities	3593
2215	Viswa Bharati	3593–94
2216	Equipments in National Laboratories	3594
2217	Girls' Education in Orissa	3594–95
2218	Elementary Schools Buildings in Orissa.	3595
2219	Detenu's request for Parole	3595
2220	Special Sub-Jail, Viyyoor Kerala	3596
2221	Vigyan Mandirs in Uttar Pradesh.	3596
2222	Vocational Training in Dandakaraniya	3597
2223	Department of Tourism	3597–98
2224	Students Studying Abroad	3598
2225	Key Boards of Typewriters	3598–99
2226	Memorial to Shri Maithilisharan Gupta	3599
2228	Bogus Educational Institutes in Delhi	3599—3600
2229	Exploration in Ganga Valley.	3600
2230	Archaeological Excavation	3600
2231	Oil Reserves in Kerala and Calcutta.	3601
2232	Requirments of Trained Personnel.	3601
2233	Hindi in Non-Hindi Speaking States	3601–02
2234	Cultural Grants to Utkal University	3602
2235	Oil in Orissa	3602
2236	Engineering Colleges in Orissa	3602–03
2237	Grants to Bharat Sewak Samaj.	3604
2238	School Hostels in Orissa..	3604
2239	Jama Masjid and Red Ford	3604
2240	Archaeological Excavations.	3605
2241	Civil Jail in Andaman Islands	3605
2242	Archaeological Find in Bhuj	3606
2243	Orissa Govt. Officers	3606
2244	Oil in Asia's Offshore Waters	3606–07
2245	Students Homes	3607–08
2246	Delhi Polytechnic.	3608
2247	Modern Preparatory School, Port Blair	3608
2248	Allegations against former officer of Tourist Department.	3609
2249	Asian Women's Hockey tournament at Hong Kong	3609–10
2250	Complaints against corruption	3610
2252	Commission for Scientific and Technical Terminology	3610
2253	Copy-right of Standard Books	3611

अतारांकित

प्रश्न संख्या	**विषय**	**पृष्ठ**
2254	कावेरी डेल्टा में छिद्रण कार्य .	**3611**
2255	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी . .	**3611–12**
2256	उर्दू के शायर मीर और गालिब के बारे में अनुसन्धान कार्य	**3612**
2257	"इकाफे" सर्वेक्षण .	**3612**
2258	भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक भुगतान	**3612–13**
2259	केरल में नये जूनियर कालिज	**3613**
2260	मध्य प्रदेश में आडिटोरियम .	**3613**
2261	मद्रास में वरयूर में पुरातत्वीय खोज	**3614**
2262	भूगोल की शिक्षा .	**3614**
2263	कम मूल्य वाली पुस्तकें	**3614–15**
2264	केरल के सरकारी अधिकारियों का आचरण	**3615**
2265	दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक	**3615–16**
2266	शिक्षा आयोग .	**3616**
2267	कछार में भूमि को कृषि योग्य बनाना	**3616**
2268	भद्रावती शिविर में चेचक का प्रकोप	**3616–17**

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . 3617--20

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में दक्षिण अफ्रीका के डाक्टर का आगमन **3617--20**

श्री राम सेवक यादव . **3617**

डा० सुशीला नायर **3617--20**

सभा पटल पर रखे गये पत्र 3620–21

विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में 3620–21

प्राक्कलन समिति . . 3622

उनहत्तरवां प्रतिवेदन 3622

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति 3622

चौथा प्रतिवेदन **3622**

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक--पुरःस्थापित 3622

जानकारी प्राप्त करने के बारे में . 3622–23

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
2254	Drilling in Cauvery Delta	3611
2255	I.A.S. Officers	3611–12
2256	Researches on Urdu Poets Meer and Ghalib	3612
2257	ECAFE SURVEY	3612
2258	Overpayment by I.O.C.	3612–13
2259	New Junior Colleges in Kerala	3613
2260	Auditoria in Madhya Pradesh	3613
2261	Archaeological finds at Woriyur, Madras	3614
2262	Teaching of Geography	3614
2263	Low Priced Books .	3614–15
2264	Conduct of Kerala Government Officers	3615
2265	Teachers of Delhi Aided Schools	3615–16
2266	Education Commission	3616
2267	Land Reclamation in Cachar	3616
2268	Small pox Epidemic in Bhadravati Camp.	3616–17
	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . .	3617—20
	Visit of South African doctor to All India Institute of Medical Sciences	3617—20
	Shri Ram Sewak Yadav	3617
	Dr. Sushila Nayar .	3617—20
	Papers Laid on the Table	3620–21
	Re. Point of Privilege	3620–21
	Estimates Committee— .	3622
	Sixty-Ninth Report	3622
	Committee on Public Undertakings—	3622
	Fourth Report . . .	3622
	High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill— . Introduced	3622
	Re. Point of Information	3622–23

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	3623—57
श्रम और रोजगार मंत्रालय	3623—49
श्री काशीनाथ पांडे .	3623–24
श्री प्रिय गुप्त	3624–25
डा० मेलकोटे .	3625—27
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	3627–28
श्री बड़े .	3628
श्री अ० ना० विद्यालंकार	3629–30
श्री दीनेन भट्टाचार्य	3630–31
श्री सिंहासन सिंह	3631–32
श्री ओझा	3632–33
श्री स० मो० बनर्जी	3634–35
श्री बासप्पा	3635—37
श्री शिवमूर्ति स्वामी	3637–38
श्री व० ब० गांधी .	3639
श्रीमती सहोदरा बाई राय	3639–40
श्री बाल्मीकी	3640–41
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	3641–42
श्री संजीवय्या .	3642—49
परिवहन मंत्रालय . .	3651—57
श्री मी० रु० मसानी .	3651—57
श्री स० चं० सामन्त . .	3627
भारतीय वायु-सेना के एक डकोटा विमान की दुर्घटना . . .	3650–51
डा० द० स० राजू .	3650

Subject	PAGES
Demands for Grants— . . .	. 3623—57
Ministry of Labour and Employment .	. 3623—49
Shri K. N. Pande	. 3623–24
Shri Priya Gupta . .	. 3624–25
Dr. Melkote . . .	. 3625—27
Shrimati Ram Dulari Sinha	3627–28
Shri Bade	3628
Shri A. N. Vidyalankar . .	. 3629–30
Shri Dinen Bhattacharya .	. 3630–31
Shri Sinhasan Singh .	. 3631–32
Shri Oza . . .	. 3632–33
Shri S. M .Banerjee. . . .	. 3634–35
Shri Basappa	. 3635—37
Shri Sivamurthi Swamy . . .	. 3637–38
Shri V. B. Gandhi	3639
Shrimati Sahodra Bai Rai . . .	. 3639–40
Shri Balmiki	. 3640–41
Shrimati Lakshmikanthamma . . .	. 3641–42
Shri D. Sanjivayya	. 3642—49
Ministry of Transport	. 3651—57
Shri M. R. Masani	. 3651—57
Shri S. C. Samanta	3651
Statement re. Accident to IAF Dakota	. 3650–51
Dr. D. S. Raju.	3650

687 (Ai) LS—2.

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 14 अप्रैल, 1965/24 चैत्र, 1887 (शक)

Wednesday, April 14, 1965/Chaitra 24, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTION

Teachers Training Colleges

*855. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the progress made in opening Teachers' Training Colleges in non-Hindi speaking States for the propagation of Hindi;

(b) the extent to which non-Hindi speaking States have implemented the Hindi propagation scheme of the Central Government;

(c) whether some special programmes have been chalked out this year for Hindi; and

(d) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) to (d). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Hindi Teachers' Training Colleges have been opened in the States of: Andhra Pradesh (2 colleges), Gujarat (1 college), Kerala (1 college), Madras (1 college), Maharashtra (10 short term training centres), Mysore (3 colleges)

and West Bengal (1 college). One such college in Orissa is likely to be opened during the current year. Negotiations with the Governments of Assam and Jammu and Kashmir in this behalf are going on.

(b) The work of training of Hindi teachers in the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore and West Bengal and of appointment of Hindi teachers in the States of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Kerala, Madras, Mysore, Orissa and West Bengal has been carried on quite satisfactorily. A grant of Rs. 1,90,87,954.00 was given to these States for the appointment of Hindi teachers during 1964-65 which covers expenditure incurred during previous years also.

Besides the above grants totalling Rs. 8·27 lakhs were given during 1964-65 to voluntary organisations working in non-Hindi speaking States for the propagation of Hindi. The decision to increase the quantum of assistance from 60% to 75% to the voluntary organisations for the propagation of Hindi was taken during the last financial year to be effective from the current financial year.

(c) and (d) At present the chief items of this programme are: (i) Training of Hindi Teachers;(ii) Appointment of Hindi Teachers; (iii) Free supply of Hindi books; and (iv) Grants to Voluntary Hindi Organisations working with zeal and devotion for the propagation of Hindi in non-Hindi speaking areas. It is proposed to pursue these programmes still more vigorously.

Shri Prakashvir Shastri: By seeing the statement it seems that State Governments and the people of states were of the opinion and submitted to Central Government that the number of Hindi Training Colleges in these states are not adequate and their number should be increased. May I know what action is being taken for the propagation of Hindi?

Shri Bhakat Darshan: We in Central Government are giving them cent percent help. The schemes which we receive from State Government are being sanctioned immediately. For example there was only one college in Mysore but now there are three. In this way we will accept the schemes as soon as we receive them. At present there is no proposal under consideration.

Shri Prakashvir Shastri : In view of the fact that while some states welcome your schemes, some states do not like them and do not try to implement them. May I know whether Central Government propose to take the implementation of these schemes in those states where they are not being implemented properly in their own hand, to take them on the level of other states?

Shri Bhakat Darshan. We always try to do that. We make personal request also. I hope that we will be successful in our efforts?

Shri Jagdeo Singh Siddhanti : If efforts would have been taken then we would not have witnessed those schemes in Madras. May I know whether Central Govenment himself encourage those states for the propagation of Hindi? Whether Central Government is ready to give help?

Shri Bhakt Darshan: Hon. Member will agree that language problem is under consideration. We all hope that this, question will be settled soon and immediately.

डा० सरोजिनी महिषी: अहिन्दी क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल के स्तर तक हिन्दी लागू करने के विशेष कार्यक्रम को लागू किया गया था। तदनुसार अध्यापकों को नियुक्त किया गया था। अध्यापकों की

संख्या भी प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को धन देने में बड़ा समय लगा है तथा इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम को पूरे उत्साह से लागू नहीं किया गया है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं मानता हूं कि पहले के वर्षों में कुछ विलम्ब हुआ है। परन्तु इस वर्ष जैसा कि विवरण म बताया गया है हम सभी बकाया राशि साफ कर पाये हैं। इन बकाया धनराशियों के भुगतान के कारण यह राशि 1,90,87,954 रुपये हो गयी है।

श्री वारियर : क्या केन्द्रीय सरकार ने अध्यापकों को हिन्दी पढ़ाने के लिए दक्षिण राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन दिया है तथा क्या उनको अंग्रेजी के अध्यापकों के अनरूप ही रखा गया है ?

श्री भक्त दर्शन : माननीय सदस्य का प्रश्न दो भागों में है। पहला प्रश्न दक्षिण राज्यों में प्रोत्साहन देने के बारे में हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी ओर से कोई ढील नहीं बरती गयी है और दक्षिण राज्यों से कोई सुझाव मिलने पर उस पर सहानभूति तथा शीघ्रता से विचार किया जायेगा। वेतन में उन्तर के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं तथा हमने हिन्दी अध्यापकों के वतन बढ़ाने के लिए उनको लिखा है।

Shri Bade: Last year how much money was given to southern states. May I know whether it is a fact that southern states have demanded money for Hindi Text Books. Whether you have received such complaint?

Shri Bhakt Darshan: In regard to complaint about text books, I have no information.

As far as the question of giving help to southern states is concerned, the amount of help itself shows that we have given enough money. For example we have given Rs. 64 lakhs, 64 thousands and 740 to madras for the appointment of Hindi teachers. Kerala got Rs. 54 lakhs 38 thousands and 159. Mostly we have given money to southern states.

Shri Bade: How much Maharashtra got?

Shri Bhakt Darshan: Maharashtra has not demanded anything for Hindi teachers. They have said that they themselve spent whatever is necessary.

श्री कन्डप्पन : क्या सरकार को जानकारी है कि तमिलनाड, एक अहिन्दी क्षेत्र में अध्यापकों को हिन्दी पढ़ाने का कालिज बनाने के लिए इतना धन क्यों व्यय किया जा रहा है जबकि वहां पर अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त कालिज नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक दम अलग चीज है।

Shri M. L. Dwivedi: How far this fact is correct that the Hindi teachers training colleges, which Government open in the states are placed under English teachers training colleges and pay scales are not same as are given to English teachers. May I know what action is being taken to have uniform pay scale?

Shri Bhakt Darshan: This is true that we have also received some information in this regard. We have also appointed a committee and hon. member was also its member. After their report we will consider to make uniform scales.

Shri Vishwa Nath Pandey : Hindi teachers training colleges are being opened in the non-Hindi speaking state. May I know the number of teachers trained in these colleges?

Shri Bhakt Darshan: I want notice.

Shri Ram Sewak Yadav : In the statement it has been given that one or two training colleges are being opened for non-Hindi speaking states. In the constitution it has been provided that the Hindi will be official language. May I know wherher Education Ministry is satisfied that these one or two colleges will be sufficient and if nor, whether it is going to do something for the propagation of Hindi?

Shri Bhakt Darshan: In the statement this is clearly given that the working of the scheme implemented under this ministry is going to be expedited.

Shri Yudhvir Singh: It is being complained since last fifteen years that Government is not doing anything in this regard. May I know what special steps are being taken for the propagation of Hindi?

Shri Bhakat Darshan : Education Ministry is going on with the programme and we have decided not to implement is more quickly.

श्री श्यामलाल सर्राफ : इन कालिजों में किन विषयों की शिक्षा दी जायेगी। क्या साहित्य तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों को भी इसमें रखने का विचार है ?

श्री भक्त दर्शन : मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

Shri Braj Bihari Mehrotra : May I know whether Dakhshin Bharat Hindi **Prachar** Sabha in also helping?

Shri Bhakt Darshan: They are helping us in all respects. The teachers training college in Madras is running with their help.

श्री पु० र० पटेल : अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षण कालिजों में जो हिन्दी पढ़ाई जा रही है वह संस्कृत वाली हिन्दी है अथवा उर्दू वाली हिन्दी है ?

श्री भक्त दर्शन : मैं इस बारे में माननीय सदस्यों के मनों में जो दुविधा है उसको दूर कर देना चाहता हूं। यह शुद्ध तथा सरल हिन्दी होगी। गुजरात में भी एक प्रशिक्षण कालिज है जिसको गुजरात विद्यापीठ चला रही है ।

Shri Rameshwaranand: May I know whether those students who want to get admission in these college are being hated?

Shri Bhakt Darshan: No Sir, this is not correct. These all are very enthusiastic.

Shri U. M. Trivedi: Tust ask D.M.K.

'शमा' पत्रिका में प्रकाशित कविता

\+

*856. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'शमा' पत्रिका के अगस्त, 1964 के अंक 'लखते जिगर' शीर्षक से प्रकाशित एक कविता ईसाइयों की भावनाओं के प्रतिकूल थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ी संख्या में दिल्ली के ईसाइयों ने इस कविता तथा कवि के विरुद्ध प्रधान मंत्री तथा मुख्य आयुक्त के निवास-स्थानों पर प्रदर्शन किये थे ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कवि तथा पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने 26-8-64 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 99-क के अधीन अगस्त 1964 की "शमा", जिसमें वह कविता छपी थी, की सभी प्रतियां जब्त करने के आदेश जारी किये । इस मासिक पत्रिका के सम्पादक ने क्षमायाचना भी प्रकाशित की ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know whether editor of this magazine has published this apology for Christians or for the readers of the magazine.?

Shri Hathi: They have apologised two times and those persons who have complained are satisfied.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Government have taken strong steps and issued orders to ban this magazine. But this magazine was not banned in which it has been alleged that Jesus Christ was illegitimate son. The Christians felt agitated due to this.

Shri Hathi: Those persons who were agitated belonged to Christian Association. They have reached at an agreement. Afterwards they have apologised and they were satisfied.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether it is a fact that this magazine was published when propaganda was being made against the Christians.

Shri Hathi: No Sir.

Shri U. M. Trivedi: When such type of things are published in the newspapers then Government take action after their attention is drawn towards that. May I know whether there is any machinery by which they themselves can know all these things.

श्री हाथी : मैं बताना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय का विचार उस कविता के बारे में यह था कि मानवता यदि आदमी में हो तो वह पितृहीन होते हुए भी भगवान का पद पा सकता है। ईसाइयों ने इस

पर यह आपत्ति की थी कि ईसा मसीह को पितृहीन तथा माता द्वारा त्यक्त कहना उनके भगवान की बेइज्जती करना है। सम्पादक का मत था कि उसने मानवता की प्रशंसा की है। परन्तु अन्त में उसने क्षमा याचना कर ली थी।

Shri Yashpal Singh: When Christians themselves accept that Jesus Christ was God's son and nobody knew who was his father, I do not understand what was wrong in that magazine?

Mr. Speaker: We should not go in all this.

Shri Hathi: When they have pardoned them this is all useless.

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि में बड़े विज्ञापन आदि देकर उन को सहायता देती है। क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री हाथी : विज्ञापन आदि देने की बात सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता।

Central Universities

\+

*857. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the proportion in which the expenditure incurred on running the Central Universities is shared by the Central Government and the Universities concerned ;

(b) the administrative and supervisory control excercised by Government on the working of these universities and the agency through which this is done ; and

(c) whether any programme has been formulated by Government towards the evolution of a model curriculum for education.

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The expenditure incurred on the maintenance of the Central Universities is met by the Central Government through the University Grants Commission on the basis of "cover the deficit" ; and on their development on cent per cent basis.

(b) The Central Government does not exercise any administrative and supervisory control over the universities which are run in accordance with their Acts of incorporation.

(c) Universities, including the Central Universities, are autonomous organisations and are competent to evolve and adopt curricula or sylabii for different courses of study.

Shri M. L. Dwivedi. Our Government is a secular. May I know whether it is in its policy to keep names Hindu University and Muslims University. If not, whether Government propose to take action to change their names?

श्री मु० क० चागला : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम प्रवर समिति के सामने है। मैंने प्रवर समिति को बताया है कि यदि बहुमत हिन्दू शब्द के विरोध में है तो इसको हटाया जा सकता है और मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। मैं तुरन्त ही एक विधेयक पेश कर दूंगा कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से मुस्लिम शब्द हटा दिया जाये। मैंने प्रवर समिति पर छोड़ दिया है। भावनायें दोनों ओर हैं। परन्तु मैं प्रवर समिति में बहुमत का निर्णय मानूंगा

यदि संसद् बनारस विश्वविद्यालय के आगे से हिन्दू शब्द निकाल देगी तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन पेश कर दूंगा ।

Shri M. L. Dwivedi: It has been decided in the Constituent Assembly unanimously that the official language of the country in Devnagari Script will be Hindi. May I know whether any University can teach Hindi through Roman. In Aligarh University this is prevalent. May I know whether any concurrence of the Government has been taken?

Mr. Speaker: Constitutional question can not be asked here. You can only ask that whether Hindi is being taught through Roman.

श्री मु० क० चागला : अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दक्षिण भारत के कुछ विद्यार्थी हिन्दी पढ़ना चाहते थे उस समय के उपकुलपति ने यह ठीक समझा कि वह रोमन लिपि में आसानी से हिन्दी पढ़ सकेंगे । यह सच है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हिन्दी देवनागरी लिपि में ही पढ़ाई जाये परन्तु यदि दक्षिण भारत वासियों को रोमन लिपि के द्वारा हम हिन्दी पढ़ा सकते हैं तो यह अच्छी ही बात है और हमें इस बारे में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का समर्थन करना चाहिए ।

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, I rise on a point of order. In constitution it is clearly given that Hindi will be in Devnagari Script. May I know whether any University can take advantage of its autonomy and flout the articles of constitution.

Mr. Speaker: Yes, I want to reply. Is it compulsory for the students there to study Hindi.

Shri Prakash Vir Shastri: No Sir.

Mr. Speaker : If the study of Hindi is not compulsory, then the question doesn't arise. If the study of Hindi were compulsory then it would have been necessary that they should study Hindi in Devnagari Script. But if they want to study Hindi in place of some other subject, then the Hindi speaking people should welcome it, may be they are studying in some other script. There should not be any objection.

Shri Prakash Vir Shastri: The constitution has been framed by the Centre, the University is run by the Central Government and receives grants from the Centre; how far is it proper that the policy of the Central Government should not be followed in the Universities run by the Central Government?

Mr. Speaker: What I was stressing was that if the Central Government had ordered that Hindi was compulsory and should be taught in Devnagari script and if it had been taught in some other script, then the objection could have been raised. When the study of Hindi is not compulsory and some of the students want to learn Hindi, then how does it offend the Hindi-speaking people. They should be happy that Hindi is spreading.

Shri Ram Sewak Yadav: Perhaps this misunderstanding may be removed. Just now the hon. Minister informed the House that this arrangement has been made for the benefit of those South Indian Students who want to learn Hindi. I want to know whether Hindi is being taught only to those students or to other students from the non-Hindi speaking areas. If so, how is it being taught to them?

श्री मु० क० चागला : जब किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय हो तो यह देवनागरी लिपि में पढ़ाई जाती है । संविधान में यही व्यवस्था है और हमें संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिये । परन्तु, जैसाकि मैंने कहा था, यह एक विशेष मामला है क्योंकि जब कुछ दक्षिण भारतीय छात्र उपकुलपति के पास गये और कहा कि वे हिन्दी सीखना चाहते हैं और वे देवनागरी लिपि नहीं जानते, तो उन्होंने पूछा कि क्या उनको हिन्दी सीखने के लिये कुछ सुविधा दी जा सकती है ? क्योंकि उनको रोमन लिपि का ज्ञान था इसलिये वे हिन्दी इसी लिपि में सीखना चाहते थे । जैसा कि आपने कहा सभा इसका स्वागत करेगी ।

Shri Ram Sewak Yadav: My question has not been replied to.

Mr. Speaker: He has already replied that Hindi is taught in Devnagari script if it is compulsory.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि मुदालियर समिति ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कुछ सिफारिशें की थीं ; और क्या इन सिफारिशों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों म कार्यान्वित किया जायेगा कि नहीं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं कि मुदालियर समिति ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में कोई सिफारिश की है। मेरे विचार में यह माध्यमिक शिक्षा के बारे में थी ।

श्री स० चं० सामन्त : यदि इन विश्वविद्यालयों में कोई आन्तरिक गड़बड़ी हो तो सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है ?

श्री मु० क० चागला : बनारस विश्वविद्यालय के मामले में एक समिति नियुक्त की गई थी और इसी प्रकार अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मामले में भी नियुक्त की गयी थी । केन्द्रीय सरकार को जांच और पड़ताल के अधिकार हैं जो विसिटर शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से करता है ।

श्री हेम बरुआ : मैं अहिन्दी भाषी क्षेत्र से हूं । परन्तु जो कुछ आपने और माननीय मंत्री ने कहा है उसको मैं समझने में असमर्थ हूं । कुछ विद्यार्थी रोमन लिपि में हिन्दी सीखना चाहते हैं और विश्वविद्यालय ने उसके लिये व्यवस्था भी कर दी है । विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये वित्त का उपयोग कर रहा है । परन्तु संविधान के अनुसार हिन्दी केवल देवनागरी लिपि में ही पढ़ाई जायेगी . . . .

श्री दाजी : जी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : यह देवनागरी लिपि में पढ़ाई जानी चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्यों न अंग्रेजी को देवनागरी लिपि पढ़ाया जाए ?

श्री हेम बरुआ : जब केन्द्र इस विश्वविद्यालय को धन दे रहा है और विश्वविद्यालय इस धन से हिन्दी का अध्यापन कर रहा है तो क्यों नहीं वह हिन्दी को देवनागरी लिपि में पढ़ाता, और क्यों वह देश की इस स्थापित तरीके के विरुद्ध जाना चाहता है कि हिन्दी की शिक्षा देवनागरी लिपि में दी जाये ?

श्री दी० चं० शर्मा : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जब आपने किसी विषय पर अपना विनिर्णय दे दिया है और स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, तो क्या किसी सदस्य को उसी प्रश्न को दोबारा उठाने का अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ने स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया, परन्तु शायद मेरा स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं था, इसीलिए श्री हेम बरुआ दोबारा प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : यह हमारे लिये समझना कठिन है ।

श्री वी० चं० शर्मा : अब वह फिर बाधा डाल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मेरी बुद्धि, भाषा, क्षमता और मेरी कमियों से गुजारा करना पड़ेगा । परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्यों माननीय सदस्य हिन्दी को रोमन लिपि में शिक्षा देने पर आपत्ति कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे छात्र, जिनके लिये हिन्दी सीखना अनिवार्य नहीं है, परन्तु वे इसे सीखना चाहते हैं । जब कभी भी हिन्दी विषय के रूप में सिखाई जाती है तो यह देवनागरी लिपि में सिखाई जाती है । परन्तु यदि कुछ छात्र इसे सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं और ऐसी लिपि द्वारा सीखना चाहते हैं जिसे वे जानते हैं, तो क्या हिन्दी भाषी लोगों को इससे संतुष्ट होना चाहिये, या इससे प्रसन्न होना चाहिये अथवा इस पर आपत्ति करनी चाहिये ? मैं इसे समझने में असमर्थ हूं ।

Shri Raghunath Singh: Can an arrangement be made for us to study English in Devnagari script ?

Mr. Speaker: There should not be any hinderance of some body wants to learn it.

श्री दाजी : क्या यह कक्षाएं विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ली जाती हैं और इसके लिये निजि व्यवस्था है ?

श्री मु० क० चागला : यह बिलकुल ठीक है । विषय को स्पष्ट करने के लिये मैं आपका आभारी हूं ।

Shri Yashpal Singh: The hon. Minister told just now that if the majority of members are in its favour then the word "Hindu" can be removed from "Banaras Hindu University" and word 'Muslim' can be removed from "Aligarh University". But it is against secularism; religion is above majority. Will it not hurt the feelings of those who love the words "Hindu" or "Muslim"?

Mr. Speaker: He has said that it will be done when such demand is made.

Shri Yashpal Singh: He has said that majority can removed these names. Is it not against secularism ?

श्री मु० क० चागला : मेरे माननीय मित्र को पता होना चाहिये कि संसद् के बहुमत के सामने हमें झुकना पड़ेगा । हम संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं और जब बहुमत कोई इच्छा व्यक्त करता है तो हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा । जहां तक मैं धर्म निरपेक्षता को समझता हूं वह यह है कि किसी बात के साम्प्रदायिक पहलू पर बल नहीं देना चाहिये । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि आप नैतिक सिद्धान्त न सीखें अथवा धर्म का पालन न करें । परन्तु आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि आप किसी विशेष विश्वविद्यालय को हिन्दू अथवा मुस्लिम न कहें । परन्तु इस सभा के बहुमत के निर्णय का मैं पालन करूंगा ।

श्री शिंकरे : इस बात को देखते हुये कि बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति, शिक्षा-शास्त्रियों सहित, देश की भाषाओं के लिये, हिन्दी सहित, रोमन लिपि का समर्थन कर रहे हैं. और हिन्दी को रोमन लिपि म लिखने के प्रति सरकार के अनिश्चित रवैये को देखकर क्या यह समझा जाये कि हिन्दी के लिये देवनागरी के अतिरिक्त कोई और लिपि भी अपनाई जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : सरकार को संविधान के प्रति निष्ठावान रहना है । जब तक संविधान में यह लिखा है कि भारत की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी है, तब तक सरकार का कर्त्तव्य हिन्दी को देवनागरी लिपि में फैलाना है । परन्तु इस से लोगों को अन्य लिपियों में परीक्षण करने से नहीं रोका जा सकता । यह एक स्वाधीन देश है । परन्तु जहां तक सरकार की नीति का सम्बन्ध है यह संविधान के अनुसार होनी चाहिये ।

श्रीमती रेणुका राय : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया कि विश्वविद्यालयों को कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाती है । क्या उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की इस शर्त के बारे पता है कि उन कालेजों को जैसे लेडी अर्विन कालेज, जो प्रमुख समाज कल्याण संगठनों, जैसे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन निधि संस्था, द्वारा चलाये जा रहे हैं, अनुदान लेने के लिये अपनी प्रमुख संस्था से पृथक होना पड़ेगा ? यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बारे में पता नहीं । यदि माननीय सदस्या मुझे लिखें तो मैं जांच करूंगा ।

Shri Rameshwaranand : You just now said that we should be happy if those students who do not know Hindi, want to learn it. I want to submit in this connection that Hindi can never be taught in Roman script because the equivalent number of alphabets are not there in it. In the absence of the alphabets, Hindi will degenerate. Hindi is being taught in Roman script not because of the South Indian students, but because they want to bring down Hindi.

ग्रामीण संस्थायें

\+

*858. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हे० वी० कौजलगी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की ग्रामीण संस्थायें विद्यार्थियों को अधिक संख्या में आकर्षित नहीं कर सकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने तथा दोष दूर करने के बारे में सुझाव देने के लिये कोई जांच समिति स्थापित की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). ग्रामीण संस्थाओं में भर्ती की संख्या में उचित तथा सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। सन् 1956 में, जब योजना जारी हुई थी, तब से यह संख्या 427 से बढ़ कर 1964 में 3301 तक हो गई है ।

(ग) कोई जांच समिति स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है फिर भी ग्रामीण संस्थाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : इन सस्थाओं से सफल विद्यार्थियों को किस प्रकार की नौकरियां मिल सकती हैं ?

श्री मु० क० चागला : रोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में हम भी चिन्तित हैं। यह छात्र किसी भी प्रकार की नौकरी कर सकते हैं, परन्तु हमारे विचार में सामुदायिक परियोजनाओं के लिये इनकी सेवायें अधिक उपयोगी होंगी और हमने राज्य सरकारों के इस बात पर जोर दिया है कि वे इन संस्थाओं से शिक्षित छात्रों को नौकरी दें। हमारे प्रयास पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुये, परन्तु फिर भी हम भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : इन संस्थाओं को धन किस प्रकार मिलता है ?

श्री मु० क० चागला : धन इस प्रकार दिया जाता है । ग्रामीण संस्थाओं को इस प्रकार अनुदान दिया जाता है । अनुमोदित अनावर्ती व्यय का 75 प्रतिशत और अनुमोदित आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के मामले में 75 प्रतिशत), सिवाये जामिया ग्रामीण संस्था, नई दिल्ली के जिसको घाटे-को-पूरा करने के आधार पर मिलता है और कस्तूरबा ग्रामीण संस्था, राजपुर (पंजाब) जो भारत सरकार से स्वेच्छा से अनुदान नहीं ले रही है ।

Shri D. N. Tiwary: Are the Government aware that all the successful students from these rural institutes are unemployed, if so, then have the Government tried to find means to provide employment to the maximum number of people?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास आंकड़े हैं । असैनिक और ग्रामीण इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के 95 प्रतिशत छात्रों को, स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम के 90 प्रतिशत छात्रों को और कृषक विज्ञान पाठ्यक्रम के 93 प्रतिशत छात्रों को नौकरी मिल गई है । जिन छात्रों ने ग्रामीण सेवाओं में डिप्लोमा लिया था, उनमें से 84 प्रतिशत को या तो नौकरी मिल गई है या वे उच्च शिक्षा के लिये चले गये हैं । फिर भी सामुदायिक विकास और सहकार विभागों में केवल 30 प्रतिशत छात्रों को उपयुक्त नौकरियां मिली हैं । यही एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनको इस के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है ।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या सरकार का ग्रामीण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने का कोई विचार है; यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान संस्थाओं के स्तर में सुधार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को प्रविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा देने का कोई विचार है; इसमें मेडिकल शिक्षा भी शामिल है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की बहुत कमी है ?

श्री मु० क० चागला : ग्रामीण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है। हमें जो शिक्षा दी जा रही है उसी में सुधार करना चाहते हैं ; हम एक नई योजना आरम्भ करने वाले हैं जिसके अनुसार ग्रामीण संस्थाओं के विभिन्न वर्गों को इकट्ठा करके विश्वविद्यालय का रूप दे दिया जायेगा जिससे कि इन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर पहले से ऊंचा हो जायेगा ।

श्री रंगा : मेडिकल शिक्षा का क्या होगा ?

श्री मु० क० चागला : मेडिकल का विषय मेरे अधीन नहीं है; यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है । अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या यह सच है कि ग्रामीण संस्थाओं में कम प्रवेश का एक कारण यह भी है कि माध्यमिक स्तर पर फीडर संस्थाओं की कमी है ?

श्री मु० क० चागला : जी; नहीं । एक कारण यह है कि यह संस्थायें विद्योपाधियां देने की स्थिति में नहीं हैं इसलिये संस्थिति (स्टेटस) का प्रश्न उठता है । हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरी बात यह है कि इन ग्रामीण संस्थाओं से अर्हता प्राप्त लोगों को राज्य सरकारें उस विशेष कार्य के लिये स्वीकार नहीं करती हैं जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षित किया गया होता है ।

श्री वारियर : इन संस्थाओं के लिये शिक्षकों की भर्ती कैसे की जाती है और निश्चित न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बारे में निश्चित रूप से तो पता नहीं है, परन्तु शिक्षकों की भर्ती अन्य संस्थाओं की तरह उचित चुनाव समितियों द्वारा की जाती है; पदों को विज्ञापन द्वारा भरा जाता है ।

श्री वारियर : न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि अभी उनके पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री ओझा : क्या इन संस्थाओं को स्थापित करने का मुख्य प्रयोजन यह देखना है कि प्रशिक्षार्थी वहां से कुछ सीख कर अपने साधारण जीवन को जाकर बितायें, न कि उनको नौकरी दी जाये और उनका उन व्यक्तियों से मुकाबला कराया जाये जिनके पास विद्योपाधियां हैं और जिन्होंने नौकरियों के लिये विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया होता है ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं । एक ग्रामीण संस्था का मुख्य प्रयोजन यह होना चाहिये कि लोग वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके खेती कर सकें, उत्पादन बढ़ा सकें तथा वस्तुओं की किस्म का सुधार कर सकें और न कि वे कस्बों में जाकर बाबूगिरी की नौकरी ढूंढें । हम इसी दिशा की ओर कार्य कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra: Are the Government aware that the students who get education from these rural institutes do not get employment and this rumour has gone round in the villages that the Government make a fool of those people of rural areas by admitting them in such rural institutes, whereas general education is given to all other people? May I know whether the Government are considering to educate those people on these lines also?

श्री मु० क० चागला : जी, हां; हमारा उद्देश्य शिक्षा को उत्पादन-आमुख बनाना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस समस्त प्रश्न का उत्तर "हां" है ?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं । मैंने इस प्रश्न की मुख्य बात को ले लिया है और मेरा उत्तर यह है कि हमारी नीति शिक्षा को उत्पादन-आमुख बनाना है ।

अध्यक्ष महोदय : उसने अपने प्रश्न में कहा है कि सरकार उन लोगों को बुद्धू बनाने का प्रयत्न कर रही है । इस प्रश्न का उत्तर "हां" नहीं होना चाहिये ।

श्री मु० क० चागला : इसका उत्तर यह है : जी, नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that the people remain unemployed for two to three years after getting education in these rural institutions and may I know the number of such educated students who have not been given employment?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already given the percentage of such students.

श्री अ० ना० विद्यालंकार : माननीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों द्वारा इन विद्यार्थियों को दी गई संस्थिति (स्टेटस) का उल्लेख किया है । क्या विश्वविद्यालयों ने भी इन संस्थाओं से शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थियों तथा स्नातकों पर कुछ अनर्हतायें लागू की हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे इस बात का पता नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि इन संस्थाओं को विश्वविद्यालय समझा जाये और यह विद्योपाधियां देने की स्थिति में हों तो यह सब प्रश्न नहीं उठेंगे ।

Shri Yudhvir Singh: It is not clear as to how these rural institutions where B.D.Os. and *Gramsewaks* are trained and education is imparted in connection with Community Development Blocks, are connected with the Ministry of Education? This Ministry has nothing to do with block development.

Mr. Speaker: To impart education is a different thing and to give further training is a different thing.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know as to why the Sriniketan Institute was closed and whether the reason for it was that the Vice-Chancellor had sent a report in this regard.

Mr. Speaker: This does not arise here.

Shri K. N. Tiwary: Have the Government considered to impart training to those farmers and their sons in these rural institutions who have been doing farming generation after generation so that they could do farming in a modern way?

श्री मु० क० चागला : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैं उनके प्रश्न से समझ पाया हूं वह यह है कि उनका अभिप्राय यह सुझाव देने का है कि इन विश्वविद्यालयों में केवल उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाना चाहिये जो इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के पश्चात् कृषि-कार्य करना चाहते हों ।

श्री मु० क० चागला : हम विद्यार्थियों को दाखिला देने से इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि इन संस्थाओं से उपाधिपत्र-प्राप्त विद्यार्थियों को खेती में कार्य करने के अतिरिक्त और भी कई अन्य नौकरियां मिल सकती हैं। जैसाकि मैंने पहले बताया है कि 85 से 90 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाती है। इनकी तुलना में अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में अधिक बेरोज़गारी है।

श्री रंगा : इन संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों की भारी बहुसंख्या की, जिनको विशेषरूप से ग्रामीण कार्य के लिये प्रशिक्षित किया जाता है, सेवाओं से लाभ उठाने की राज्य सरकारों की स्पष्ट अनिच्छा तथा असफलता की दृष्टि से, क्या सरकार ने राज्य सरकारों से यह कहने के औचित्य पर विचार किया है कि विद्यार्थियों का नामनिर्देशन राज्य सरकारें स्वयं इस शर्त पर करें कि वे उनकी सेवाओं का उपयोग करेंगी, जैसाकि उन सेवाओं के बारे में किया जा रहा है जिनके लिये कर्मचारियों की कमी है। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उनका ज्ञान व्यर्थ नहीं जायेगा ?

श्री मु०क० चागला : यह एक उपयोगी सुझाव है अतः मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा।

Mudaliar Committee Report

*859. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendations of the Mudaliar Committee which was appointed to evaluate the working of the Council of Scientific and Industrial Research;

(b) if so, the recommendations which have been accepted and those which have not been accepted; and

(c) the recommendations which have been implemented so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan : (a) The recommendations have been considered in a Special Session of the Board of Scientific and Industrial Research and the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research.

(b) The recommendations in the Report and the recommendations of the Director General, Scientific & Industrial Research thereon have been generally approved and the Director-General has been authorised to take further action for implementing the recommendations in consultation with the Financial Adviser where financial implications are involved, and where necessary through the Executive Councils of the respective laboratories keeping in view the comments and observations received.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library. See No. L. T. 4188c65.]

Shri Sidheshwar Prasad: Sir, the statement syas that the relations between the C.S.I.R. and Government Departments and Ministries are not so close as they should be. What steps Government have taken in view of this recommendation to bring Ministries, Government Departments and Universities more close to this council.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): स्वयं विवरण में दिया गया है कि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् क्या कुछ किया गया है; परन्तु मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थाओं के बीच यथासंभव निकट के सम्बन्ध पैदा करने के लिये हम अधिक कदम उठा रहे हैं।

Shri Sidheshwar Prasad: It has also been recommended that it is necessary to effect changes in the Governing body of C.S.I.R. for the smooth working of the C.S.I.R. What recent changes have been effected in the Governing body of C.S.I.R. and What bearing have they had on the working of C.S.I.R.?

श्री मु० क० चागला: मुदालियर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए शासी निकाय का पुनर्गठन किया गया है। वह सिफारिश यह है कि संख्या घटाई जानी चाहिये। यह एक पर्यवेक्षी निकाय है जो एक वर्ष में एक या दो बार बैठता है। परन्तु शासी परिषद् अनुसन्धान नहीं करता है। प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये अनुसन्धान समितियां हैं, जैसा कि मैं ने विवरण में बताया है।

Shri Yashpal Singh: The accommodation in Roorkee Engineering University is insufficient for the research being carried in connection with earthquake. Unless this work is taken from the State Government it cannot be done. By what time will centre take this work in its hands?

श्री मु० क० चागला: यह एक राज्य विश्वविद्यालय है जो सीधे रूप से हमारे अधीन नहीं है। अनुसन्धान की यदि विशिष्ट परियोजना होगी तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे और यथासंभव अधिक सहायता देंगे। यह अनुसन्धान परिषद् कुछ विश्वविद्यालयों के विशिष्ट अनुसन्धान के केन्द्रों को सहायता दे रही है, जिसके द्वारा अनुसन्धान के केन्द्रों को मज़बूत बनाने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है जो अन्त में अनुसन्धान परिषद् के लिये लाभदायक होगी। इस समय निम्नलिखित केन्द्रों को सहायता दी जा रही है--स्कूल आफ डाई स्टफ टेक्नालॉजी, बम्बई विश्वविद्यालय तथा जिस स्कूल का मेरे माननीय मित्र ने ज़िक्र किया, अर्थात्, स्कूल आफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, रुड़की विश्वविद्यालय। अनुसन्धान परिषद् विशिष्ट रूप से इसकी सहायता कर रही है।

श्रीमती रासदुलारी सिन्हा: ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने में इतनी देर क्यों लग रही है जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं?

श्री मु० क० चागला: माननीय महिला सदस्या ने विवरण नहीं देखा है। इसमें बताया गया है कि इनमें से कई एक क्रियान्वित कर ली गई हैं; और प्रतिवेदन मुश्किल से 6 मास हुए मिला था।

Shri Kishan Pattnayak: One important recommendation of Mudaliar Committee was that laboratories should be given more powers to enable them to work in an autonomous way. What is the reaction of the Minister to the incident when the Director of C.S.I.R. wanted to give promotion to an officer against the wishes of the Director, National Physical Laboratory and the former was so much bent upon that that for that very reason Doctor Kichloo had to resign.?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न पर इस सभा में काफी बहस हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर नहीं देना चाहता हूं, परन्तु वास्तव में इसका मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है। मैं पहले इसका उत्तर काफी विस्तार से दे चुका हूं।

Shri Vishwa Nath Pandey: Who are the Members of the Governing body C.S.I.R. and Working Committees of the Laboratories? What is the basis of their nomination?

श्री मु० क० चागला : मैं यह जानकारी देने के लिये तैयार हूं कि शासी निकाय में कौन-कौन से सदस्य हैं। परन्तु इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी

\+

*863. **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामसहाय पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 25 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति सीमा पर बसते जा रहे हैं और वे पाकिस्तान में छोड़े गये गांवों के नाम पर उन गांवों के नाम रख रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में भारतीय क्षेत्र को खाली कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की सरकारों से पूछने पर पता चला कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुईं।

Shri Bade : Why no action has been taken for the last six months to oust the infiltrants?

Shri Hathi : Action is also being taken to oust the infilltrants. That continues. But here is the question of changing the names of the villages.

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी, विशेष रूप से जो आसाम में आ रहे हैं, आते हैं और सीमा पर रहने वाले लोगों में घुल मिल जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार को सुझाव दिया था कि आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा के साथ साथ दो मील चौड़ी पट्टी खाली करा ली जाये। इस संदर्भ में,क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में आसाम सरकार ने कुछ भी नहीं किया है ?

श्री हाथी : हम बिल्कुल ही दूसरी बात को ले बैठे हैं, परन्तु मैं कह सकता हूं कि सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि कितने परिवारों को वहां से उठाया जायेगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इसको ध्यान में रखते हुए कि गांवों के नाम बदले नहीं जा रहे हैं, क्या मंत्री महोदय का इससे यह अर्थ है कि गांवों के नामों में परिवर्तन न किये जाने के बावजूद भी अवैध प्रवेश करने वाले व्यक्ति सीमा पर बस गये हैं ?

श्री हाथी : सीधा प्रश्न यह था कि "क्या नाम बदले गये हैं । उत्तर है "नहीं ।" इस उत्तर में किसी प्रकार का सुझाव नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि अनेक मुसलमानों को, जो भारत में काफी लम्बे समय से हैं और जो इस बात को सिद्ध करने के लिये सभी दस्तावेज़ भी पेश कर सकते हैं, आसाम से इस आधार पर बाहर निकाल दिया गया है कि वे अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी हैं और इस सम्बन्ध में उनका कोई निवारण नहीं है ?

श्री हाथी : यह बिल्कुल गलत है । किसी भी भारतीय राष्ट्रजन को बाहर नहीं निकाला गया है। किसी भी भारतीय राष्ट्रजन को जो कि मुसलमान है या कोई और है, देश से निकाला नहीं गया है **(अन्तर्बाधाएं)** यह आरोप तो पाकिस्तान का है, कि अवैध प्रवेश करने वालों के नाम पर हम भारतीय मुसलमानों को भेज रहे हैं । हम यह कहते हैं कि यह स्थिति बिल्कुल नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैंने कितने ही व्यक्ति देखे हैं जिनके पास दस्तावेज़ हैं **(अन्तर्बाधा)**।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आसाम सरकार से सीमा पर कुछ जगह खाली कराने के लिए कहा है और राज्य सरकार ने इसको इसलिये नहीं माना है कि उनको फिर से बसाना कठिन हो जायेगा ?

श्री हाथी : यही प्रश्न श्री हेम बरुआ ने पूछा था और मैं उसका उत्तर दे चुका हूं ।

श्री रंगा : श्रीमन्, वह जानना चाहते हैं कि क्या असम सरकार से उनको कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री हाथी : मैंने कहा कि सर्वेक्षण किया जा रहा है, और विस्थापित हो जाने वाले परिवारों की संख्या पर विचार किया जा रहा है ।

श्री प्र० के० देव : समाचारपत्रों से हमें पता लगता है कि लगभग 10,000 व्यक्ति विस्थापित किये जायेंगे **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री बड़े : श्री त्रिवेदी के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि यह गांवों के नाम बदलने के बारे में है । श्री प्र० के० देव का प्रश्न था कि क्या अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति सीमा पर बस रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का एक भाग सीमा पर बसने के सम्बन्ध में था ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : सीमा पर बसने सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया है ।

श्री बड़े : हमारी जानकारी यह है कि वहां पर 5,000 पाकिस्तानी बस गये हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये अवैध प्रवेश करने वाले व्यक्ति सीमा पर स्वयं बस गये हैं अथवा नहीं ।

श्री हाथी : मुझे उत्तर देने में कोई हिचक नहीं है इस मामले में मैं सारी जानकारी सभा को देने के लिये तैयार हूं । प्रश्न इस क्षेत्र में पाकिस्तान से अवैध प्रवेश करने के सम्बन्ध में है ।

संख्या सभा को पहले ही दी जा चुकी है। हम इसके लिये कार्यवाही कर रहे हैं कि जो आ गये हैं उनको वापस भेजा जा । इस प्रयोजन के लिये हमने न्यायाधिकरण स्थापित कर दिये हैं जो उन मामलों की जांच क गे। लगभग 1 लाख ऐसे व्यक्ति वापस भेजे जा चुके हैं ।

श्रीमती रेणुका राय : क्या यह सच है कि अवैध प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों को वापस भेजने और सीमा पर पट्टी खाली कराने के लिए आसाम सरकार ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई है ?

श्री हाथी : यहां भी दो अलग-अलग प्रश्न हैं । आसाम में अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इनकार नहीं किया है और स्वभावतः वह ऐसा कहेगी भी नहीं। वह तो वापस भेजना चाहती है। जहां तक पट्टी खाली कराने का सम्बंध है इस पर इस संदर्भ में विचार किया जायेगा कि पट्टी के बनाने के परिणामस्वरूप कितने परिवार बेघर हो जायेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : अवैध प्रवेश के समाचारों से सरकार सदैव इनकार करती है और शायद ही कभी उसे स्वीकार करती है। इसके विपरीत आसाम के सार्वजनिक निकाय और आसाम के अंग्रेजी और आसामी दोनों के समाचार पत्र यह कहते चले जा रहे हैं कि अवैध प्रवेश किसी न किसी रूप में जारी है। क्या सरकार के पास समाचार पत्रों की रिपोर्टों और सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई रिपोर्टों की जांच करने का कोई तरीका है अथवा क्या सरकार केवल सरकारी अभिकरणों द्वारा दिये गये समाचारों को ही मानती है ?

श्री हाथी : सरकार ने इस बात से कभी इनकार नहीं किया है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश नहीं हो रहा है। हम तो यह कहते रहे हैं कि वे आये हैं और आ रहे हैं। इसलिये, उन्हें वापस भेजने के लिये हम कदम उठा रहे हैं। हमने उन रिपोर्टों से कभी इनकार नहीं किया है।

श्री रंगा : गृह मंत्रियों के सम्मेलन में पाकिस्तान के गृह मंत्री द्वारा की गई इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए कि हम भारतीय मुसलमानों को अवैध तथा असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान में भेजते रहे हैं और व्यक्तिगत मामलों के संबध में इसी प्रकार की हमारे एक सदस्य की शिकायत को भी ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने सभी सम्बन्धित लोगों को यह बताने पर विचार किया है कि जिस किसी के पास भी भारत की अपनी नागरिकता प्रमाणित करने के कानूनी दस्तावेज़ होंगे, चाहे वह मुसलमान है अथवा नहीं। उसे इस देश से निकाला नहीं जायेगा और इस प्रकार के किसी भय की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को असंवैधानिक अथवा अमानवी तरीके से भेजा जायेगा ।

श्री हाथी : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कहते हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, देश छोड़ने की सूचना में, जो कि एक व्यक्ति को दी जाती है, यह लिखा हुआ है कि यदि भारत में ठहरने के लिये उसका कोई दावा है और गलती से भेज दिया गया है, तो वह न्यायाधिकरण में जा सकता है, जो कि अर्धन्यायिक निकाय है, और प्रत्येक मामले की जांच करेगा। न्यायाधिकरण द्वारा मामले की जांच किये जाने के पश्चात् ही अन्तिम निर्णय दिया जाता है ।

Shri Daljit Singh : Have the Government enquired into the causes of infiltration from East Pakistan into India, whether they have left Pakis-

tan because of the harrassment inflicted by the Policies of Pakistan Government or they have come here to do so some mischief ?

Shri Hathi : The persons who have come without traval docoments etc. are illegal infiltrants. Therefore they are being sent back.

Shri Rameshwaranand: Just now the Minister said that Govrnment is trying to send back the Pakistan infiltrants. My submissions is what do the Government do when the Pakistanis cross the border. Do the Government operate its personnel there or not. What is the conditions of our border and why does it so happen ?

Shri Hathi : We are sending those who have entered during the last 10 years.

Shri Rameshwaranand : How have they come, when they are living on the other side of the border ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी

*860. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली में कारों तथा स्कूटरों की चोरी के बारे में विभिन्न समाचारों तथा लेखों की ओर दिलाया गया है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों के कुछ रिश्तेदारों का इनमें हाथ है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसमें उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों का हाथ होने के कारण चोरी के इन मामलों की छानबीन को दबा दिया गया है ; और

(ग) क्या इन आरोपों तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला सम्पूर्ण विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ; सरकार के ध्यान में एक मामले के बारे में कुछ सूचनाएं आई हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4189/65]

वैज्ञानिक कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवा

*861. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वैज्ञानिक कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवा बनाने के बारे में वैज्ञानिक कर्मचारी समिति से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) से (ग) जी, नहीं। समिति तोड़ दी गयी है।

उड़ीसा जांच सम्बन्धी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट

*862. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है कि उड़ीसा जांच के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट तथा मंत्रिमण्डल की उपसमिति की सिफारिशें दोनों ही गोपनीय कागजात का समाचार-पत्रों तथा निजी व्यक्तियों को कैसे पता लगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) प्रश्न में कुछ कागजों की प्रकृति के बारे में कुछ कल्पनायें की गई हैं। सरकार को खेद है कि वह इन कल्पनाओं के बारे में किसी प्रकार की कोई राय ज़ाहिर करने में असमर्थ है।

Anonymous Letters

*864. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Warior :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to take any action on the anonymous letters even though they may contain serious matters ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) It was urged that inquiries into anonymous complaints had an adverse effect on the morale of the services and that there was reason to believe that a good many anonymous complaints were false and melicious. Experience showed that anonymous complaints are not a reliable and significant source of information.

बम्बई के निकट पैट्रो-रसायन संगम

*865. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई के निकट एक पेट्रो-रसायन संगम स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर ; और

(ग) परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । गैर-सरकारी क्षेत्र में बम्बई के पास एक पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाई संगीत समारोह

*866. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत नाटक अकादमी 1965–66 में भारत में एक एशियाई संगीत समारोह करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अकादमी एक गोष्ठी तथा एशियाई देशों के संगीत, नृत्य व नाटक-समारोह करने की संभावना पर विचार कर रही है । ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं ।

भारत–रूस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

*867. **श्री कनकसबै** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों का एक दल सोवियत संघ भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल का रूस जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक

*868. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्री वारियर :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक उद्योग के बृहत् विकास सम्बन्धी बेल्टल करार में भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कठिनाई क्या है ; और

(ग) सरकार ने कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) बेल्टल निगम के साथ हो रही बात-चीत का अभी कोई परिणाम नहीं निकला है और अप्रैल के अन्त में बात-चीत के तीसरे दौरान के होने की आशा है ।

उर्वरक उत्पादन के लिए नेफ्था

*869. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में उर्वरक उत्पादन के लिये कुल कितनी मात्रा में नेफ्था उपलब्ध है ;

(ख) क्या नेफ्था की उपलब्ध मात्रा से 1965–66 में देश की कुल आवश्यकता पूरी हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोयले पर आधारित उर्वरकों को प्राथमिकता देने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) आटोमोटिव ईंधन के तौर पर मोटर स्पिरिट की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 1965–66 में उर्वरकों के उत्पादन या अन्य उपयोगों के लिए उपलब्ध मोटर स्पिरिट / नेफ्था की मात्रा 6 लाख मीटरी टन तक होगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगाल की खाड़ी में तेल

*870. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगाल की खाड़ी में पानी के नीचे तेल संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई निश्चय किया गया है, तो वह क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) वी/ओ टैक्नोएक्सपोर्ट के साथ हुए ठेके के अन्तर्गत अगस्त से लेकर अक्तूबर, 1964 तक एक रूसी भूकम्पीय सर्वेक्षण जहाज ने कारोमण्डल तट के साथ साथ अपतट भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्यों को किया है। मई, 1965 से आगामी सर्वेक्षण कार्यों को किया जायेगा ।

पूर्वी पाकिस्तान से लोगों का आना

*872. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बेरुबाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने के परिणाम-स्वरूप पूर्व पाकिस्तान से शरणार्थियों ने हाल में भारी संख्या में फिर आना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति इस बीच भारत आ चुके हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, हमने राज्य सरकारों को इस मामले में रिपोर्ट के लिये लिखा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Crimes in Delhi

*883. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Yashpal Singh :
Shri Rameshwar Tantia :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether incidence of crime is again on the increase in Delhi ;

(b) whether some special steps have been taken to counter this menace ; and

(c) whether Government have tried to ascertain the causes of this increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) There has been some increase.

(b) Yes, Sir.

(c) The increase in crime is mainly due to (*i*) growh of population both permanent and fibating ; and (*ii*) drive against concealment and minimisation of crime especially under the heads theft, burglary, kidnapping and abduction.

Washing Allowance for Uniforms

*874. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bagri ;
Shri Kishen Pattnayak ;
Shri Daji ;
Shri Dinen Bhattacharya ;

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that class IV Government employees are paid only Re. 1 per month as washing allowance for their uniforms ;

(b) if so, when this rate was fixed ; and

(c) whether it is proposed to raise this rate of washing allowance in view of the rise in washing charges ;

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) The present rates of washing allowance paid to Class IV employees for their uniforms are ;

(*i*) Jamadars attached to Ministers and officers of and above the rank of Joint Secretaries — Rs. 1·50 per month

(*ii*) All other Class IV employees — Re. 1·00 per month

(b) These rates were fixed in 1950, but reviewed from time to time.

(c) It is not proposed to raise the existing rates of washing allowance, since the grant of such an allowance is only to be treated as a contribution towards part of the washing charges, and is not expected to cover the entire expenditure on washing.

परीक्षाओं में अनुतीर्ण विद्यार्थी

*875. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मन्त्री 18 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच शेष राज्य सरकारों ने भी विद्यार्थी की वार्षिक शिक्षा उन्नति के बारे में निश्चय करने में कक्षा में उसके कार्य को महत्व देने के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है ताकि परीक्षाओं में अधिक विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने के कारण उनका समय नष्ट न हो ;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्य सरकारों ने अब भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान, विदर्भ के बोर्डों और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा पंजाब विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी की एक कक्षा से दूसरी कक्षा में वार्षिक तरक्की का फैसला करने के लिए भीतरी मूल्यांकन के रियायती अंक जोड़ने की प्रणाली को शुरू किया है। कुछ कठिनाइयों के कारण, बिहार बोर्ड ने इस पद्धति को खत्म कर दिया है। ये कठिनाइयां हैं : बाहरी परीक्षा और भीतरी मूल्यांकन के स्तरों में अन्तर और असमानता। इस सम्बन्ध में सभी राज्यों में एकरूपता लाना सम्भव नहीं है और न ही एकरूपता लाने के लिए सुझाव था।

बिहटा हवाई अड्डे पर चीनी नागरिकों का रोका जाना

*876. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यु० द० सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस ने पटना के निकट बिहटा हवाई अड्डे पर आठ चीनी नागरिकों को संदिग्ध परिस्थितियों में रोक लिया था ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). इस बारे में की जाने वाली जांच से पता चला कि कलकत्ते के रहने वाले दो चीनी परिवारों ने जिनमें 8 व्यक्ति थे भारत से काठमांडू जाने की इजाज़त मांगी थी और स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें दमदम हवाई अड्डे से 24–3–1965 को सीधे काठमांडू जाने के आज्ञा-पत्र मिल गये थे। ये दोनों चीनी परिवार आई० ए० सी० उड़ान द्वारा पटना गये जहां से उन्हें एक अन्य आई० ए० सी० उड़ान काठमांडू के लिये पकड़नी थी, क्योंकि 24–3–65 को दमदम से काठमांडू के लिये सीधी आई० ए० सी० उड़ान थी ही नहीं। किन्तु बिहाटा हवाई अड्डे पर उतरने पर उन्हें रोका गया क्योंकि उनके आज्ञातपत्रों में पटना में उतरने की इज़ाज़त नहीं थी। बाद में उन्हें 26–3–65 को एक आई० ए० सी० उड़ान द्वारा काठमांडू जाने की इजाजत दे दी गई। इस तरह यह साफ है कि ये लोग गलतफहमी के कारण पटना में उतरे थे और उनकी तरफ से किसी सन्देहास्पद कार्यवाही का कोई सावाल नहीं था।

विश्वविद्यालयों में उपयोग-प्रमाणपत्र

*2214. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री कृ० चं० पंत :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों की नवीनतम स्थिति, उनके वर्ष तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उपयोग-प्रमाणपत्र समय पर भेजे जायें ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और विवरण यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Visva Bharati

2215. **Shri Sidheshwar Prashad ;**
Shri K. C. Pant :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme which was prepared for water supply in Visva Bharati University from Ajay river, could not be implemented ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the loss as a result thereof and the person responsible for it ;

(d) whether it is also a fact that equipment worth Rs. 6·65 lakhs for the above scheme is still lying idle ; and

(e) if so, the reasons for its not being disposed off so far ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) and (b). On the advice of the Chief Engineer, Public Health Engineering Department,

West Bengal and the Chief Engineer, Exploratory Tube Well Organisation, the scheme of water supply from Ajay river was abandoned by the University in favour of a modified scheme for water supply from deep tube wells sunk within the University Campus. The modified scheme was considered better both from economic and utilitarian points of view.

(c) to (e).–The extent of loss, if any, will be known after the completion of the revised scheme. However, pipes so far declared surplus are valued at Rs. 4,38,715. The University's efforts to sell these pipes at a reasonable price have not met with success so far. Fresh negotiations are in progress.

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपकरण

2216. **श्री कृ० चं० पन्त :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में अनेक उपकरण/मशीनरी बेकार पड़ी हुई है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्विलोकन किया गया है कि वह क्या है और कितनी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में उपकरण तथा मशीनों में से कुछ का ही उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ख) जी, हां । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं में अनुपयोगी पड़े हुए उपकरण व मशीनों तथा भण्डारों का एक सामान्य मूल्यांकन 1963 में किया गया था ।

(ग) मुख्य निष्कर्ष यह था कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं को गत युद्ध के अन्त में संभरण तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा 'जो जहां है जैसा है' आधार पर दिए गए 'पड़े रह गए' उपकरण तथा भण्डार सम्बन्धित प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के लिए या तो निकम्मे अथवा आवश्यकता से अधिक पाए गए। इनका उपयोग करने वाले सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान तथा औद्योगिक संस्थाओं और अन्य संगठनों में उनका निपटान करने के विचार से इन ब्यौरों का काफी प्रचार किया गया था । इसमें से एक अच्छे खासे भाग का निपटान हो चुका है और शेष का शीघ्र ही निपटान होने की सम्भावना है ।

उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा

2217. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में सरकार ने उड़ीसा सरकार को लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के लिये कितनी राशि नियत की; और

(ख) इस अवधि में उड़ीसा में वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) 1963–64 और 1964–65 में उड़ीसा सरकार को लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष योजनाओं के लिये क्रमशः 31.96 लाख रु० और 23.87 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता नियत की गई।

(ख) 1963–64 में इन योजनाओं का वास्तविक व्यय 22.40 लाख रु० था जबकि 1964–65 के लिये प्रत्याशित व्यय 23.87 लाख रु० है। इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षा पर खर्च की गई राशि का भी कुछ भाग लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा पर खर्च किया गया, परन्तु इसका पृथक हिसाब उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में प्रारंभिक स्कूलों की इमारतें

2218. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963–64 और 1964–65 में वर्षवार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्कूलों की इमारतों तथा अध्यापिकाओं आदि के लिये क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए उड़ीसा सरकार को कितना अनुदान या ऋण दिया गया ; और

(ख) 1965–66 में इसी कार्य के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गयी है या करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) और (ख). अभी तक उड़ीसा सरकार से इस प्रकार की कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, अनुदान अथवा ऋण देने का प्रश्न नहीं उठता।

पैरोल के लिये नजरबन्द व्यक्ति की प्रार्थना

2219. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष सब-जेल, विय्यूर केरल के एक नज़रबन्दी से पैरोल के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ;

(ग) क्या सरकार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) 9 नज़रबन्दियों से पैरोल के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 2 मामलों में पैरोल का आधार व्यावसायिक कार्य का प्रबन्ध करना, 5 मामलों में सम्बन्धियों की सख्त बीमारी, एक मामले में एक सम्बन्धी की मृत्यु पर अन्तिम संस्कार करने के लिये और 1 मामले में नज़रबन्दी की पत्नी का प्रसव-काल था।

(ग) एक मामले के अलावा प्रार्थनाएं मंजूर नहीं की गईं।

(घ) सरकार को इस बारे में पूरा सन्तोष हो गया था कि अन्य मामलों में रिहाई के लिये जबर्दस्त कारण नहीं थे।

विशेष सब-जेल, विय्यूर, केरल

2220. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष सब-जेल, विय्यूर, केरल में नज़रबन्द किसी व्यक्ति ने प्रार्थना की है कि उसे वकीलों से परामर्श करने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या सरकार ने आग्रह किया है कि पुलिस उपस्थित रहेगी तथा वकील के साथ होने वाली बातचीत सुनेगी;

(ग) क्या नज़रबन्दियों ने इसका विरोध किया था और अपने वकील से मुलाकात करने से इन्कार कर दिया था और

(घ) क्या सरकार नज़रबन्दियों द्वारा अपने वकीलों के साथ किये जाने वाले कानूनी परामर्श के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) यह केरल उच्च न्यायालय में दी गई एक लिखित याचिका का *विषय है* ।

Vigyan Mandirs in Uttar Pradesh

2221. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(*a*) the number of Vigyan Mandirs opened in Uttar Pradesh upto 1964-65; and

(*b*) their locations and the amounts of grants given so ar to the Uttar Pradesh Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. Soundaram Ramachandran): (*a*) Four.

(*b*) The Vigynn Mandirs are located at

(1) Masauli (district Barabanki),

(2) Bachhrawan (district Rai Barelli),

(3) Ratsand (district Balia) and

(4) Pitaura (district Farukhabad).

The administrative control of Vjgyan Mandirs was transferred to the State Government from 1st April 1963 and grants to the State Government during 1963-64 and 1964-65 were Rs. 47,860/- and Rs. 25,936/- respectively.

Vocational Training in Dandakaranya

2222. **Shri Lakhmi Bhawani :**
Shri Wadiwa :

Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the trades in which vocatonal training arrangements have been made under Dandakaranya Project;

(b) the number of persons who are being imparted training in them at present;

(c) whether some stipend is given to each trainee ; and

(d) if so, the amount thereof ?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) :

(a) Training is being imparted in the following technical trades in the Industrial Training Institute, Ambaguda :—

(i) Carpentry.
(ii) Black-smithy.
(iii) Sheet Metal.
(iv) Fitter.

(b) 64 trainees are receiving training at Ambaguda. Besides 20 settler students of Dandakaranya are undergoing training in various I. T. Is outside Dandakaranya in Madhya Pradesh and Orissa.

(c) Yes.

(d) *Stipend for Trainees of Industrial Training Institute, Ambaguda* :

(i) Rs. 45/- per month for trainees who stay in the hostel.
(ii) Rs. 15/- per month for trainees living with their families.

Stipends for trainees in Industrial Training Institute outside Dandakaranya Rs. 45/- per month.

Department of Tourism

2223. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are enquiring into charges of smuggling against certain high officials of the Department of Toursim ;

(b) whether it is also a fact that these officials had some connection with Walcott, the notorious smuggler ; and

(c) the stage at which the enquiry stands at present ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) *to* (c). Some allegations were received to the effect that certain articles had been brought from abroad by officials of the Tourist Department without paying customs duty. Inquiries in respect of one official were

made but there was no evidence to support the allegation. Inquiries in respect of the second official are being made. These officials have no connections with Walcott.

विदेशों में पढ़ रहे छात्र

2224. श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के कितने कितने छात्र विदेशों में सरकारी खर्च पर तथा अपने खर्च पर अध्ययन कर रहे हैं ; और

(ख) उन में कितने छात्र अनुसूचित जातियों तथा कितने छात्र अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : अद्यतन उपलब्ध सामग्री के आधार पर सूचना नीचे दी गयी है :—

(क) पंजाब राज्य के 11 छात्र विदेशों में सरकारी खर्चे पर तथा 54 छात्र अपने निजी खर्चे पर अध्ययन कर रहे हैं ।

(ख) उनमें से कोई भी छात्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का नहीं है ।

Key Boards of Typewriters

2225. **Shri S.C. Samanta :**
Shri M.L. Dwivedi :
Shri R. S. Tiwary :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the difficulties and impracticablities after finalisation of key-boards of typerwriters under the auspices of his Ministry.

(b) if so, whether the question of changing the key-boards once again is under considertion.

(c) the progress made in the manufacture of new key-boards of Hindi typewriters and the time likely to be taken to make available the requisite number of typewriters with new key boards; and

(d) the names of the Companies which are engaged in then manufacture of these typewriters and whether their models were inspected before sanctioning the manufacture thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). Some minor defects of allignment of the matras and Decimal Point etc. have come to light in the performance of the Typewriters manufactured on the basis of the finalised key-boards. These defects were pointed out to the manufacturers and minor modifications in the positioning of keys have been made and agreed to by the manufacturing firms. A Press Note announcing these modifications will be issued shortly.

(c) One of the leading manufacturers of typewriters has commenced production of Hindi typewriters from 14th January, 1965 in accordance with the key board approved by the Government of India. Thier target of production in 1965 is 1250 Nos. of Hindi typewriters. After April, 1965, they expect to produce 500 to 600 Nos. Hindi typewriters per month, depending upon the orders placed on them.

Two other manufacturers are expected to go into production of Hindi typewriters during 1965, provided import licences for components, jigs and tools are received by them in time.

(d) The following three firms are busy at present in the manufacture of Hindi typewriters. They are required to produce the machines in accordance with the key-board approved by the Government :—

(1) M/S. Rand Remington of India Ltd., Calcutta.

(2) M/S. Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., Bombay.

(3) M/S. Rayala Corporation Ltd., Madras.

No models of Hindi typewriters have been inspected.

श्री मैथिलीशरण गुप्त का स्मारक

2227. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय हिन्दी के महाकवि स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त का उचित स्मारक बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Bogus Educational Institutes in Delhi

2228. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shri S.C. Samanta :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his Ministry is aware of the existence of bogus educational institutions in Delhi whose sole purpose is to cheat students; and

(b) if so, the names of such institutions and the steps taken to put an end to such malpractices ?

The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) : (a) No survey has been made to ascertain the existence of such institutions.

(b) The names are not known but those who are cheated can seek redress under the oridinary law where cheating is also punishable as a criminal offence.

गंगा घाटी में खोज कार्य

2230. श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 25 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1514 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा घाटी में पैट्रोलियम सम्बन्धी भूभौतिकी खोज-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) अब तक परिणाम उत्साहवर्धक नहीं है ।

पुरातत्वीय खुदाई

2230. श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कौलगंज से सात मील दूर बटेश्वर–स्थान में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थान की खुदाई आरम्भ की है ; और

(ख) क्या इस खुदाई में पाये गये ऐतिहासिक पुरावशेषों को वे संस्थाएं या व्यक्ति ले गये जिन्होंने इस मामले में दिलचस्पी ली थी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बटेश्वर-स्थान में कोई खुदाई नहीं की गयी है । फिर भी पटना विश्वविद्यालय के अन्तिचक के स्थान पर प्राचीन विक्रमशिला विशविद्यालय की खुदाई की है, यह बटेश्वर-स्थान के निकट है ।

(ख) अन्तिचक से चल पुरावशेषों को, आगे अध्ययन के लिए, पटना विश्वविद्यालय ने ले लिया है ।

केरल और कलकत्ता में तेल निक्षेप

2231. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री आ० ना० विद्यालंकार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल और कलकत्ता में तेल के भारी निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता

2232. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सेवक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन-शक्ति निदेशालय ने चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता तथा साधनों का कोई निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये इन योजनाओं में क्या कार्यवाही करने की व्यवस्था की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) निम्नलिखित की आवश्यकताओं तथा साधनों का प्रारम्भिक अनुमान लगा लिया गवा है :—

(i) इंजीनियरिंग जन-शक्ति

(ii) प्रबन्धक जन-शक्ति

(iii) कृषि और सम्बन्धित व्यक्ति तथा

(iv) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी जन-शक्ति ।

(ख) चिकित्सा शास्त्र में स्नातक का पाठ्यक्रम 5 वर्ष का होता है । इसलिये, चौथी योजना में कितने डाक्टर तैयार होंगे, इस बारे में बहुत कुछ पता तो, तीसरी योजना के दौरान चिकित्सा विद्यालयों में भर्तियों की संख्या से, पहले ही लग जाता है । चौथी योजना में सामने आने वाली कमी को पूरा करने के लिये मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के उपयोग में सुधार करना पड़ेगा जो उपलब्ध हों । पांचवीं योजना में डाक्टरों की जरूरत पूरी करने के लिये चौथी योजना में 30 नये चिकित्सा विद्यालय खोलने और खास खास संस्थाओं में भर्ती बढ़ाने का विचार है ।

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी

2233. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी, 1965 से हिन्दी संघ की राज भाषा के रूप में लागू होने से (क) अहिन्दी भाषी राज्यों में विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा स्कूलों में हिन्दी को एक भाषा के रूप में लागू करने तथा (ख) स्थानीय

प्रतिमाका विकास करने के उद्देश्य से संस्कृति तथा साहित्य पर स्थानीय भाषा की महत्वपूर्ण पुस्तकें हिन्दी में तैयार करने, उनका हिन्दी में अनुवाद तथा प्रकाशन के लिये कोई विशेष कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4190/65]**

उत्कल विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक अनुदान

2234. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय (उड़ीसा) को 1964–65 में सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करने के लिये कोई केन्द्रीय अनुदान दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1963 में हुए अन्तर-कालेज युवक समारोह पर हुए खर्च के एक भाग को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय को 5,000 रुपये का अनुदान दिया गया था ।

उड़ीसा में तेल

2235. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में तेल का पता लगाने के लिए भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तेल का पता लगाने का कार्य नहीं करता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बारी-पाड़ा क्षेत्र में भूतत्वीय अन्वेषण और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के एक हिस्से में आकर्षक एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य किया है । अब तक प्राप्त हुए परिणाम उत्साह वर्धक नहीं हैं, किन्तु यह प्रस्तावित है कि भविष्य में कुछ भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य किये जाएं ।

उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज

2236. **श्री रामचद्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचद्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इंजीनियरी कालेजों को 1964–65 में कितनी राशि प्रदान की गई ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1965-66 में उड़ीसा में प्रत्येक इंजीनियरी कालेज को कितना धन तथा किस कार्य के लिए दिये जाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क)

(i) अनुदान	53,49,666 रुपये
ऋण	16,99,020 रुपये
जोड़	70,48,686 रुपये

(ख) (1) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउरकेला

(i) अनुदान

47,00,000 रुपये — भवनों, उपस्कर, स्टाफ क्वार्टर, स्टाफ का वेतन और कालेज के चालू खर्च आदि के लिए

(ii) ऋण

16,99,020 रुपये . . . छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए

(2) यूनिवर्सिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बरला

(i) अनुदान

6,49,666 रुपये . — कालेज के विकास और विस्तार के लिए

(ii) ऋण

कुछ नहीं

(ग) प्रयोग के तौर पर, निम्नलिखित रकमों की व्यवस्था की गई है:—

(1) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, राउरकेला

(i) अनुदान

38,75,250 रुपये — भवनों, उपसकर, स्टाफ के वेतन, कालेज के चाल खर्च और उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए

(ii) ऋण

72,000 रुपये . . स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए

(2) यूनिसर्वासिटी कालेज आफ इंजीनियरिंग, बरला

(i) अनुदान

2,77,000 रुपये — कालेज के विकास और विस्तार के लिए

(ii) ऋण

5,92,000 रुपये — छात्रावासों के निर्माण के लिए

भारत सेवक समाज को अनुदान

2237. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज की उड़ीसा शाखा को 1964-65 में विभिन्न शिविरों के चलाने के लिये कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) 1965-66 में कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) केन्द्रीय भारत सेवक समाज के लिए स्वीकृत 4,12,824 रुपए की रकम में से समाज ने अपनी उड़ीसा शाखा को 1964-65 के दौरान परिवार नियोजन पुनरनुस्थापन प्रशिक्षण शिविरों के लिए 22,800 रुपए नियत किए हैं ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

उड़ीसा में स्कूल छात्रावास

2238. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को 1964-65 में स्कूल छात्रावासों का निर्माण करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जामा मस्जिद तथा लाल किला

2239. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 में दिल्ली में जामा मस्जिद तथा लाल किले की कुछ मरम्मत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) फरवरी, 1965 तक 9,647 रुपए ।

पुरातत्वीय खुदाई

2240. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में बुरो-बुरीरहाट में पुरातत्वीय खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन गुप्त सभ्यता का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो खोज का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बुरो-बुरीरहाट में कोई खुदाई नहीं की गई है । एक अनुसंधान-दल को उस स्थान से कुछ बर्तन मिले थे । इस दल में प्राध्यापक, भारतीय अनुसंधान छात्र तथा भारतीय कला के आशुतोश संग्रहालय के विद्यार्थी थे और ये बर्तन गुप्तकालीन माने गए हैं ।

(ख) उस स्थान से खोजे गए पुरावशेषों में वर्तनों के टुकड़े भी हैं, जो कि गुप्त तथा पालसेन कालों के अन्तर्गत आते हैं और एक खण्डित काले पत्थर के सहस्त्रलिंग के अतिरिक्त एक समुद्र-गुप्त-कालीन धनुषधारी प्रतिभावाला सोने का सिक्का भी है ।

(ग) खोजी गयी वस्तुएं उस स्थान पर गुप्तकाल तथा पालसेन काल के बीच मानव-निवास का संकेत देती हैं परन्तु खुदाई के बिना स्थान की प्राचीनता का निश्चय नहीं किया जा सकता है ।

अन्दमान द्वीप समूह में असैनिक जेल

2241. **श्रीमती सावित्री निगम**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह में कोई असैनिक जेल नहीं है और इसके परिणामस्वरूप द्वीप समूह में न्यायालय असैनिक कारावास के दण्ड संबंधी मामलों की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो द्वीप समह में असैनिक जेल बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, नहीं । जिला जेल की इमारत का एक भाग असैनिक जेल बना दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भुज में पुरातत्वीय खोज

2242. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के भुज जिले में सुरकोटड़ा में पर्याप्त महत्व के एक नये हड़प्पन स्थान का पता लगाया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी खोज का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी, हां ।

(ख) पायी गयी वस्तएं इस प्रकार है :—

लाल मिट्टी के बर्तनों पर काली चित्रकारी, काले और लाल बर्तनों पर सफेद चित्रकारी, लाल बर्तनों पर काली मोटी चित्रकारी जो गुजराती संस्कृति की विशेषता है इसके साथ ही चारों किनारों पर पत्थर की बनी चहार-दीवारी के अवशेष मिले हैं।

(ग) यह हरप्पा की संस्कति से मिलता हुआ स्थान है, जो इस क्षेत्र में अपने सर्वविदित विस्तार को बताने के अतिरिक्त इस स्थान की संस्कृति की पूर्वकालिक घटनाओं पर प्रकाश डालता है तथा गुजरात की सामान्य हरप्पन संस्कृति से सम्पर्क स्थापित करता है।

उड़ीसा सरकार के अधिकारी

2243. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इस समय उड़ीसा सरकार के कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं और वे किन-किन पदों पर हैं; और

(ख) उनमें से कितने अधिकारी ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा–पटल पर रख दी जायेगी ।

एशियाई देशों के तट के पास तेल

2244. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र के "इकेफे" संगठन ने एशियाई देशों के तट पर, जहां पानी कम हो, पानी के नीचे तेल और प्राकृतिक गैस तथा अन्य खनिज पदार्थों की खोज करने की योजना बनाई है तथा भारत ने इस योजना को पहले ही स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा भारत को इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख) इकाफे प्रदेश के मेरीन शैल्फ क्षेत्रों (Marine Shelf areas)के संयुक्त अपतटीय भूभौतिकी सर्वेक्षण के लिए इकाफे संगठन ने एक जहाज की प्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। 4 फरवरी से 15 फरवरी, 1965 तक बैंकाक में उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधनों की समिति के सतरहवें अधिवेशन में यह फैसला हुआ था कि उक्त प्रदेश के अन्दर एवं बाहर दिलचस्पी लेने वाले देशों के विशेषज्ञों का एक दल स्थापित किया जाए जो परियोजना का निरीक्षण करे और सम्बन्धित सदस्य सरकारों के विचारार्थ पद्धति एवं ब्यौरा तैयार करे । भारत सरकार द्वारा अब तक कोई विस्तृत स्कीम विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की गई है।

छात्र-गृह

2245. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या **शिक्षा** मंत्री 25 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में छात्र-गृहों के निर्माण के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने छात्र-गृहों का निर्माण करने का विचार है ; और

(ग) अब तक ऐसे कितने गृहों का निर्माण हो चका है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 17 लाख रुपये।

(ख) भारत में विश्वविद्यालय मानी जाने वाली सभी संस्थाएं और सभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से छात्र-गृह निर्माण के लिए सहायता पाने के हकदार हैं। अभी तक केवल निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने सहायता प्राप्त की है --राजस्थान, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, जीवाजी, इन्दौर, अलीगढ़ मुस्लिम, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ।

(ग) कोई नहीं। किन्तु राजस्थान, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, जीवाजी और इन्दौर विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

Delhi Polytechnic

2246. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Praksh Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Y.D. Singh :
Shri Buta Singh :
Shri S.M. Banerjee :
Dr. L.M. Singhvi :
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of **Education** be pleased to state : (a) whether Government's attention has been drawn to the fact that certain pieces of sculpture made prior to 1962 in Delhi Polytechnic College are now missing from there;

(b) whether it is also a fact that some pieces out of those for which no account has been maintained in the college have been sold in the market;

(c) whether it is also a fact that a professor of college has sold them, declaring them as his personal property; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). No. Sir

(d) Does not arise.

मार्डन प्रिपेरेटरी स्कूल, पोर्ट ब्लेयर

2247. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **शिक्षा** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मार्डन प्रिपेरेटरी स्कूल, पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान द्वीप समूह को कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता देती है ;

(ख) क्या स्कूल में अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस नीति के उल्लंघन में इस स्कूल को सहायता देने के क्या कारण हैं कि "सरकार किसी संसाधन की व्यवस्था नहीं करती है, ऐसे स्कूलों को जहां अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है कोई अनुदान नहीं दिया जाता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। इस स्कूल में हिन्दी भी कक्षा 1 से ही ऊपर तक पढ़ाई जाती है।

(ग) सामान्य नीति तो इसी प्रकार की है परन्तु इस स्कूल को अत्यन्त विशिष्ट रूप में यह अनुदान दिया गया है।

पर्यटक विभाग के भूतपूर्व अधिकारी पर आरोप

2248. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कपूर सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प० ह० भील :
श्री राम सिंह :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री वाडीवा :
श्री जेधे :
श्री द्वाराकादास मंत्री :
श्री म० ल० जाधव :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मणियंगाडन :
श्रीमती सुभद्रा जोशी :
श्री बाकलीवाल :
श्री नरदेव स्नातक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन विभाग के उप महानिदेशक के विरुद्ध कुछ आरोप मिले हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) जांच अभी तक चल रही है ।

हांग कांग में एशियाई महिला हाकी टूर्नामेंट

2249. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें जानकारी है कि गत जनवरी में हांग कांग में हुए एशियाई महिला हॉकी टूर्नामेंट से आखिरी समय पर भारत के नाम वापस लेने पर मेजबान एसोसियेशन तथा एशियाई महिला हाकी संघ के अन्य सदस्यों ने बहुत कड़ी आपत्ति की थी; और

(ख) क्या बाद में इस वर्ष नई दिल्ली में होने वाले एशियाई चैम्पियनशिप टूर्नामेंट का कुछ एशियाई राष्ट्रों द्वारा पारस्परिक बहिष्कार किये जाने के रूप में इसके गम्भीर परिणाम निकलने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) हांग कांग ही केवल ऐसा देश है, जिसने भारत के टूर्नामेंट में भाग न लेने पर खेद प्रकट किया था।

(ख) जी नहीं। इसके अतिरिक्त सरकार को इस वर्ष नई दिल्ली में एशियाई चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में आयोजन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

भ्रष्टाचार की शिकायतें

2250. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1964 में सतर्कता निदेशक, दिल्ली प्रशासन के पास भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं;

(ख) कितनी शिकायतें ठीक पाई गईं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) 184।

(ख) 17.

(ग) सभी मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। उनमें से 6 में कार्यवाही पूरी कर ली गई और 11 में अभी चल रही है। समाप्त होने वाले मामलों में से 5 में यथोचित दंड दिये गये। छठे मामले में सम्बन्धित व्यक्ति को इस्तीफा देने की अनुमति दी गई।

Commission for Scientific and Technical Terminology

2252. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Y.D. Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the members of the Commission for Scientific and Technical Terminology are more than 60 years of age;

(b) whether it is also a fact that appointment of such aged men in the Commission has created a bottleneck in its work; and

(c) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Copyright of Standard Books

2253. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Y.D. Singh :
Shri Bade :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Education** be pleased to state : (a) whether it is a fact that securing copyright of standard books has been stopped as directed by Terminology (Definitions and Scientific) Commission of Central Hindi Directorate as a result of which the entire work has come to a standstill; and

(b) if so, the reasons for which such direction was given.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). It is not true that the entire work of translation has come to a standstill. However, it has been decided by the Standing Commission for Scientific and Technical Terminology not to obtain copyrights for fresh titles, as translation of more than two-third of the books in respect of which copywrights have been already obtained is yet to be completed and it will take some time before these are published. Further, the Commission considers it necessary to review the list of books already selected for translation.

कावेरी के डेल्टा में छिद्रण कार्य

2254. **श्री मुथिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) कावेरी के डेल्टा तथा मद्रास राज्य के तंजावर जिले में पट्टकोट्टाई के निकटवर्ती क्षेत्र में छिद्रण कार्य की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या वहां तेल मिला है ; और

(ग) वहा कितना तेल मिलने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर): (क) कावेरी क्षेत्र में करेकल के पास एक गहरे कुए और पट्टकोट्टाई के पास दो संरचनात्मक कुंओं का कार्य पूरा किया गया है।

(ख) गहरे कुंए के परीक्षण के समय हाइड्रोकारबन की अनुरेखाएं पाई गई थीं।

(ग) इस प्रदेश में तेल की मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी

2255. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय प्रशासन सेवा के कुल कितने अधिकारी हैं; और

(ख) इनमें से कितने अधिकारी तकनीकी तथा अनुसन्धान विभागों या संस्थाओं के प्रभारी विशेषज्ञों के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) 2147।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उर्दू के शायर मीर और गालिब के बारे में अनुसन्धान कार्य

2256. **श्री राम हरख यादव**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नागरिक, श्री अला उल्लाह के० दुरानी, जो अमरीका में बस गये थे, उर्दू के दो मशहूर शायर, मीर और गालिब की कृतियों के अनुवाद तथा उनके सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिये पांच लाख डालर छोड़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य के लिये यह वसीयत भारत सरकार को सौंप दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वसीयतकर्ता की इच्छा को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। वसीयत अमरीका में कुछ न्यासधारियों (ट्रस्टीज) को सौंप दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

"इकाफे" सर्वेक्षण

2257. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशिया तथा सुदूर पूर्व में आर्थिक आयोग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 1964 के लिये आर्थिक स्थिति सम्बन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देशों में पैट्रोलियम उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत क्या थी; और

(ख) विश्व के किसी भी देश में पैट्रोलियम की प्रति व्यक्ति अधिकतम खपत क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) इकाफे की प्रकाशित रिपोर्ट में सूचना उपलब्ध होगी।

(ख) विश्व में प्रति व्यक्ति अधिकतम खपत संयुक्त राज्य अमरीका में है। 1964 में इसका अनुमान 3.379 किलो लिटर लगाया गया है।

भारतीय तेल निगम द्वारा अधिक भुगतान

2258. **श्री किशनपटनायक**: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल समवाय ने 1962 में मैसर्स भोला नाथ एण्ड सन्स को 125 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि गृह मंत्रालय के विशेष पुलिस संस्थान द्वारा अधिक भुगतान के इस मामले की जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) से (ग). जी नहीं। विशेष पुलिस संस्थान ने एक मामले की जांच की और मैसर्स भोला नाथ एण्ड सन्स नामक फर्म को 1962–63 में 6521 रुपये के अधिक भुगतान की रिपोर्ट की। उक्त कम्पनी को किये गये वास्तविक अधिक भुगतान की वसूली का प्रश्न और इस मामले से सम्बन्धित भारतीय तेल निगम के उत्तरदायी अफसरों का मामला विचाराधीन है।

केरल में नये जूनियर कालेज

2259. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री पोट्टेकाट :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने निर्णय किया है कि चालू वर्ष में केरल में कोई नये जूनियर कालेज नहीं खोले जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) जी नहीं। केरल विश्वविद्यालय ने 1965–66 के दौरान 17 जूनियर कालेज खोलने का प्रस्ताव किया था किन्तु राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय को सलाह दी कि वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कालेजों की संख्या न्यूनतम रखी जाये; और केवल उन्हीं क्षेत्रों में नये कालेज खोले जायें जहां आवश्यक हों।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में आडिटोरियम

2260. **श्री लखमू भवानी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में आडिटोरियम बनाने के लिये मध्य प्रदेश के स्कूलों व कालेजों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के लिये 1965–66 के लिये कितनी धन राशि निश्चित की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कुछ नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश की अनुमोदित तीन प्रायोजनाओं के लिए किस्तों में दी जाने वाली रकम में से 40,000 रुपये बाकी हैं। इस रकम का भुगतान, इसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करते ही कर दिया जायेगा।

मद्रास में वरयूर में पुरातत्वीय खोज

2261. **श्री सेझियान :**
श्री शिवशंकरन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में वरयूर में मिट्टी के दुर्लभ बर्तनों तथा पुरातत्वीय महत्व के आभूषणों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खुदाई कराने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मिट्टी के बर्तन तथा व्यक्तिगत सजावट की कुछ रोचक चीज़ें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) मिट्टी के बर्तन जैसे नक्काशीदार भांडे, ठप्पेदार चीज़ें और काले व लाल रंग के बर्तन–जो कि ईसवी युग के आरम्भ के हैं––मिट्टी की मूर्तियां, मालाओं के दाने, कंगन और पहली व दूसरी शताब्दी के ब्राह्मी लिपियों में खुदे हुए ढांचे ।

(ग) मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा खुदाई की जा रही है और भारत सरकार का इसमें हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है ।

भूगोल की शिक्षा

2262. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मिडल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर भूगोल पढ़ाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन कक्षाओं में भूगोल पढ़ाने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) जी नहीं । मिडिल स्तर पर "समाज अध्ययन" के विषय के अन्तर्गत भूगोल शामिल किया गया है, जो एक अनिवार्य विषय है । उच्च माध्यमिक स्तर पर, भूगोल एक वैकल्पिक विषय है और यदि किसी स्कूल की कक्षा 9 में इस विषय को लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 12 हो तो इसके शिक्षण का प्रबन्ध किया जाता है ।

(ख) से (ङ) तक. प्रश्न नहीं उठता ।

कम मूल्य वाली पुस्तकें

2263. **श्री राम हरख यादव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1965 को दिल्ली में हुए भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के समारोह में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये इन दो सुझावों की ओर आकर्षित किया गया है कि जन साधारण के लिये पुस्तकों की कीमतें कम रखी जायें और विज्ञान तथा

इतिहास की पुस्तकों को हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्यों में पहले से ही समाहित हैं, जिन में निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

(1) सत्साहित्य का उत्पादन और इस प्रकार के साहित्य का जनता को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना, तथा

(2) पुस्तकों का प्रकाशन, जिसमें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लोक-प्रिय विस्तार के लिए आधुनिक ज्ञान की प्रमुख पुस्तकें सम्मिलित हैं ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास (ट्रस्ट) कार्य कर रहा है ।

केरल के सरकारी अधिकारियों का आचरण

2264. **श्री पोट्टेकोट्ठ :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद कितने कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कर्तव्य विमुखता आदि के लिये कार्यवाही की गई है;

(ख) इस अवधि में कितने कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त किये गये; और

(ग) ऐसे कितने मामले अनिर्णित पड़े हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) :

(क) 2141
(ख) 68
(ग) 955

} राष्ट्रपति का शासन शुरू होने के समय लम्बित मामलों को मिला कर ।

Teachers of Delhi Aided Schools.

2265. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the teachers of a number of recognised and aided Higher Secondary Schools of Delhi are not being paid their salaries in time regularly whereas the Directorate of Education gives three months' advance salaries in the shape of grants, to such schools.

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that the teachers represented that thier salaries might be paid direct by the Directorate of Education; and

(d) if, so, the action taken thereon ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There have been some cases in which there was delay in payment of salaries.

(b) the main reason for such delays in payment is the inability of the managements to find well in time the matching contribution amounting to 5% of the deficit.

(c) Yes, Sir, in a few cases only.

(d) In most cases,the managements concerned were advised by the Directorate to make regular payments and this had the desired effect. In some disputed cases, the Directorate has made direct payment also.

Education Commission

2266. Shri Lakhmu Bhawani : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress made in the work of Educaton Commission, and

(b) when a report is likely to be submitted by the Commission ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. LT. 4191/65]

(b) About the end of March 1966.

कछार में भूमि को कृषि योग्य बनाना

2267. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको 1964 में कछार का दौरा करने के दौरान वहां की जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि नये आप्रवासियों को बसाने के लिये कछार में भूमि को कृषि योग्य बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां ।

(ख) जिला कछार में विस्थापितों को भूमि पर बसाने के लिये आसाम राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि स्टेट फार्म लगाने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार की जायें । योजनाओं की प्रतीक्षा है ।

भद्रावती शिविर में चेचक का प्रकोप

2268. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के भद्रावती शिविर में चेचक महामारी के रूप में फैल गई है;

(ख) क्या बहुत से लोग शिविर छोड़ कर चले गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो महामारी और लोगों के शिविर छोड़ कर जाने की रोकथाम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) मार्च, 1965 में 63 बनावटी विस्थापित परिवार इस डर से शिविर छोड़ कर चले गये हैं कि छानबीन टीमों द्वारा इन का यह भेद खुल जायेगा और न कि कथित महामारी के कारण ।

(ग) मुमकिन महामारी को रोकने के लिये, सामूहिक रूज में, टीके लगवाने की व्यवस्था की गई थी और मार्च, 1965 में यह कार्य पूर्ण हो गया है । ऐसे बनावटी विस्थापित जो सक्रीनिंग करवाने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें शिविर में ठहराने के सम्बन्ध में समझाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एक डाक्टर का आगमन

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I beg to call the attention of the Minister of Health to the following matter of Urgent Public Importance and request her to make a statement thereon :—

"Recent visit of a South African doctor to the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi".

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Professor C.N. Barnard, Associate Professor of Surgical Research, University of Capetown, visited the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, on his way back to his country after attending a scientific assignment with the Auckland Postgraduate Medical Committee, University of Auckland, New Zealand. Dr. Barnard is among the world's most outstanding Cardiac Surgeons. His technique of replacing diseased aortic and mitral valves with artificial valves is considered to be of a very high order. Dr. Barnard's outstanding contribution to cardiac surgery is the surgical management of complicated congenital heart lessions and acquired valvular disease of the heart. He has designed his own type of artificial prosthesis for heart valves, which has been used on a large number of patients with remarkable success.

Dr. Barnard was in correspondence with Dr. Gopi Nath when the latter was at Vellore and had suggested a visit to meet Dr. Gopi Nath in India As Dr. Gopi Nath had in the meantime joined the All India Institute of Medical Sciences, that Institute sought Government's permission to allow Dr. Barnard to visit India on his way back home from New Zealand. It was considered that such a visit would be beneficial to the development of cardiac surgery here—especially the technique of replacement of diseased

[Dr. Sushila Nayar]

aortic and mitral valves. A large number of patients with advanced valvular disease of the heart, needing this type of surgery are seen in India.

Permission was given in consultation with the Ministries of Home and External Affairs. Dr.Barnard came to Delhi on the 28th March,1965 and left on the 7th April, 1965. He was on his way back from Auckland where he had been invited to participate as a distinguished Surgeon in a course in Cardiac surgery at the Auckland University of New Zealand. He was in fact, one of the two distinguished invitees from outside New Zealand and Australia.

During his visit to the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Dr. Barnard gave two lectures and showed films demonstrating cardiac operations. Discussions took place between him and corresponding staff of the All India Institute of Medical Sciences, during which the latter gained valuable information about the use of Dr. Barnard's aortic and mitral valve prosthesis which is a real improvement on the prosthesis used in other countries. Dr. Barnard has also donated artificial heart valves which are not available in the market for the use of the All India Institute of Medical Sciences.

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that in October, 1964 Dr. K. S. Sen had not been permitted to go to Johannesburg by the Government of South Africa because of their racial policy even at the invitation of the reputed surgeon of Johannesburg? If so, how far this Government was justified in extending invitation to him?

Dr. Sushila Nayar : We have no information about Dr. Sen because no correspondence was made through Government in that connection. Government has not extended any special invitation to Dr. Barnard. He had expressed a desire to have discussions with our doctors when passing through India and we gave him permission.

Shri Kishen Pattnayak : (Sambalpur) : Is Dr. Barnard a racist or not? Did Government try to ascertain this fact?

Dr. Sushila Nayar : South Africa does practise a racial policy. But Dr. Barnard is a thorough gentleman and does not believe in racialism. That was why he wanted to have an exchange of ideas and we gave him permission.

Shri Kishan Pattnayak : Is Dr. Barnard in favour of the entry of non-white in his country ?

Shri Sushila Nayar : He is a doctor and not a diplomat. He is not a member of the Government and has no authority to allow or not to allow any person to enter his country. He is simply a doctor and has a scientific outlook towards his profession and not a racial one.

श्री वारियर (त्रिचूर): क्या उनको निमन्त्रण देने से पहले किसी मित्र देश की मार्फत जिस के दक्षिण अफ्रीका की सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं उनके पूर्व इतिहास के बारे में पता लगाया गया था ?

डा० सुशीला नायर : उनका पहला इतिहास बहुत ही सन्तोषजनक है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या माननीय मन्त्री को यह जानकारी है कि अपनी रंगभेद नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार गैर-यूरोपीय गौरवशाली खिलाड़ियों, लेखकों, कलाकारों तथा वैज्ञानिकों को गौरवशाली नहीं समझती है । क्या यह भी सच है कि विश्व चिकित्सा संस्था सम्मेलन को (वर्ल्ड मेडिकल एसोसियेशन कान्फ्रेंस), जो दक्षिण अफ्रीका में किया जाना था, इस कारण

रद्द करना पड़ा था कि वहां की सरकार ने गैर-यूरोपीय व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, तथा करीब करीब उसी समय हमारी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के श्वेत व्यक्तियों को भारत आने की अनुमति न देने का फैसला किया था ? इसको देखते हुए क्या डा० बर्नार्ड के भारत आगमन से वह निर्णय रद्द हो गया है ?

डा० सुशीला नायर : आम तौर से भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भारत आने की अनुमति नहीं देती है। फिर भी, विज्ञान के क्षेत्र में भारत सरकार का विचार कोई रुकावटें पैदा न करने का रहा है, और भूतत्वीय कांग्रेस आदि में भाग लेने के लिये उन्हें भारत आने की अनुमति दी गई है। भारत सरकार किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उन्हें यह छूट दे सकती है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Atrocities were committed on Mahatma Gandhi during his stay in South Africa. Even today, Indians are not being treated honourably. Keeping that in view was it proper to invite this Doctor? We hate South Africans because they hate us the—non-white population. What action her Ministry is taking to set at rest the extrangement caused to Indians by this invitation?

Dr. Sushila Nayar : I have all sympathy for the feelings expressed by the hon. Member. It is in our interest that at least some scientists should come to India and have discussions here and return to their country enlightened and with praise for India, so that they can tell their people that the policy pursued by them is an act of sheer foolishness.

श्री दाजी (इंदौर) : वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने यह जानकारी प्राप्त की थी कि उक्त डाक्टर दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरोधी हैं अथवा नहीं। क्या इस डाक्टर ने उस नीति के विरोध में कभी खुल्लमखुल्ला अपने विचार व्यक्त किये हैं ?

डा० सुशीला नायर : वैज्ञानिक लोग आम तौर पर ऐसी गतिविधियों से दूर ही रहते हैं। रंगभेद नीति के बारे में उक्त डाक्टर की राय के बारे में आगे और कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि मैं अधिक कह कर उनके लिये उनके देश में मुसीबत उत्पन्न नहीं करना चाहती।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री से पूछा गया है कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी। "हां" या "ना" में उत्तर से सारा झगड़ा समाप्त हो जायेगा।

डा० सुशीला नायर : ऐसे मामलों में केवल व्यक्तिगत आधार पर ही पूछताछ की जा सकती है और हम सन्तुष्ट हो गये हैं।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। परन्तु हम अपनी नीति पर कायम हैं कि साधारणत: दक्षिण अफ्रीका के लोगों को भारत आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ मामलों में अनुमति दी जा सकती है और वह भी पूरी एहतियात करने के बाद ? हमारी राय में विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी रुकावटें नहीं होनी चाहियें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भी पारस्परिक आधार पर अथवा अन्यथा किसी विख्यात भारतीय को दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करने की अनुमति दी है ?

डा० सुशीला नायर : मुझे आशा है कि हमारी नीति का प्रभाव अवश्य ही होगा और कुछ भारतीय वैज्ञानिकों को भी शीघ्र ही वह सुविधा दे दी जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या अब तक किसी भारतीय को अनुमति दी गई है ।

डा० सुशीला नायर : मुझे उसकी जानकारी नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीन को भारत का नोट

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं भारत स्थित चीन के दूतावास को दिये गये भारत सरकार के 7 अप्रैल, 1965 के नोट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०--4185/65]**

मद्य निषेध अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा दिनांक 24 मार्च, 1965 के खण्ड (सी) (चार) के साथ पठित मद्य-निषेध अधिनियम, 1950 (1950 का केरल अधिनियम 13) की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 3 मार्च, 1964 का एस० आर० ओ० 48/64
(दो) दिनांक 1 सितम्बर, 1964 का एस० आर० ओ० 269/64
(तीन) दिनांक 15 सितम्बर, 1964 का एस० आर० ओ० 283/64
(चार) दिनांक 6 अक्तूबर, 1964 का एस० आर० ओ० 306/64
(पांच) दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 का एस० आर० ओ० 378/64

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ए०ल०टी०—4186/65]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : POINT OF PRIVILEGE

Shri Bade (Khargone) : Sir, on a point of order. The Congress President has issued a statement that the cabinet has taken a decision and a Bill regarding Hindi will shortly be introduced. Can such a statement be made when Parliament is in Session ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है तो उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है मैंने माननीय सदस्य को इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी है ।

Shri Bade : * * *

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not recorded.

Shri Hukam Chand Kachhaviya (Dewas) : * * *

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : * * *

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : क्या सदन के नेता इस वक्तव्य पर आपत्ति प्रकट करेंगे और सभा में सभा के विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव पेश करेंगे ? इस प्रकार का वक्तव्य देने का कोई औचित्य नहीं है । सभा का विशेषाधिकार भंग करने के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । संसद् उनके नियन्त्रण में नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : संसद् किसी बाहरी व्यक्ति के नियन्त्रण में नहीं है । यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, यहां तक कि मन्त्री भी, सभा के बाहर कोई वक्तव्य देता है तो उससे विशेषाधिकार का भंग नहीं होता । हां, अच्छा यही है कि मन्त्री महोदय पहले सभा को ही जानकारी दें । यह कुछ सीमा तक अनुचित हो सकता है परन्तु इसे विशेषाधिकार भंग का मामला नहीं कहा जा सकता । मेरे पूर्वाधिकारियों की भी यही राय रही है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

Shri Prakah Vir Shastri : You, Sir, are the guardians of our rights and privileges. The President of the ruling party cannot make such a statement. Only the Prime Minister or the Home Minister can make such statements. That is our contention.

Mr. Speaker : I am not concerned with it.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : आपने सभा के प्रति शिष्टता के अभाव तथा सभा के अवमान के बीच भेद किया है । परन्तु इससे कोई निर्णय करने में कठिनाई होगी कि आया यह अशिष्टता का मामला है अथवा अवमान का । मेरी राय में ऐसा भेद करना खतरनाक सिद्ध होगा ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने मुझे ठीक तरह से नहीं समझा है । अशिष्टा का प्रश्न तभी उठेगा जब कि मन्त्रीगण सभा के बाहर ऐसा कोई भाषण दें । अन्यथा नहीं ।

माननीय सदस्य कृपया कार्यवाही को आगे चलने दें और बार बार उठने की कोशिश न करें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र--जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*contd.*

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 3 अप्रैल, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 524 की एक प्रति जिसके द्वारा आयातित खाद्यान्न (अनधिकृत विक्रय पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1958 को दादरा तथा नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र पर लागू किया गया था सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०--4187/65]

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not recorded.

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

उनहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं परिवहन मंत्रालय--विशाखापट्टनम तथा तूतुक्कुडि पत्तनों--के बारे में प्राक्कलन समिति का उनहत्तरवां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चौथा प्रतिवेदन

श्री प० गो० मेनन (मुकुन्दपुरम) : मैं भारत के जीवन बीमा निगम, बम्बई, के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक
HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The moion was adopted

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जानकारी प्राप्त करने के बारे में
Re: POINT OF INFORMATION

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछले कुछ सप्ताह में बहुत से विधेयक पुरः स्थापित किये गये हैं । क्या उन पर इसी अधिवेशन में चर्चा हो जायेगी अथवा वे अगले अधिवेशन में लिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री किसी दिन इसकी घोषणा कर देंगे । उन्हें अगले सप्ताह की कार्य-सूची की घोषणा करनी ही है ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I have to say something about the demands relating to Lok Sabha and also about Shri Madhu Limaye. If you are not allowing me to speak on the merits and demerits of your decision, I must express my helplessness. When I say that constitution is being violated you ask me to go to the court. I do not like to go to court but I have no other way to expess my grievance. I shall express my helplessness twice and then I would be forced to take the issue to the court. That is all I want to submit.

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

श्रम और रोजगार मंत्रालय—जारी

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : वर्तमान चीनी मजूरी बोर्ड की अवधि समाप्त होने वाली है इसलिये मेरा निवेदन है कि चीनी उद्योग के लिए दूसरा मजूरी बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जाना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद बेरोजगारी की समस्या और अधिक गम्भीर होती जा रही है । बेरोजगारी और अधिक न बढ़ने देने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी बन्द कर देनी चाहिये । यदि कारखानों के विस्तार के कारण श्रमिकों की छंटनी की जानी है तो श्रम मंत्रालय को यह देखना चाहिये कि वे कारखाने सरकार के साथ किये गये समझौतों का पूर्ण रूप से पालन करें । बेरोजगारी की समस्या शहरों तक ही सीमित नहीं है अपितु गांवों में भी बेरोजगारी मौजूद है । इसलिये यह जरूरी है कि छोटे तथा कुटीर उद्योगों पर अधिकाधिक जोर दिया जाये । श्रम मंत्रालय को उद्योग मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कदम उठाने के लिए राजी करना चाहिये ।

गोरखपुर श्रम डिपो 1942 में संकटकाल के समय कायम किया गया था और इस डिपो द्वारा लद्दाख, आसाम आदि जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए मजदूरों की व्यवस्था की गई है । पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया मजूरी के रूप में प्राप्त कर रहा है । इसलिये इस पद्धति को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये । यह आरोप लगाया गया था कि यह डिपो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है । इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति भी नियुक्त की गई थी । उससे पहले श्री विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी । किसी भी समिति ने इस पद्धति को समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया है । यदि मंत्रालय को अभी भी सन्देह है कि यह पद्धति ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है तो उन्हें इसकी जांच के लिए एक अन्य समिति नियुक्त कर देनी चाहिये । हम उसकी सिफारिश मानने के लिए तैयार हैं । मेरा निवेदन है कि मंत्रालय को गोरखपुर श्रम डिपो को समाप्त करने के बारे में जल्दी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिये क्योंकि इससे उस क्षेत्र के लोगों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ।

[श्री काशी नाथ पान्डे]

हाल के निणय के परिणामस्वरूप कारखानों के मालिकों को निर्बाध स्वतंत्रता दे दी गई है। यदि वे अनुशासन सम्बन्धी किसी मामले में पूर्ण जांच कर लेते हैं, तो उस अवस्था में न्यायालयों को विस्तार में जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। पीड़ित कर्मचारी को न्यायालय में जाने का अधिकार होना ही चाहिये। इसलिये पीड़ित कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

बोनस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार 10 लाख व्यक्तियों को उतना बोनस नहीं मिल सकेगा जितना उन्हें पहले मिल रहा था। इसलिये सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उन लोगों को यह आश्वासन दे कि उन्हें कम से कम वह बोनस मिलता रहेगा जो उन्हें पहले मिलता था।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विभिन्न संकल्पों में निहित उपबन्धों का पालन करने के उद्देश्य से काफी संकल्प पास किये हैं। हमने दूसरे देशों द्वारा अपनाई गई सभी बातों को अपनाया है। श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न नियम तथा विधियां हैं। परन्तु खेद की बात यह है कि नौकरशाही के मानसिक दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वह, देश की विधियों को कार्यान्वित करने में असफल रही है। दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग औद्योगिक विवाद उत्पन्न करने तथा उन्हें हल करने का प्रयत्न किये बिना बनाए रखने की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा करके गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उन पर बहुत अधिक कर लगाये गये हैं जबकि वास्तव में उन पर कर बोझ जन साधारण से अधिक नहीं है। खर्चा कम करने के उद्देश्य से वे कुछ उच्च पदों तथा कभी कभी कुछ नीचे के पदों को भी कम करते रहे हैं। वे 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को नौकरी से अलग कर देते हैं। इसके पीछे भी प्रशासन का खर्च कम करने का ही उद्देश्य है, क्योंकि नये व्यक्तियों को कम वेतन देना पड़ेगा, इस प्रकार उद्योग अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित किये जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र भी अपने को बदली हुई परिस्थितियों तथा सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप नहीं ढाल पाया है और इसलिये वे सारा दोष श्रमिकों पर थोप रहे हैं कि उन्हीं द्वारा विवाद उत्पन्न किये गये हैं।

बीड़ी श्रमिकों, चलचित्र श्रमिकों आदि के अधिकारों के संरक्षण के लिए और अधिक श्रम विधेयक लाने के आश्वासन दिये जाते रहे हैं। उन्हे अन्तिम रूप देने में समय लगता है। इस बीच सरकार द्वारा मजूरी बोर्डों की नियुक्ति की गई है परन्तु वास्तव में उन्हें नियुक्त करने में दस वर्ष लग जाते हैं और पांच वर्ष के पश्चात् वे अपना पंचाट देते हैं। 15 वर्षों के पश्चात् आर्थिक ढांचा ही बदला हुआ होता है। इसलिये बदली हुई परिस्थितियों में दूसरा मजूरी बोड नियुक्त करना जरूरी हो जाता है।

बोनस आयोग द्वारा एकमत से दिये हुए पंचाट में दूसरे पक्ष से परामर्श किये बिना परिवर्तन कर दिया गया है। भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री वी. वी. गिरी ने बैंक पंचाट में परिवर्तन

किये जाने पर अपना त्यागपत्र दे दिया था। माननीय श्रम मंत्री को बोनस आयोग के पंचाट में किये गये परिवर्तन के बारे में सभा को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराना चाहिये।

इंडियन एक्सप्लोसिव्स वर्क्स, गोभिया (बिहार) के अधिकांश कर्मचारी हिन्द मजदूर सभा यूनियन के सदस्य हैं परन्तु न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी राज्य सरकार उस यूनियन को मान्यता प्रदान करने के मामले में आनाकानी कर रही है। रूरकेला इस्पात कारखाने के मामले में भी "इंटक" (आई. एन. टी. यू. सी) यूनियन को मान्यता प्रदान की गई है जबकि वास्तव में हिन्द मजदूर सभा यूनियन के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है।

एक बहुत ही विचित्र बात यह है कि भारत सरकार ने बिहार के एक चीनी मिल—मोहिनी शगर मिल्स— को अपने हाथ में ले लिया है और उसके बारे में कुछ निर्णय दिये गये हैं। मोहिनी शुगर मिल्स कर्मचारी संघ के सेक्रेटरी ने हाल ही में केन्द्रीय श्रम मंत्री को एक पत्र भेजा है और उनसे इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। वे चाहते हैं कि सभी सरकारी आदेशों, कानूनों तथा समझौतों का पालन किया जाये। ऐसा न किये जाने के विरोध में उक्त मिल के दो कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं।

सरकारी उपक्रमों अथवा रेलवे या अन्य सरकारी विभागों में फालतू तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों को अन्यत्र खपाया जाना चाहिये। श्रम मंत्री को एसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि सभी फालतू तथा छंटनी किये हुए व्यक्तियों को रोजगार दिया जाये और सामयिक श्रमिकों को केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाये गये वेतन-क्रम ही दिये जायें।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके।

रेलवे कर्मचारियों के लिए अनाज की दूकानें खोलने तथा ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों के लिए, जहां 300 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, सस्ती दूकानें खोलने के बारे में दिये गये आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

अन्य नागरिकों को प्राप्त अधिकार तथा विशेषाधिकार सरकारी कर्मचारियों को भी प्रदान किये जाने चाहिय और सभी दोष श्रमिकों पर ही नहीं थोपा जाना चाहिये। सरकार श्रमिकों को मूल सुविधाएं देने में असफल रही है। मुझे आशा है कि श्रमिक वर्ग तभी चैन लेगा जब उसे ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी।

श्रम कानूनों का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिये और उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये जो कानूनों को कार्यान्वित करने में कोताही करते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को नगरपालिका आदि के चुनावों में खड़े होने की स्वतंत्रता होनी चाहिये जैसा कि द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है, छंटनी किये गये या सेवा से हटाये गये व्यक्तियों के मामले संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने चाहियें।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : बढ़ती हुई महंगाई तथा बेकारी के कारण श्रमिक वर्ग की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो सका है। इस मंत्रालय द्वारा श्रमिक वर्ग के लिए जो

[डा० मेघकोटे]

गृह-निर्माण योजना तैयार की गई थी वह कार्यान्वित नहीं की गई है जब कि कारखानों के लिए भवनों के निर्माण आदि पर इतनी अधिक राशि खर्च की जा रही है। औद्योगिक सम्बन्धों में भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है ।

दिल्ली में श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीय संस्था खोलने के लिए श्रम मंत्रालय बधाई का पात्र है ।

श्रम विभाग को श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिये। इस विभाग के अधिकारी साहसी होने चाहियें और यदि स्वयं सरकार द्वारा किसी श्रम सम्बन्धी कानून आदि का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहिये। साहसी रवैया अपना कर ही श्रमिकों के वास्तविक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

बहुत से सरकारी उपक्रमों में श्रम अधिकारियों को भेज कर भी मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है । इससे विवादों को हल करने में सहायता मिली है और कुछ महत्वपूर्ण उपक्रमों में हड़ताल न होने देने के लिए भी उपाय किये गये हैं। सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में भी इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने पर विचार करना चहिये ताकि गैर-सरकारी उपक्रमों में भी हड़तालों के कारण होने वाली हानि को बचाया जा सके। ऐसा जनशक्ति की कमी के कारण अथवा प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी के करण हुआ है, अथवा किसी और कारण से। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और आगामी वर्षों में स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी ।

अब राष्ट्रीय आय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । मज़दूरों को जीवन निर्वाह व्यय के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। सरकार को बढ़ी हुई आय के अनुसार ही सर्वसाधारण में इसका समान रूप से वितरण करना चाहिये जिससे उनको भी मालूम हो सके कि राष्ट्रीय आय बढ़ी है ।

मैंने आज तक कभी भी यह नहीं सुना था कि गजेटेड अफसरों, सरकारी स्कूलों के अध्यापकों तथा डाक्टरों ने हड़तालें संसार में कहीं भी की होंगी। लोग तो कभी शिकायतें करते ही नहीं हैं । परन्तु जब एक उचित चीज किसी को नहीं मिल पाती है तो उसको क्षोभ अवश्य होता है और वह उसका अवश्य दर्शन करता है। जब मध्यवर्ग ही असंतोषी हैं और आन्दोलन करता है तो मज़दूर वर्ग जो उत्पादन में लगा हुआ है उसका क्या हाल होगा। आज राष्ट्रीय आय 3000 करोड़ रुपये से 15,000 करोड़ रुपये हो गई है परन्तु मज़दूर वर्ग की हालत वैसी ही बनी हुई है । मेरा यही कहना है कि इसका उचित वितरण होना चाहिये ।

औद्योगिक मजदूरों की हालत तो फिर भी अच्छी है परन्तु खेती मजदूरों की हालत बहुत खराब है। वह शिकायत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि शिकायत करने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है और दूर जाने में उन्हें समय बरबाद करना पड़ता है । सरकार को इनकी हालत सुधारने के लिए कोई क़दम उठाना चाहिये। मैं दोबारा इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आय का उचित तथा समान वितरण होना चाहिये ।

आज वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं परन्तु उनके अनुसार मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। सरकार को मज़दूरों के वेतन तथा मंहगाई भत्तों को इसी के अनुसार बढ़ाने के लिए क़दम उठाने चाहिएं ।

आज बोनस के बारे में सरकार तथा मजदूर दोनों ही बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। बोनस लाभ के ऊपर वितरित किया जाता है तथा लाभ की जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजूरी की गणना की जाती है। जब आप इस मजूरी को नहीं दे रहे हैं तो लाभ की गणना ठीक प्रकार से कैसे कर पायेंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि पहले आप जीवन निर्वाह के लिए उचित मजूरी दें तथा फिर लाभ की गणना करें। बोनस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है परन्तु सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई क़दम अभी तक नहीं उठाया है। मैं आशा करता हूं कि श्रम मंत्री शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ।

आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। मैं राजस्थान, बिहार, त्रावनकोर-कोचीन तथा अन्य स्थानों पर गया हूं। मैंने प्रत्येक स्थान पर पाया है कि इन सभी स्थानों की स्त्रियां गर्भ निरोधक वस्तुओं का इस्तेमाल करने की इच्छुक हैं। परन्तु इनको ये वस्तुयें नहीं मिल रही हैं।

इस वर्ष बहुत सी हड़तालें हुई हैं तथा बहुत ही जनशक्ति काम में नहीं आयी है। हमारी सरकार लोकतंत्रीय सरकार है तथा हम समाजवाद लाना चाहते हैं। इसलिए हमें लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो लोकतंत्रीय सरकार अथवा समाजवादी ढंग की समाज बनाने के इच्छुक हैं।

अन्त में मैं श्रम मंत्रालय की सराहना करता हूं तथा उनकी मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shrimati Ramdulari Sinha (Patna) : Mr. Speaker, Sir, I have read the Report of Labour Ministry and am of the view that this department is becoming weak day by day. I am of the opinion that we should add Housing and social welfare with this Ministry. Now we find this Ministry is engaged only in the work of settling some labour disputes. I feel that this is not the only work this department should be engaged in. This should guide the other departments in doing something for the welfare of the workers. To-day we find woman workers engaged in all type of works but they are being paid less than this men counterpart. This type of anomaly should be done with.

In the first five year plan Govt. have fixed the target of giving needful wages or living wages to the labourers. But in the second five year plan emphasis was made to implement socialistic programmes. This is unfortunate that Hon. Minister has not stated that the targets in regard to giving needful wages has not been fulfilled.

I am happy that a special panel is opening to be established for labour matters in the fourth plan. I want to draw the attenion of the minister and the house that we appoint so many committees and panels but never implement their decisions. I am of the opinion that if we want to set up socialistic Pattern of society we should be particular in implementing the decisions of those committees.

It has been stated in the report of this ministry that consultations are going on with the law department for the implementation of labour acts in the public sector industries. I am not happy over this. I think that this is not the time of consultation but this is the time to introduce them in all public sector industries so effectively that they may become model to Private sector industries.

We have been informed that labourers will also get share in the profit of the industry. But after reading the report I came to know that this has not been done. In the speech of Hon. Finance minister I have heard that our production has increased by 8 percent and national income has increased by 4 percent. I want to know how much has been given to labourers out of

[Shrimati Ramdulari Sinha]

this 4 percent. I would also like to know the steps Govt. would like to take to ease the unemployment in the country.

I find that we are not giving that much importance to our labour as it is necessary. If our labourers will go on strike then it will become very difficult for us to increase our production and there will not be any production how we will defend our country. Therefore, we should try to improve the condition of our labourer so that they get encouragement to increase the production.

I am also worried that there are so much differences amongst our unions that the work for the benefit of labourers is hampering. I appeal to the Labour Minister to do something so that all the differences of all these unions should end and all should work hand in hand to increase production and to do something for the development of the country.

In the report it has been given that the ministry will start a programme for the training of unemployed labourers. This is very good programme but Government should also make arrangements to give employment to these trained men in the industries as and when any necessary arises.

Shri Bade (Khargon): This ministry has two wings, labour and employment. I am coming from villages and my constituency is of villages. Therefore I want to draw the attention of the minister towards the agriculture labourers who are always down trodden.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I find that this ministry has not given so much attention towards these poor people as was expected from them. In the report of Estimates Committee also, it has been emphasised that we have in India more agricultural labourers than in any other industry. Therefore I ask the Government that why they have not put these labourers also under Minimum Wages Act. I say that those persons who have never given any attention towards these labourers have not got any right to go there to ask for vote.

I want to draw the attention that the INTUC etc. all Trade Unions are working for the welfare of factory workers. Therefore it becomes the responsibility of the Government to look after the agricultural labourers and do needful for their welfare. But Government is doing nothing for their welfare. I find that the agricultural labour is being paid at the rate of 12 annas per day and woman labourers at the rate of eight annas per day. This is very meagre amount and as Government is not taking any interest therefore they are loosing faith in the Government. In this connection I want to draw the attention towards the pitiable condition of Tribal people in my State, Madhya Pradesh. They are there numbering 66 lakhs. I know that they have cultivated forests but army asked them to move and they have been dislodged from there. Labour ministry should look in this.

The Estimates Committee has observed in their report in regard to unemployment that the situation has not eased very much. I suggest that the Government should provide for the training of these unemployed persons. The

training institutions should be opened in whole of India and specially in the backward areas.

I find that there is much demand for technical personnel in our country. When I was a member of P.A.C. we visited a repair Depot at Kanpur. It was empty. I asked the reason. They told me that they did not have the required number of persons. Government should look into this.

I want to give some unemployment figures about Madhya Pradesh. There are 48 employment exchanges and the persons registered in them are 2,21,090 but the notified vacancies are about 63,000. These are the figures of M.P. only. All India figures must be much more. I want that what action Government propose to take to solve this problem. You have provided to give employment to 87,000 persons in the next Five years but I find that there are 35 lakhs persons in M.P. who are seeking employment. I say with full force that you, who are disciples of Gandhiji, got no right to remain in big bunglows and enjoy when so many persons are unemployed and do not get food due to this.

It has been decided and announced by the Government that they will have a tripartite Commission for the distribution of Bonus and this Bonus will be given to the workers of those factories, who have workers more than three hundred. I suggest that the Bonus should be given to all workers whether they are working in small factories or big factories.

Government also say that that decision of the wage board will be implemented which is unanimous. I want to know why employers will agree to a decision which is harmful for them. I also suggest that their D.A. should also be linked with the cost of living index. The wage policy for labourers should be need based minimum policy and this should be provided in the Minimum Wages Act.

There should be closest possible relations between all the departments of Government of India in regard to all the labour problems. This view was expressed by the Estimates Committee in the end I again emphasise that our Government should try to do something so that all our labour problem should be solved.

Shri A.N. Vidyalankar (Hoshiarpur): I am very happy that our labour department is in safe hands now and the Minister in charge is such an able man that we can have all confidence in him. He has ability to solve the problem with smile. I have never seen him baffled over even serious problems. I find that he is engaged these days with two problems, one is labour trouble in States and the other is labour trouble in Public sector industries. But I am sure that he will solve all these problems with confidence.

Here we enact so many labour laws for the welfare of labourers but at the time of their implementation so many difficulties come in the way. I know that courts have interpreted and issued orders in favour of labourers in regard to festival holidays, overtime payments, retrenchments etc. But all these things are still not provided to these persons.

Somebody has observed here that prices have gone up since 1963 to Jan. 1965. Food prices have gone up by 35 per cent. Wholesale prices have gone up by 24 per cent. Even then I find that the wages of workers have not been increased. I suggest the work of wage board should be expedited so that these workers may get needful wages.

I have seen the figures and found that our national income has arisen but I also find that this income has not been distributed equally. Our national income should be distributed equally.

Daily I hear here that incentive to industries should be given but I have never heard any labourer saying that he wants incentive. Whether any Trade union has passed any resolution for incentives. Therefore all this shouting here in regard to incentive is useless. Hon. members should not plead the case of industrialists in this way and should not ask for incentives to them. We should provide incentive to workers by giving them good wages and providing them with cheap commodities.

In the report I find that the number of production committees have gone up from 1600 to 2000. But their working is not satisfactory. Government should look into. In those factories where more than 300 employees are working, fair price shops should be opened.

We were in the hope that in our future society our labourers will be partners in all the industries. This practice is prevalent in Yugoslavia and some other countries. But I find that in India in 97 units labourers are members in the managing Councils and out of them 36 units are of Public sector. But these managing councils do not serve any purpose. They do only routine work.

We want that the wages should be need based and the labourers are not getting what they should get as bonus. Bonus Commission has given its report but their recommendations are not being implemented. These should be implemented immediately.

I am also of the opinion that a evaluation should be made of Worker's education so that we can know the effect of education on our workers. We should try to emphasis on workers through education that they can make use of trade union for this benefit and they should not use these unions for sabotage activities. In the end I thank you for allowing me to speak.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : यद्यपि यह ठीक है कि उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है किन्तु श्रमिकों की वास्तविक स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ ।

सरकार की नीति सदैव एकाधिकार को प्रोत्साहन देने की रही है जिसका परिणाम यह हुआ है कि देश में धनी वर्ग अधिक धनी होता गया और निर्धन अधिक निर्धन । इस प्रकार धन सब पूंजीपतियों के हाथों में चले जाने के कारण शोषित निर्धन वर्ग में असंतोष पैदा हो गया है ।

मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि श्रमिकों की वास्तविक मजूरी 1951 की अपेक्षा कम हो गई है । 1951 की वास्तविक मजूरी 1939 की अपेक्षा कम थी । सरकार द्वारा अनेक आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी मजूरी सम्बन्धी नीति में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया । जब तक श्रम नीति में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता श्रमिक वर्ग का भविष्य उज्वल नहीं हो सकता । 1963 की तुलना में 1964 में अधिक जन दिनों की हानि तथा अधिक हड़तालें और तालाबन्दियां हुई । इसमें 1960 से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है । इन कठिनाइयों के लिए कर्मचारी संघों को उत्तरदायी ठहराकर सरकार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी लागू करने के वचन से मुख नहीं मोड़ सकती है ।

यद्यपि सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मजूरी बोर्ड आदि बनाकर कुछ कार्य अवश्य किया है, किन्तु वह मूल्यों को बढ़ने से रोक सकने में असमर्थ रही है। निर्वाह व्यय देशनांक में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि मजूरी केवल 16 प्रतिशत वृद्धि की दर से बढ़ाई गई। सरकार की इस प्रकार की नीति से श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि कुछ पुराने नौकरशाही अंग्रेजों के समय की परम्परा को बनाये हुये हैं और राज्य तथा केन्द्र में सभी कार्यों को विफल कर रहे हैं।

गत वर्ष वाद विवाद का उत्तर देते समय श्रम और रोजगार मंत्री ने मूल्य देशनांकों को तैयार करने में कुछ त्रुटियों को स्वीकार किया था। उस समय यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार इन आंकड़ों को ठीक करेगी किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। सरकार को वास्तविक बाजार मूल्यों को दृष्टि में रख कर इस प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

रोजगार के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ नौकरियों के लिए तीन करोड़ नौकरी के उम्मीदवार होने का अनुमान है। एक ओर तो वास्तविक मजूरी में कटौती हो रही है और दूसरी ओर लोगों के लिए नौकरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं। इससे लोगों में भारी असंतोष फैला हुआ है जो आन्दोलन का रूप ले सकता है। आन्दोलन को दबाने के लिए हिन्दुस्तान मोटर वर्कर्स यूनियन के सहायक सचिव को भारत रक्षा नियमों के अधीन बिना किसी अभियोग के गिरफ्तार कियागया है जब कि इस कर्मचारी संघ ने आपातकाल के समय राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 1000 रुपये का अंशदान दिया था और पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम निदेशालय ने संघ के कार्यों की सराहना की थी।

यद्यपि त्रिपक्षीय श्रम समिति ने निर्णय किया है कि व्यक्तिगत विवादों के बारे में श्रम विभाग द्वारा निर्णय किया जायेगा, किन्तु इस प्रकार के मामले निपटाने में त्रिपक्षीय श्रम समिति के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के मामले नियोजकों की इच्छानुसार निपटाये जाते हैं, जिससे श्रमिकों पर बहुत अत्याचार होता है। न्यायाधिकरण को इस प्रकार के मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं है। मंत्रालय को इस त्रुटि को दूर करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिए।

यह दुख की बात है कि कोई भी मजदूर संघ जब उच्चत्तम न्यायालय में अपील करना चाहता है तो उसे जमानत के रूप में 2500 रुपए जमा करने पड़ते हैं। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में गृह-कार्य तथा विधि मंत्रालयों से परामर्श करके उचित कदम उठाना चाहिए।

कोयला खान कल्याण संस्था की दशा सबसे खराब है। कोयला खान कर्मचारियों की पदोन्नति तथा उनके काम की शर्तों की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय को इसकी उपेक्षा न करके उचित उपाय करने चाहिएं।

मंत्री महोदय को फिल्म उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापित करना चाहिए।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : It is a matter of satisfaction that the Ministry is under the charge of a most suitable person who is fully aware of the labour problems. It is hoped that many a labour problem will be solved during the tenure of the office of his ministership.

[Shri Sinhasan Singh]

It is often obsrved that labour is not given a fair deal in our country. There are various labour unions and organisations today, even then the plight of the labour is very miserable. He is exploited in every field. It is a matter of regret that labour unions and organisations are not well organised. The pressing need of the problem is to improve the living conditions of the labour and provide adequate facilities for the education and welfare of their children, But the labour unions do not pay any attention to these problems on the other hand they indulge in various disputes with employers regarding their rights.

Sometime back there were two categories of labourers—those coming from Gorakhpur were called Standard labourers and the other one governed and controlled by the union were called independent labourers. A Committee was also appointed to go into this matter. The hon. Minister should himself examine whether the former category of labourers was working more efficiently than the labourers governed and controlled by the Union. I have brought it to the notice of the hon. Minister that there is a lot of difference between efficiency, standrd of living and health of the labourers supplied by the Coal Field Recruiting Organisation for construction of roads and those of other labourers as the former category of labourers is well trained and disciplined by this organisation. Adequate arrangements should be made to give the labourers of the Gorakhpur Organisation better training which may also be extended to other districts also.

The labour is exploited by contractors through contract labour system. They should be protected from this exploitation. Labour Cooperatives should be set up which may be allowed to enter into contracts direct with Government departments and Public Undertakings. All recruitments should be made through employment exchanges in Government departments and Public Undertakings. Government should ensure the proper implementation of the rules made to this effect. The proper implementation of the rules may help to eradicate the existing evils in the matter of recruitment. It will also check the irregularities prevailing in employment exchanges. The C.R.O., Gorakhpur has been rendering most satisfactory services which should not, in any case, be disbanded.

श्री ओझा (सुरेन्द्र नगर) : यह सच है कि देश में चल रही बेरोजगारी सबके लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है किन्तु माननीय सदस्यों को यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस मंत्रालय का कार्य रोजगार को विनयमित करने का है न कि रोजगार पैदा करने का । जहां तक रोजगार पैदा करने का सम्बन्ध है योजना मंत्रालय के ऊपर इसका उत्तरदायित्व है ।

मैं सरकार के इस निर्णय से सहमत नही हूं कि राज्य बीमा निगम तथा भविष्य निधि को श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन न रख कर पृथक मंत्रालय के अन्तर्गत रखा गया है क्योंकि ये दोनों मुख्य रूप से श्रमिको से सम्बन्ध रखती हैं । अत: मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय उन्हें पुन: अपने मंत्रालय में शामिल करने के बारे में विचार करें ।

देश में विभिन्न योजनायें इस दृष्टिकोण से बनाई गई हैं कि हम अपने श्रमिक वर्ग को उत्पादन के प्रथम क्षेत्र से दूसरे तथा तीसरे क्षेत्र में ले आयें । अर्थात, उन्हें कृषि से हटाकर उद्योगों तथा अन्य कार्यों में लगायें जिससे उत्पादन में वृद्धि हो । हमारी योजना अत्यन्त सुयोजित ढंग से देश की

आवश्यकता के अनुसार बनाई गई हैं तथा क्रियान्वित की गई हैं। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। मंत्रालय को इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मजदूर मालिकों में कटु सम्बन्ध होने के कारण हमारे औद्योगिक उत्पादन को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे तथा श्रमिकों को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य में कोई कठिनाई पैदा न हो।

गत सात वर्षों में देश में उद्योगों का अदृश्य रूप से वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण चलने के बावजूद उद्योगों में कार्य करने वालों का देशनांक 27 प्रतिशत बढ़ गया है। विश्व की वर्तमान प्रगति को देखते हुए हमारे लिए उद्योगों का वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण करना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु हमें यह कार्य करने में इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि इससे किसी को हानि न पहुंचे। मंत्रालय को इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ बचत के करने के अभिप्राय से मजदूरों को नौकरी से न निकाला जाये।

देश के औद्योगीकरण के कार्य में प्रगति के लिए हमें मजदूर वर्ग को सन्तुष्ट रखना होगा। यद्यपि वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता के आधार पर मजूरी देना संभव नहीं है तथापि हमें मजदूर वर्ग की कम से कम आवश्यकताएं तो अवश्य पूरी करनी ही चाहिएं। हमें इस प्रकार से सन्तुलन पैदा करना चाहिए जिससे मजदूरों को यह विश्वास हो जाये कि वर्तमान परिस्थितियों में जो भी संभव है उनके लिए किया जा रहा है। श्रमिकों में कुछ असंतोष व्याप्त है। उनमें यह धारणा घर कर गई है कि सरकार तथा नियोजक उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। हमें उनमें संतोष की भावना पैदा करने के लिए प्रयास करने चाहिएं। उनमें विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि जहां कहीं उनके प्रति अन्याय किया जायेगा, सरकार उसके बारे में निष्पक्ष रूप से जांच करेगी।

किसी विवाद उत्पन्न हो जाने पर तुरन्त मध्यस्थता से काम लिया जाना चाहिए, तथा मध्यस्थ का पंचाट दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। मालिकों पर भी उसी प्रकार अनुशासन संहिता लागू की जानी चाहिए जिस प्रकार वह मजदूरों पर लागू है। जहां सम्बन्धित पक्ष किसी निर्णय पर न पहुंच सके, सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करके तथा अपना मध्यस्थ निर्णय देना चाहिए। मालिक तथा राज्य सरकारों को अपना कर्तव्य उचित ढंग से निभाना चाहिए।

उचित प्रबन्ध न होने के कारण मजदूरों पर अत्याचार होते हैं। मजदूर-मालिक सम्बन्ध खराब होने के कारण मजदूरों में असंतोष व्याप्त है जिससे उत्पादन को हानि पहुंचती है। यह ठीक है कि देश में मजदूर संघ आन्दोलन देखने में तो काफी व्यापक हो गया है और इन संघों की आय एक करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है किन्तु उनका विकास अच्छे ढंग से नहीं हुआ क्योंकि उन पर सदैव राजनीतिक व्यक्तियों का प्रभाव रहता है। इन संघों को सुव्यस्थित तथा सुदृढ़ बनाने के लिए कर्मचारियों के शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमें बाहरी अभिकरणों को समाप्त करना चाहिए। मजदूरों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जानी चाहिए कि वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं।

संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के सम्बन्ध में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। इसके लिए पहले मजदूरों को हिसाब किताब तथा अन्य बातों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें पहले मजदूर शिक्षा कार्यक्रम को सुयोजित ढंग से चलाकर मजदूर संघ आदि चलाने की विधि के सम्बन्ध में शिक्षा देनी चाहिए तथा उन्हें उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों, कानून और उन्हें दिये जाने वाले लाभ तथा संरक्षणों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। उनकी समझ में ये बातें अच्छी तरह आ जाने पर प्रबन्ध परिषदें स्वयं सुयोजित ढंग से चल सकती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सामाजिक सुरक्षा विभाग श्रम मंत्रालय के अधीन ही बना रहना चाहिये क्योंकि श्रम और उसकी समस्यायें अभी बनी हुई हैं । इन दोनों में समन्वय पैदा करने के लिये कोई प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

यह खेद की बात है कि प्रतिवर्ष वास्तविक मजूरी घटती जा रही है । 1951 में मजदूरों को ही दी जाने वाली मजूरी की दर सुरक्षित नहीं की गई । निर्वाह-व्यय बढ़ जाने से कर्मचारी दुखी हैं। इसके परिणामस्वरूप आज प्रत्येक मजदूर 500—600 रुपये के कर्ज से दबा हुआ है, क्योंकि उसकी ऋण वापिस करने की क्षमता घट गई है । सरकार को मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार करने के लिये मूल्य स्थिर करने चाहिएं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के, रेलवे तथा प्रतिरक्षा कर्मचारी मजूरी बोर्ड की स्थापना चाहते हैं। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वचन दिया था किन्तु यह वचन अभी तक पूरा नहीं हुआ । रेलवे तथा प्रतिरक्षा दोनों के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड नियुक्त किए जाने चाहिऐं ताकि सभी पहलुओं—मजूरी, सेवा की शर्तें आदि, पर—विचार किया जा सके। उनकी मजूरी में तदर्थ वृद्धि करने से कोई लाभ नहीं होगा । चमड़ा-उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की दशा अत्यन्त शोचनीय है तथा उन्हें बहुत कम मजूरी मिलती है, यहां तक कि उन्हें न्यूनतम मजूरी भी नहीं दी जाती है । अतः इस उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की जानी चाहिए जो मजदूरों के हितों की रक्षा कर सके ।

यद्यपि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि बोनस आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यरूप में देने के लिये इसी सत् में सभा में एक विधेयक लाया जायेगा, किन्तु इस बारे में सन्देह है क्योंकि सरकार पर मालिकों का दबाव है और वह उन्हें नाराज करना नहीं चाहती है । मंत्री महोदय को इस मामले में दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए और मालिकों को बता देना चाहिए कि विधेयक लोक-सभा के इस सत्र में ही अधिनियम का रूप धारण कर लेगा ।

इस समय जब कि हमारी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा बना हुआ है, हम हड़तालें नहीं करना चाहते हैं। अतः विवादों को त्रिपक्षीय बातचीत तथा समझौते द्वारा तय किया जाना चाहिए। सरकार को इस प्रकार की समझौता व्यवस्था कायम करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करना चाहिए ।

बेरोजगार लोगों को कामदिलाऊ दफ्तरों द्वारा ही नौकरी दी जानी चाहिए। किन्तु उम्मीदवारों की संख्या नौकरियों से कई गुनी अधिक है । इस सम्बन्ध में मंत्रालय को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

इस समय जब देश में पहले ही बेरोजगारी बहुत है कर्मचारियों की छंटनी करना उचित नहीं है । ई० एम० ई० सेवा वर्कशापों के 2400 कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिए गए हैं । जिन कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं वे 10 से 22 वर्ष से वहां पर वफादारी से कार्य कर रहे हैं । यद्यपि उन्हें दूसरा रोजगार दिया जा रहा है किन्तु वह उनकी योग्यता के अनुसार नहीं दिया जा रहा है । उदाहरणार्थ, दिल्ली

में काम करने वाले एक बढ़ई को सिलीगुड़ी में चौकीदार की नौकरी दी गई है । इस समय जब कि देश में तकनीकी व्यक्तियों की कमी है उनकी सेवाओं का इस प्रकार दुरुपयोग करना उचित नहीं है ।

अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ ने दिल्ली में हुई अपनी एक बैठक में एक दिन की आंशिक हड़ताल करने का निर्णय किया था कि उन्हें तथा श्रमिक वर्ग के अन्य बड़े नेताओं को, देश को चीन तथा पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए, यह कार्यवाही करने के लिए रोक दिया गया । अन्त में यह निश्चय किया गया कि संघ के अध्यक्ष होने के नाते मुझे, अन्य कर्मचारियों के साथ, भूख हड़ताल करनी चाहिए। यह एक गम्भीर समस्या है । हो सकता है यह अधिक भीषण रूप धारण कर ले जिस से देश के उत्पादन को काफी हानि हो । अतः मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए कि समझौता वार्ता तुरन्त आरंभ की जाये।

गृह-कार्य तथा श्रम मंत्री ह्विटले परिषदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ह्विटले परिषद विशेषज्ञ श्री लेस्ली विलियम्स भारत आये थे और वे गृह-कार्य मंत्री से मिले । किन्तु यह खेद की बात है कि गृह-मंत्री महोदय ने उन से वापस जाने से केवल दो घंटे पहले मिलना स्वीकार किया । इस प्रकार अतिथि का अनादर करना उचित नहीं है ।

1960 में स्वर्गीय पंडित गोबिन्दबल्लभ पन्त ने ह्विटले परिषद् स्थापित करने का आश्वासन दिया था । किन्तु आज 5 वर्ष बीत जाने पर भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया । समझौते की बातचीत करने सम्बन्धी व्यवस्था, जिसे 1960 की हड़ताल के बाद समाप्त कर दिया था, पुनः स्थापित की जानी चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध बहुत खराब हैं क्योंकि उनका संचालन सेवानिवृत कर्मचारियों का गुट कर रहा है । वे किसी व्यक्ति को अपने कार्य करण की जांच नहीं करने देते हैं। श्री आर० एल० मेहता को भोपाल तथा अन्य स्थानों पर कर्मचारियों की कार्य सम्बन्धी कर दशा की जांच करने के लिए मना कर दिया गया था ;

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया एक निगम के अधीन होना चाहिए जिस से उस के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष दूर किया जा सके। एक फ्रेंच समाचार एजेन्सी में एक फ्रेंच नागरिक ने--जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात हैं एक संवाददाता को बिना उचित नोटिस दिए निकाल दिया और वह प्रत्येक कर्मचारी को निकाल देने की धमकी देता है । मामला श्रम आयुक्त के पास निर्णय के लिए पड़ा है। माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह सभी वर्ग के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया है कि देश के आर्थिक विकास में श्रम मंत्रालय , श्रम मंत्री तथा श्रम द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है किन्तु श्रम सम्बन्धी नीतियों

[श्री बासप्पा]

को क्रियान्वित करने की दिशा में अधिक प्रयत्न न किये जाने के कारण प्रगति संतोष जनक नहीं हो पाई है। कोई भी कार्यवाही करने के लिये साहस की आवश्यकता है। उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। वह एक बड़े राज्य के मुख्य मंत्री थे। यदि अन्य मंत्री उन के काम में बाधा डालने का प्रयत्न करें तो उन्हें डरना नहीं चाहिये।

उस दिन जब रेलवे के लिये मजूरी बोर्ड का प्रश्न पूछा जा रहा था, मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई जब उन्होंने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया हालांकि रेलवे मंत्री कोई उत्तर देने में संकोच कर रहे थे। हमें यह भी पता है कि जब समय आयेगा वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी करेंगे।

जिस प्रकार योजनाओं को लागू किया गया है, उस से श्रमिकों को बहुत हानि पहुंची है और यह भी एक कारण है हर एक वस्तु का अभाव है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब इस देश का श्रमिक-वर्ग महत्वपूर्ण योगदान देगा। केवल इस से ही इस देश की बहुत सी बुराइयां दूर होंगी और सच्चे समाजवादी समाज की स्थापना होगी।

हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी है परन्तु अमीर अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब हो गये हैं। रेलवे तथा प्रतिरक्षा के बारे में हमारे श्रमिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे कितने देश भक्त हैं। परन्तु इन से सदैव अनुचित व्यवहार किया गया है।

अनुशासन संहिता, तथा संयुक्त प्रबन्ध परिषद् मजूरी बोर्ड और बोनस आयोग की सिफारिशों का जहां तक सम्बन्ध है, इन्हें लागू करने के लिये सरकार अपने को असमर्थ पाती है। उद्योगपति अथवा नियोजक इन नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन सिफारिशों को लागू किया जाये। नियोजक स्वेच्छा से ही कोई बोनस नहीं देंगे। सरकार को इस बारे में महत्वपूर्ण कार्य करना होगा।

इस देश की ग्रामीण जनता का 25 प्रतिशत भाग भूमिहीन श्रमिक हैं। इन लोगों का जीवन-स्तर क्या है ? इनके लिये क्या किया गया है ? हमें बताया गया है कि सरकार के पास बहुत बंजर भूमि है। इस भूमि पर सहकारी खेती की जानी चाहिये। इन लोगों की समस्या, जो बेकारी का शिकार बने हुये हैं, श्रमिक सहकारी समितियां बना कर हल की जानी चाहिये।

भारतीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम मंत्री ने श्रमिकों को परामर्श दिये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को हड़ताल आदि नहीं करनी चाहिये। लेकिन जहां तक उचित मूल्य की दुकान खोलने का प्रश्न है आज क्या स्थिति है ? ये दुकाने पर्याप्त नहीं हैं। श्रमिकों की बहुत सी कमाई ऐसे ही चली जाती है। ऐसी मांग की गई है कि मजूरी का कुछ भाग वस्तु के रूप में दिया जाये। यदि नियोजक ऐसा कर सके तो इन लोगों के दुख बहुत सीमा तक दूर हो सकते हैं।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारी संख्या में हड़तालें हुई हैं और 70 लाख जन-दिनों की हानि हुई है जब कि 1963 में केवल 33 लाख जन-दिनों की हानि हुई थी। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि कपड़ा मिलें बन्द हो जाने से 1964 में 17,000 श्रमिक बेकार हो गये जबकि 1963 में इनकी संख्या केवल 6,000 थी । जहां तक बन्दरगाहों का सम्बन्ध है, गोदी श्रमिकों में बड़ा असंतोष है । पत्तन-बोड तथा परामर्शदाता समिति का पुनर्गठन होना चाहिये ।

अब मैं अपने राज्य की कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाउंगा : चीनी के कारखानों, हट्टी की सोने की खानों, बीड़ी के कारखानों तथा बागानों में कई हज़ार श्रमिक काम करते हैं। हट्टी की सोने की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को नियोजकों द्वारा कुछ आश्वासन दिये गये थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया है । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

होस्पेट के चीनी के कारखानों के श्रमिकों में असन्तोष है। उन्हें गन्ने के उचित मूल्य नहीं दिये जाते । जब ये कारखाने बन्द हो जाते हैं, उस समय भी श्रमिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । लोग यहा बैठे-बैठे इन कारखानों के प्रबन्ध की व्यवस्था करते हैं और स्वयं श्रमिकों के सम्पर्क में नहीं आते और न ही इस बारे में सावधान रहते हैं कि श्रमिकों को उचित मजूरी मिले ।

बीड़ी उद्योग एक श्रमिक प्रधान उद्योग है इस उद्योग में भारी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। परन्तु फिर भी इसे प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ।

भद्रावती लोहे तथा इस्पात कारखाने के श्रमिकों को माननीय मंत्री श्री रेड्डी ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हें बोनस मिलेगा । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि इन श्रमिकों को शीघ्र बोनस मिले ।

बहुत से बागान श्रमिकों को आवास की सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई हैं और उनको कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। मुझे आशा है कि इस बारे में कुछ कदम उठाये जायेंगे । कहा जाता है कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी है । इस कमी के काल में भी तकनीकी कर्मचारियों को रोजगार नहीं मिलने का मतलब तो यह है कि योजना में कुछ दोष हैं।

चौथी योजना के दौरान बेरोजगारों की संख्या तीन करोड़ बीस लाख हो जायेगी। अधिक लोगों को रोजगार देने के लिये तेजी से ग्रामीण उद्योग स्थापित किये जाने चाहिये। हम पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को बसाने की बात करते हैं परन्तु हम अपने लोगों को बसाने के बारे में क्या कर रहे हैं जो इतने वर्षों से बेकार पड़े हैं? मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) There are twenty crore labourers in this country. It is imperative on the Ministry to do welfare work for them. The allocation of fourteen crores of rupees for the Ministry is insufficient. The hon. Minister should try to get more funds allocated to this Ministry.

[Shri Sivamurthi Swamy]

There are many labourers in the country today who fall under the category of unorganised labour. There is no department to look after their interests. There must be some machinery for this purpose. They should be allotted plots of land so that they can construct houses to live in.

The Ministry has received many complaints particularly regarding the labour force, of my area. I regret to say that many representations were made to resolve the disputes but because of the weak policy of the Government, nothing could be achieved and the mill-owners perpetrated more injustice. I have received a letter from Hatti Gold Mines Employee's Association wherein they have stated that although the matter had been moved with the Labour Minister yet all assurances and attempts were foiled by the foreign manager of these mines. Mysore Government hold fifty per cent shares of thees mines. Even then it is claimed by him that it is a private company. For the last seventy days a dispute is going on there and the root cause of this dispute is that the labourers are demanding the implementation of the settlement arrived at in the presence of the Conciliation officer of this Ministry. Because of this dispute the production of Gold has been stopped and this is a national loss. The demands of the labourers are within the Labour Act and they should be met.

The management of these mines is threatening to dismiss the labourers. Three hundred and fifty labourers who wanted to go on strike to get their demands met have been dismissed. In connection with this dismissal, the Standing Labour Committee has recommended that if the individual workers have been dismissed then these cases should be brought to the notice of the Labour Tribunal. But nothing has so far been done for them. Some of the workers who are affected by the illegal lock-out of the company forced upon them from 1-2-1965 have resolved to go on hunger strike, so that they get justice and therefrom the full redressal of their just demands.

The issues involved in this case are : (a) lifting the lock-out with immediate effect paying the affected employees due compensation for illegal lock-out under provision of law, the implementation of the settlement arrived at in the presence of the conciliation officer, and to put en end to the anti labour policy. I pray to the hon. Minister as well as the officer concerned to decide this issue as early as possible. These people have proposed to go on hunger strike. They had been trying to resolve the issue for the last three months but nothing has been done. If the Government shows its helpessness then the only alternative left to the workers to go on hunger strike. So I appeal to the Government that a decision should be taken regarding this within a day or two.

The labour trouble in Hospet Sugar Factory in my constituency has not been resolved so far. The farmers had to bear a loss of lakhs of rupees because of this. Some workers who formed a union were dismissed and that led to the strike. The strike went on for a month and the sugarcane could not be crushed and consequently it dried up . You have not issued license to tha factory. It should be issued. The labour disputes should also be settled as early as possible.

In the end I would like to say that an enquiry in connection with the Hatthi Gold Mines and Hospet Sugar Factory should be conducted as early at possible.

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन बातों की ओर. निर्देश करूंगा । मुख्य रूप से मैं चाहता हूं कि कार्मिक संघों तथा नियोजक संस्थाओं के लिये एक आयोग स्थापित किया जाये। इंग्लैण्ड में अभी हाल ही में एक ऐसा आयोग स्थापित किया गया है । इस आयोग का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक होना चाहिये । हमारे देश की अपनी बहुत सी समस्यायें हैं और ये सब समस्यायें इस आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आ जानी चाहिये । यह आयोग एक उच्च-स्तरीय आयोग होना चाहिये और इसके सदस्य ऐसे होने चाहियें जिन्हें औद्योगिक तथा प्रबन्धक क्षेत्र में उच्च कोटी का अनुभव हो । किसी अन्य देश के कानून से हम इस सम्बन्ध में लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि हमारी समस्यायें उन देशों की समस्याओं से भिन्न हैं। हमारी एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था है । इसलिये हमें अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं रहना चाहिये ।

हमारे वर्तमान अधिनियम अब पुराने हो गये हैं । आजकल की परिस्थिति में बड़ा अन्तर है । वर्तमान अधिनियम उस समय बनाये गये थे जब इस देश का आर्थिक विकास आरम्भ नहीं हुआ था । लोगों को पूरा रोजगार मिलना चाहिये। इस आयोग को उद्योगों में सुधार करने के लिये क्रांतिकारी तथा ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिये। औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार के लिये हम इस आयोग से एक नये सिद्धान्त तथा मार्ग दर्शन की आशा करते हैं।

पत्तनों की सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षणालय के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। कोचीन पत्तन की स्थिति इस समय ऐसी है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। वहां दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है । पत्तन निरीक्षणालय को विशाखापटनम, कोचीन, काडला, तथा मार्मागोआ जैसे पत्तनों को भी अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहिये। कोचीन पत्तन की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये।

उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेवारी केवल श्रमिकों पर ही नहीं है । प्रबन्धकों तथा सरकार पर भी यह जिम्मेवारी आती है । श्रमिकों की सेवाओं का भी प्रश्न है । इस हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिये ।

मझे आशा है कि सरकार इस सत्र के दौरान बौनस विधेयक सभा में प्रस्तुत करेगी। इसलिये मैं इस विषय पर इस समय अधिक नहीं बोलना चाहता ।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh: I would like) to speak something about Madhya Pradesh. Two or three crores of labourers are enagaged there on *bidi* works for the last fifty years. Although Shri Malaviya belongs to Madhya Pradesh yet he has not done anything for that State since he became the Deputy Minister in this Ministry. The owners of the *bidi* industry are exploiting the labourers. It is duty of the hon. Minister to take this matter in his hand and adopt some measures for improving the economic lot of these labourers. If this is a State subject then the Central Government should intervene and take this subject in their own hand.

The plight of labourers is pitiable. They launch satyagrah bu nobody listens to them. Mill owners close the mills and consequent to this the laboures starve. Today, whe the prices are looking up, there is no justification to pay

[Shrimati Sahodra Bai Rai]

Rs. 1·25 per day to a labourer. The need toaday is that these labourers should be given subsistence wages. I request the hon. Minister to take suitable steps in this direction and arrange for improving the condition of peasants, agriculture labour there.

There are no rains in that area and also there are no satisfactory schemes of irrigation. Government should pay attention towards this so that the farmers are provided with work.

The wages of domestic servants and women labourers should also be fixed. They are also being paid very less wages at present which is not sufficient for them to make both ends meet. The Central Government should prevail upon the State Government to fix the wages for the labourers working in Bhilai Steel Works and Bhopal Power House. In case the State Government do not take this work the Centre should itself take this work in hand.

The chowkidars and other petty labourers should be made permanent on their posts and they should be given the same benefits regarding leave etc. as are extended to other employees. The Government should take some steps for the security of service of these petty employees so that they are not embarrassed any more.

It is regrettable that Madhya Pradesh is being neglected in so far as setting up of new industries is concerned. There was a proposal to establish a factory at Dewas but afterwards that factory was established elsewhere. Aluminium factory also met the same fate. The Government should set up new factories in Madhya Pradesh. This will eliminate the dacoit problem also.

Shri Balmiki (Khurja) : Today, insudstrialisation is taking place in the country and the labourers are making good contribution towards this. What is th place of a labourer in the economy of today ? Even in spite of three Five Year Plans he has not been paid proper attention. The fruits of the Plans have gone to the perons who were already rich. They have amassed much wealth. The standard of livng of the labourers is much low. Government should take some steps in this direction. Production will not increase until the lot of these labourers is improved. For increasing the national wealth and bringing prosperity. labour is very essential. Many people have become rich by the hard labour put forth by a labourer but the condition of a labourer has not improved.

[श्री सोनावाने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

I would like to say that the plans should bring radical change in their life. This change should increase the production. I know that the hon. Minister fully understands the feelings of the labourers. This is clear from his sepeech which he delivered to the members of the Productivity Council. He said that our economic aspirations cannot be fulfilled until we change our outlook towards the labourers. In this democratic set-up where we are aiming to establish the Socialistic pattern of Society, the labourer should be given more reward for his labour. But what we find is that even in spite of these efforts the labourers are being exploited. The exploitation will only stop when the Government takes strong measures against this evil. Until the Government look after the interests of the labourers the production will not increase.

I would also like to say that the problem of fixing the minimum wages for the landless and agricultural labourers has not been solved so far. Minimum wages should be fixed for such labourers also who are engaged on sanitation work. The new colonies should be provided more and more with modern type of latrines. The service-latrines should be done away with. I hope that the hon. Minister will act according to the recommendations of the Malkani Committee.

It is said that this Ministry acts as a watch-dog. But in so far as the conditions of the labourers or the employees is concerned, it is clear that this Ministry does not act as a watch-dog. This Ministry should be very vigilant regarding implementation of the labour laws. In so far as disciplinary action is concerned it has been forwrd that injustice is done to the staff. There are many concerned irregularities in the enquiry set up to go into such cases. A high power commission should be appointed to go into these irregularities. The work regarding the disciplinary action and enquiry should be entrusted to U.P.S.C.

I hope that the Ministry will try to put an end to such political and economic injustice.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : जो कुछ मेरी बहन श्रीमती सहोदरा बाई ने कहा वह ठीक है। ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों की दशा दयनीय है। कुछ महीने पहले मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि एक मां ने अपने बेटे को मार दिया क्योंकि वह राशन नहीं ला सका। यदि इन क्षेत्रों के लोगों की दशा दयनीय न हो तो एक मां अपने लड़के की हत्या न करे।

जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष किया तो लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। 1936 में हमने लखनऊ में एक संकल्प पास किया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था "मुझे विशवास है कि संसार की समस्याओं तथा भारत की समस्याओं का एक मात्र हल समाजवाद है ; मैं इस शब्द का प्रयोग मानवतावादी दृष्टिकोंण से नहीं कर रहा हूं बल्कि वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टिकोंण से कर रहा हूं।"

हमारे गृह-कार्य मंत्री ने चीनी साम्यवादियों की गतिविधियों के बारे में सभा पटल पर हाल ही में एक विवरण रखा है। हमें अपने राष्ट्र महत्व के संस्थानों में साम्यवादी कार्य कर्ताओं से सावधान रहना चाहिये। श्वेत पत्र के पृष्ठ 42 में गृह-कार्य मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि उनकी नीति अखिल भारतीय मज़दूर संघ कांग्रेस को बिना तोड़े फोड़े अपने अधिकार में लेने की तथा तब इन बड़े बड़े उद्योगों में तोड़ फोड़ करने की है। जब एक ओर चीन हमें धमकी दे रहा है तथा दूसरी ओर पाकिस्तान समय समय पर हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर रहा है तो फिर पता नहीं ऐसी कार्यवाही करने के लिये उन को कौन कह रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बोनस आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया है भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ कांग्रेस (इंटक) द्वारा हैदराबाद में पास किया हुआ संकल्प मेरे पास है। उन्होंने बोनस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है। इसलिये यह कहना कि "इंटक" बोनस आयोग की सिफारिशों के पक्ष में नहीं है गलत बात है।

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

अब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र, सिंग्रेनी, के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। सिंग्रेनी कोयला खानों में हजारों हो व्यक्ति काम कर रहे हैं। उन की शिकायत यह है कि वहां प्रबन्धक बड़े बड़े अधिकारियों को तो बोनस देते हैं परन्तु श्रमिको को नहीं। इसलिये मंत्री महोदय बतलायें कि क्या श्रमिकों और अधिकारियों को बोनस समान मिलता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तापीय विद्युत स्टेशन (थर्मल-पावर-स्टेशन) बनाते समय लगभग 200 मजदूरों की हैजे के कारण मृत्यु हो गई क्योंकि वहां पर जल व्यवस्था नहीं थी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जहां जहां बड़ी योजनाय आरम्भ की जाती हैं वहां पर जल की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें महिला श्रमिकों को भी महत्व देना चाहिये। उनको पुरुष श्रमिकों जितनी ही मजूरी दी जानी चाहिये।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) माननीय सदस्यों ने जो ठोस सुझाव दिये हैं उस के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मुझे यह बताते हुए प्रशंसा हो रही है कि पिछले एक वर्ष से हमारे देश के सारे श्रमिक वर्ग ने विभिन्न कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद भी बहुत संयम दिखाया है जिसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे विशेष कर इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने भाषा सम्बन्धी दंगों में भी भाग नहीं लिया है। मद्रास के मुख्य मंत्री ने मुझे लिखा है कि हाल ही में हुए भाषा सम्बन्धी दंगों में मद्रास के श्रमिकों ने बिल्कुल भाग नहीं लिया है। इसलिये मैं उन को बधाई देता हूं।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष दिये गये आवशसनों को मैं कहां तक पूरा करने में सफल रहा हूं। पिछले वर्ष मैंने आश्वासन दिया था कि इंजीनियरी, पत्तन तथा गोदो भारी रसायन तथा उर्वरक उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड बनाये जायेंगे। मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सब उद्योगों में मजूरी बोर्ड बना दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा वस्त्र मजूरी बोर्ड तथा दूसरा सीमेंट मजूरी बोर्ड भी बना दिये गये हैं।

दूसरा आश्वासन मैंने कृषि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी के बारे में दिया था। पिछले वर्ष जब मैंने इस सभा में यह बात कही थी उस समय बहुत से राज्यों में कृषि मजदूरों के लिये निर्धारित मजूरी एक रुपये से भी कम थी। उसके तुरन्त ही बाद मैंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से इस बारे में बातचीत की और मुझे खुशी है कि वे इस पर विचार करने के लिये मान गए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि वे न्यूनतम मजूरी पर पुनर्विचार करने के लिये समितियां बनायेंगे। मुझे विश्वास है कि वे इस बात को ध्यान में रखेंगी कि मजूरी, किसी भी परिस्थिति में, 1 रुपये से कम न हो। श्री काशी नाथ पाण्डे ने तो कहा है कि आज कल की मंहगाई को ध्यान में रखते हुए कृषि मजदूरों की मजूरी 2 रुपये से कम नहीं होनी चाहिये। मैं भी उनके इस विचार से सहमत हूं।

एक और प्रश्न कोयला क्षेत्रों में विभिन्न सहकारी समितियों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में था इसके लिये कोयला खान कल्याण संगठन ने विभिन्न सहकारी समितियों को 46 लाख रुपये का ऋण दिया है। इसी तरह से पांच केन्द्रीय सहकारी समितियों की 30 लाख रुपये (छः लाख रुपये प्रत्येक समिति को) अनाज खरीदने के लिये दिये गये हैं।

पिछले वर्ष उपभोक्तामूल्य दौरान के सम्बन्ध में कई बातों का उल्लेख किया गया था और विभिन्न मालाओं (सीरीज़) में त्रुटियां पाई गई थीं। मैंने इन त्रुटियों को दूर करने के लिये वायदा

किया था। गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की थीं और उन्होंने इन मालाओं में कुछ त्रुटियां पाईं जिन को अब दूर कर दिया गया है। उन समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय मालाओं का भी पुनरीक्षण कर दिया गया है दिल्ली प्रशासन तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी विशेषज्ञ समितियां स्थापित कीं हैं जिन के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा हो रही है।

पिछले वर्ष कोयला खान मजदूरों के "भारत दर्शन कार्यक्रम" के बारे में भी बातचीत हुई थी अत: दिसम्बर में कोयला खान मजदूरों ने सारे देश का दौरा किया और देखा कि देश में कैसे प्रगति हो रही है। पचास व्यक्तियों का दूसरा जत्था 29 मार्च, 1965 को चला और दिल्ली में 5 अप्रैल को आया वे यहां उपराष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को मिले और बहुत प्रसन्न हुए। इस के लिये खान मजदूरों अथवा उनके नियोजकों को केवल 50 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च करना पड़ा। शेष सारा खर्चा जो लगभग 41,000 बैठता था कोयला खान श्रम संगठन ने किया।

कुछ माननीय सदस्यों ने 1964 में जन-दिवस की हानि के बारे में कहा था। इस में कोई शक नहीं कि 1963 की तुलना में 1964 में अधिक जन-दिवसों की हानि हुई परन्तु 1963 असामान्य वर्ष था क्योंकि उस वर्ष चीन के आक्रमण के कारण श्रमिकों ने शपथ ली हुई थी कि वे हड़ताल नहीं करेंगे। परन्तु यह अधिक अच्छा है यदि हम दूसरी योजना के पहले 4 वर्षों में जन-दिवसों की हानि की तुलना तीसरी योजना के पहले 4 वर्षों से करें। दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में 269 जन-दिवसों की हानि हुई जब कि तीसरी योजना के पहले चार वर्षों में 216 जन-दिवसों की हानि हुई। इस लिये यह स्पष्ट ही है कि समूचे तौर पर श्रम स्थिति में सुधार ही हुआ है।

इस बारे में भी आलोचना की गई है कि औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था (इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी) ने ठीक प्रकार से काम नहीं किया है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि मामले निबटाने में उन्हें कई बार एक साल भी लग जाता है। 1964 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने मामले दर्ज कराये जाने के दो मास के भीतर 93 प्रतिशत विवादों को निबटाया है। उन्होंने 1963 में 801 समझौतों की तुलना में 1964 में 1014 समझौते करा दिये थे। इस प्रकार 1963 की तुलना में 1964 में उन्होंने अधिक अच्छा काम किया है।

हमारा केन्द्रीय परिपालन तथा मूल्यांकन विभाग भी है जिस का काम अनुशासन संहिता के उल्लंघन के मामलों को देखना है। इस विभाग का काम बहुत प्रशंसनीय है। पिछले वर्ष इस विभाग को 1710 मामले भेजे गये थे जब कि 1963 में 1236.

कोयला खान कल्याण संगठन के लिये एक नई योजना चालू की गई है और उस के अनुसार यदि कोई कोयला खानमजदूर बीमार पड़ जाता है या घायल हो जाता है और यदि उसे 21 दिनों से अधिक समय के लिये हस्पताल में रहना पड़ता है तो उसे निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है।

नई आवास योजना के अन्तर्गत 30,000 मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई है; 21,000 मकान बन चुके हैं और 7,800 अभी बन रहे हैं। कम-मूल्य आवास योजना के अन्तर्गगत 25,000 मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई है; 5,500 मकान बन चुके हैं और 5,580 अभी बन रहे हैं। इस के अतिरिक्त नई आवास योजना के अन्तर्गत 10,000 और मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई है तथा कम मूल्य आवास योजना के अन्तर्गत 15,000 और मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

कुरसिया और भूली में जो क्षेत्रीय अस्पताल बन रहे थे वे अब बन कर तैयार हो गये हैं। आन्ध्र प्रदेश में रामगुन्दम स्थान पर एक स्थानीय अस्पताल की इमारत बन रही है। अन्य स्थानों पर क्षेत्रीय अस्पताल उचित स्थान के न मिलने के कारण नहीं बन पाए हैं।

कोयला खान कल्याण संगठन को एक स्वायत्त निकाय में बदलने का मैं ने आश्वासन दिया था। इस बारे में प्रारम्भिक काम हो चुका है और शीघ्र सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

बहुत से सदस्यों ने उचित मूल्य की दुकानें तथा उपभोक्ता स्टोर खोलने के लिये कहा है। त्रि-पक्षीय सम्मेलनों, भारतीय श्रम सम्मेलनों तथा अन्य बैठकों में यह निश्चय किया गया था कि जिन संस्थानों में 300 या 300 से अधिक श्रमिक काम करते हैं उन में उचित मूल्य कीदुकानें तथा सहकारी स्टोर अवश्य खोले जायें। जुलाई 1964 में भारतीय श्रम सम्मेलन में यह अन्तिम रूप से निर्णय किया गया था कि इस सम्बन्ध में एक विधान बनाया जाये। अब विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया गया है परन्तु विधेयक को सभा में लाने से पहले प्रारम्भिक कार्रवाई करनी अभी शेष है। जिन संस्थानों में 300 या 300 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं उन की संख्या 3,576 है। उन में से 2,193 संस्थानों ने या तो उचित मूल्य की दुकाने या उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोल लिये हैं।

कोयला खान मजदूरों के कल्याण के लिये 1964–65 में 34 लाख रुपये व्यय किये गये थे जब कि आय उस से केवल 27 लाख रुपये की हुई थी। मैंगनीज़ की खानों के लिये कल्याण निधि स्थापित करने की संभावना पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय उप-समिति बनाई गई है। चूने के लिये भी समान ही कल्याण निधि बनाने पर सरकार विचार कर रही है।

माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि पत्तन श्रमिक (विनियमन तथा नियोजन) अधिनियम, 1948 को मारमागोआ पत्तन पर लागू कर दिया गया है और मारमागोआ पत्तन श्रमिक (विनियमन तथा नियोजन) योजना 1965 अब तैयार कर ली गई है जिस का इस महीने की 21 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। इस पत्तन के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस में पिछले वर्ष से बहुत सी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। मेरा विचार है 21 तारीख के बाद जब यह योजना वहां पर लागू हो जायगी तो स्थिति में कुछ सुधार हो जायगा। इस के अतिरिक्त इन समस्याओं का पता लगाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक एक-सदस्यीय जांच अदालत बनाई गई है। यह तो सब को पता ही है कि पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये एक मजूरी बोर्ड बनाया गया है जिसमें मारमागोआ भी सम्मिलित है।

हमारी एक आवास योजना भी है और तीसरी योजना के अन्तर्गत इस काम के लिये 2 करोड़ रुपये का बन्दोबस्त किया गया है। परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इस धन का उपयोग न किया जा सका। अन्त में मार्च 1964 में एक निर्णय किया गया था जिस के अनुसार पत्तन श्रमिक बोर्ड उपदान का 20 प्रतिशत तथा ऋण का 35 प्रतिशत भाग खर्च कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुय तीसरी योजना में पत्तन श्रमिकों के आवास के लिये 60 लाख रुपये अलग रख दिये गये हैं। बम्बई पत्तन श्रमिक बोर्ड ने पहले ही 571 मकान बना लिये हैं। मद्रास पत्तन श्रमिक बोर्ड ने भी 120 मकान बना लिये हैं।

16 मार्च, 1995 से कलकत्ता पत्तन पर अधिक टनभार योजना (इंसेंटिव टौनेज स्कीम) लागू कर दी जायेगी। अनाज श्रमिकों द्वारा काम दुगुना हो रहा है और मजूरी भी दुगुनी हो गई है।

मुझे ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि बागानों में नौकरियां कम हो गई हैं। इसके लिये हमने एक एक-सदस्यीय तथ्य अन्वेषी समिति नियुक्त की है जिसने अपना काम आरम्भ कर दिया है। इसी समिति में बहुत से सुझाव आये थे कि बागान श्रमिक अधिनियम में संशोधन कर दिया जाए। इसलिये कुछ समय बाद मैं एक संशोधन विधेयक सभा में लाऊंगा।

खानों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में बहुत उपाय किये गए हैं। खानों में सुरक्षा उपायों के लिये राष्ट्रीय परिषद् ने बहुत से सुरक्षा सप्ताह मनाये हैं। जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक सुरक्षा के लिये बहुत ध्यान रखने लग गये हैं। कोयला खानों में काम करने वाले हर 1000 व्यक्तियों के लिये गहन आघात की घटनायें 1963 में 5.62 से घट कर 1964 में 4.3 हो गई थीं। अन्य खानों में यह घटनाय 6.23 से कम हो कर 4.81 हो गई थीं। इसी प्रकार कोयला खानों में हर 1000 व्यक्तियों के लिये मृत्यु दर 1963 में 0.59 से घट कर 1964 में 0.41 हो गया था। इन घटनाओं को कम करने का काम केवल सुरक्षा सप्ताह मनाने से ही नहीं हो सकता है। इसके लिये श्रमिकों को उचित ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तथा सुरक्षा विधान पर निरन्तर विचार करना पड़ेगा। इसके लिये हम ने पुरस्कार देने की भी कुछ योजनायें बनाई हैं। एक राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार है तथा दूसरा श्रमवीर पुरस्कार है। जिन औद्योगिक एककों में सुरक्षा उपाय किय जाते हैं उनमें यह पुरस्कार देने पड़ेंगे। श्रमिकों के काम करने की योग्यता को देख कर उन्हें श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जायेंगे। इससे स्थिति में काफी सुधार होगा।

बम्बई में एक केन्द्रीय श्रम संस्था है तथा मद्रास, कानपुर और कलकत्ते में एक एक क्षेत्रीय श्रम संस्था है। ये संस्थायें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन संस्थाओं के काम में सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा काम करने की अच्छी दशाओं पर बहुत बल दिया जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने संयुक्त प्रबन्ध परिषद् योजना का जिकर किया था। यह योजना 97 औद्योगिक उपक्रमों में चालू है। उनमें से 36 तो सरकारी क्षेत्र में तथा 61 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। यह योजना ठीक नहीं चल रही हैं परन्तु मैं प्रबन्धकों के मन में जो गलतफहमी है उसको दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

श्रमिकों को शिक्षा देने की भी हमारी एक योजना है। इसके लिये 1964–65 में 5 और क्षेत्रीय केन्द्र तथा 15 उप-क्षेत्रीय केन्द्र खोल दिये गये हैं। हमने 87,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया है जब कि पिछले वर्ष 67,000 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया था। श्रमिकों के शिक्षा के संबंध में कई पुस्तिकाय भी प्रकाशित की गई हैं।

अनुशासन संहिता, सुरक्षा तथा संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के बारे में हम ने कई फिल्में भी बनाई हैं। ऐसी और फिल्में बनाने का भी हमारा विचार है क्योंकि इन फिल्मों को देखने से श्रमिकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

अब मैं देश में बेरोजगारी की समस्या पर आता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय के काम को सराहना नहीं की है। उन्होंने शायद इस मंत्रालय के काम को ठीक प्रकार से नहीं

समझा है । इस मंत्रालय का काम नौकरियां पैदा करना नहीं है । इस मंत्रालय का काम तो, जैसे श्री ओझा ने ठीक ही कहा है, देश में जितनी नौकरियां हों उस के लिये नौकरी करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना भेजने का है । हाल ही में नौकरियों की स्थिति में राष्ट्रीय आधार को विस्तृत बनाया गया है । हमारे यहां इस समय 366 रोजगार कार्यालय हैं जिनमें 7 कोयला खान कार्यालय तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 8 विशेष कार्यालय भी सम्मिलित हैं । इन के अतिरिक्त 28 विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो भी हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी भारत आये हैं । हमें इन व्यक्तियों के लिये भी रोजगार की व्यवस्था करनी है । इस लिये हमने मध्य प्रदेश में स्थित माना स्थान पर एक विशेष रोजगार कार्यालय खोल रखा है । आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मनीपुर तथा त्रिपुरा राज्यों में केन्द्रीय सरकार की संस्थानों में नौकरी देने के लिये इन व्यक्तियों को पूर्ववर्तिता दी जाती है । इसी प्रकार पूर्वी अफ्रीका के देशों से भी बहुत से भारतीय वापिस लौट रहेहैं । हम उन को रोजगार देने के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं ।

चालू रजिस्टरों को देखने से पता चलता है कि 24.26 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं और नौकरी करना चाहते हैं । परन्तु ये आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं माने जा सकते क्योंकि कई लोग दो दो बार नाम लिखवा लेते हैं तथा दो दो तथा तीन तीन रोजगार कार्यालयों में नाम लिखवा लेते हैं । तथापि योजना आयोग ने बेरोजगार व्यक्तियों का ठीक-ठीक अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है । उनके अनुसार तीसरी योजना अवधि में अन्त तक 120 लाख व्यक्ति बेरोजगार होंगे तथा चौथी योजना के अन्त तक 230 लाख व्यक्ति बेरोजगार होंगे । इस तरह उनकी कुल संख्या 350 लाख होगी । परन्तु हम चौथी योजना में 200 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे । अत: 150 लाख व्यक्ति बेरोजगार रह जायेंगे ।

शिल्पकारों की प्रशिक्षण योजना बहुत अच्छी तरह से चल रही है । आजकल हमारे पास 95,350 स्थान हैं । केवल पिछले वर्ष हमने 17,150 स्थान बढ़ाये थे । तीसरी योजना के अन्त तक हमारा ध्येय 1,00,000 स्थानों की व्यवस्था करने का है । परन्तु हमें कोटि (क्वालिटी) का भी ध्यान रखना चाहिये । इसके लिये हमने अखिल भारतीय कुशलता प्रतियोग्यता चालू की है । योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार भी दिये जाते हैं तथा अध्ययन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये उन्हें छः महीने की अवधि के लिये अमरीका भेजा जाता है ।

हमने शिक्षु योजना भी चालू की हुई है । आजकल हमारे पास 14,375 शिक्षु हैं ।

औद्योगिक संबंध व्यवस्था (इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी) में काम करने वाले अधिकारियों को कोटि (क्वालिटी) को सुधारने के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था आरम्भ की गई है । इसका ध्येय औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये क्षमता को बढ़ाना है ।

बिजली, कागज, सड़क परिवहन, हथकर्घा तथा फिल्म उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

इंजीनियरिंग उद्योग तथा सड़क परिवहन के लिये औद्योगिक समितियां बनाने की भी मांग की गई है । सरकार इस पर ध्यान देगी ।

विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण करने के लिये एक केन्द्रीय कर्मचारी-वर्ग प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का विचार है ।

प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें कोयला खान मजदूरों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दे सकेगी इसलिये दो खान यंत्रीकरण प्रशिक्षण संस्थायें कोयला खान क्षेत्रों में स्थापित कर दी गई हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कृषि श्रमिकों की दशा का उल्लेख किया था। इस में कोई सन्देह नहीं कि कुछ राज्यों में उनकी न्यूनतम मजूरी बहुत कम है । इसके लिये जैसे मैं पहले कह चुका हूं मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है तथा सभी राज्य सरकारों ने मजूरी दरों में वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है । परन्तु कठिनाई तो यह होती है कि इन दरों को लागू कैसे किया जाये । इसके लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 निरीक्षक नियुक्त किये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 12 निरिक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय कर लिया है । इस समस्या को ठीक तरीके से हल करने के लिये मैं दिल्ली में एक गोष्ठी करने के लिये विचार कर रहा हूं। इस गोष्ठी में मैं सम्बद्ध मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा । तब इस मामले पर अच्छी तरह से विचार किया जायेगा।

अब मैं इस बात का उल्लेख करूंगा कि हमारे सम्मुख कौन से विधेयक हैं। इनमें सब से महत्वपूर्ण है बोनस वाला मामला । मैं यह मानता हूं कि इस विधेयक के प्रस्तुत करने में कुछ देर हो गई है । खैर अब मेरा प्रयास यह होगा कि इसी सत्र में इसे प्रस्तुत करूं ।

दूसरे विधेयक का सम्बन्ध ठेके के श्रमिकों को नियमित करने से है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ पहले यह निर्णय दिया कि कुछ श्रेणियों में ठेके पर लिये श्रमिकों की प्रणाली को समाप्त किया जावे और उसे नियमित कर दिया जावे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ने इस विधेयक का मसौदा तैयार किया है ।

तीसरा विधेयक मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सम्बन्ध मकान बनाने वाले श्रमिकों से है । मेरे विचार में कोई 20 से 30 लाख तक व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं। परन्तु कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अनुसार उनके कार्य करने के घंटों तथा उनके कल्याण के बारे में कुछ दिया जावे। उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये। यह विधेयक, यदि सम्भव हुआ तो इसी वर्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

चौथे विधेयक का सम्बन्ध चलचित्र बनाने वाले उद्योग से है । इस बारे में सरकार के पास बहुत से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं। पांचवे विधेयक का सम्बन्ध बीड़ी उद्योग से है । लगभग 7 लाख श्रमिक इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत गम्भीर है । मेरे विचार एक वर्ष या इस से कुछ अधिक में इस विधेयक को प्रस्तुत कर दूंगा ।

छटे और अन्तिम विधेयक का सम्बन्ध सस्ते दामों की दुकान तथा सहकारी स्टोर खोलने से है । मुझे आशा है कि इस विधेयक को जल्दी ही प्रस्तुत कर दूंगा।

कुछ अधिनियमों में संशोधन भी प्रस्तुत करने का विचार है । वे अधिनियम हैं: औद्योगिक विवाद अधिनियम, कान अधिनियम, कारखाने अधिनियम आदि।

श्रमिकों के कल्याण के लिये तीसरी योजना में कुल 10 करोड़ रुपया निर्धारित था। इसके अतिरिक्त कुछ और कोष हैं जिससे रुपया इस कार्य में लगाया गया । ऐसे ही चौथी योजना में यद्यपि हम ने 10 करोड़ रुपया निर्धारित किया हुआ है परन्तु दूसरे कोषों से कुछ लेकर इस पर 25 करोड़ रुपया व्यय होगा और कुल रकम इस पर चौथी योजना में 35 करोड़ रुपया व्यय होगा ।

जहां तक महंगाई भत्ते के निर्वाद-व्यय देशनांक से सम्बन्ध है, इस पर निर्णय ले लिया गया है। अब 1960 को आधार मानने लगे हैं।

पिछले वर्ष जब इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही थी तो मैं ने कहा था कि मैं एक विशेष विभाग, जिसका सम्बन्ध समाज कल्याण से होगा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में खोलूंगा, परन्तु अब तो एक अलग मंत्रालय ही सामाजिक सुरक्षा का खुल गया है ।

श्री अ० प्र० शर्मा ने सरकारी क्षेत्र में मालिकों के रवैये के बारे में कहा है । मैं उन्हें कहूंगा कि श्रम मंत्रालय ने इस दिशा में काफी कुछ किया है । इस बारे में परामर्श देने के लिए एक अपर सचिव है जो सरकारी क्षेत्र के कारखानों को अपने परामर्श देता है। फिर भी श्री शर्मा के सुझाव का अध्ययन किया जावेगा। श्रीमती रेणुका बड़कटकी ने एक यह सुझाव दिया कि बागान के श्रमिकों की सहकारी समितियां बनाई जावें ताकि वे बागानों के मालिक बन सकें जैसे कि मलेशिया में होता है। हम इसकी पड़ताल करेंगे। ऐसे ही उन्होंने यह सुझाव दिया कि आसाम के लोगों को जब भी उस क्षेत्र में कारखाना खोला जावे तो रोजगार मिलना चाहिये। भारत सरकार ने यह निर्णय किया हुआ है कि जब भी किसी क्षेत्र में कारखाना खोला जावे तो स्थानी लोगों को 500--600 रुपये तक के रोजगार सुरक्षित रखे जावें परन्तु इस से ऊपर के वेतन पाने वाले केवल गुणों के आधार पर लिये जावे और यह सारे देश के लोगों के लिए होने चाहियें ।

एक सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि एक वेतन बोर्ड छोटी इलायची उद्योग के लिए स्थापित किया जावे। केन्द्रीय मामले में यह नहीं हो सकता। ऐसे ही एक सुझाव खेतीहर श्रमिकों को अधिक सुविधा देने की बात है । यह तो दूसरे मंत्रालय का कार्य है। श्री काशी नाथ पांडे और श्री सिंहासन सिंह ने गोरखपुर लेबर डिपो का जिक्र किया। सरकार ने इस डिपो को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और इसका अध्ययन करके माननीय सदस्यों को बता दूंगा ?

बोनस आयोग की सिफारिशों के बारे में श्री काशीनाथ पांडे ने ठीक ही कहा है कि 45 लाख श्रमिकों को यह मिलेगा जिन्हें पहले नहीं मिलता था। श्रीमती रामदुलारी सिन्हा ने खेतीहर मजदूर और उन स्त्रियों का जिक्र किया जो वहां काम करती हैं । इसको जांचे बिना मैं कोई सीधा उत्तर नहीं दूंगा। श्री विद्यालंकार जी ने कहा है कि वेतन बोर्ड बहुत समय लगाते है । यदि वे कोई सरल तरीका बतावें तो मैं उसका स्वागत करूंगा। उन्होंने आपातकालीन उत्पादक परिषदों का उल्लेख किया। पिछले वर्ष उनकी संख्या 1600 थी और इस वर्ष 2,000 है ।

एक मांग यह आई है कि चलचित्र उद्योग के लिए एक वेतन बोर्ड बनाया जावे और इस पर विचार हो रहा है।

अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं ये बता दूं कि मैं 1965–66 में क्या करूंगा। एक तो मैं ने यह निर्णय किया है कि दो केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण नियुक्त किये जावें। उन में से एक तो जबलपुर में हो और दूसरा कलकत्ता में हो।

हमारे पास बहुत सी समाज कल्याण की योजनायें हैं और इन योजनाओं को जांचने लिये एक समिति नियुक्त की जावे जो यह जांचे कि यह कैसा कार्य कर रही हैं। मैं वह समिति नियुक्त करने की सोच रहा हूं। जहां तक न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करने का प्रश्न है, न केवल कृषि मज़दूरों के लिये बल्कि उद्योगों के लिये भी, यह शिकायत है कि वे बहुत पहले नियुक्त किये गये थे और कहीं कहीं तो वे 1956, 1957 में निर्धारित किये गये थे। मैंने सोचा कि अपने मंत्रालय के एक अधिकारी को इस कार्य के लिये नियुक्त किया जावे ताकि इस पर शीघ्र कार्य हो।

कुछ कल्याण कारी योजनायें है। मैं चाहता हूं कि कुछ सदस्यों को संसद् कार्य मंत्री के द्वारा आमंत्रित करने और वे स्वयं फिर हमारी कुछ संस्थाओं को देखें जैसे कि श्रमिकों के शिक्षा केन्द्र, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थायें और केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय श्रम संस्थायें। एक माननीय सदस्य ने भारत में औद्योगिक कल्याण समाज की स्थापना के बारे में कहा है। मैं इस पर विचार करने की सोच रहा हूं और बाद में निर्णय लूंगा।

वैसे तो मैं ने जितने प्रश्न उठे उनका उत्तर देने का प्रयास किया है फिर भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दूसरे प्रश्नों का भी मैं अपने मंत्रालय में अध्ययन करवाऊंगा और उनके उत्तर सदस्यों के पास भेज दिये जावेंगे। वैसे मैं यह अनुभव करता हूं कि श्रमिकों का कल्याण हमारे प्रधान मंत्री के हाथों में सुरक्षित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Demands in respect of Ministry of Labour and Employment were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
75	श्रम और रोजगार मन्त्रालय	24,97,000
76	खानों का मुख्य निरीक्षक	34,09,000
77	श्रम और रोजगार	11,24,35,000
78	श्रम और रोज़गार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,27,000
137	श्रम और रोज़गार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,85,000

भारतीय वायु सेना के डकोटा की दुर्घटना

ACCIDENT OF IAF DAKOTA

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : महोदय, मुझे यह बताते हुए दुःख होता है कि भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान की कल दुर्घटना हो गई। उस विमान में 4 अधिकारी तथा 5 अन्य कर्मचारी थे जो हवाई डाक ले जाते हैं। यह विमान मोकोक चंग क्षेत्र में सम्भरण डालने का कार्य कर रहा था। सवेरे 10.51 बजे इस से कहा गया कि वह दिमापुर मुड़ जावे क्योंकि जोरहट में उस समय अचानक तूफान आ गया। मुड़ने के समाचार की अभिस्वीकृति तो दे दी परन्तु उसके थोड़े पश्चात् उस विमान से सारे संचार सम्बन्ध टूट गये।

विमान का टूटे हुए ढ़ेर सैनिक दस्ते को मिला और अब तक ढ़ेर में से 6 लाशें मिली हैं। जो व्यक्ति इस दुर्घटना में मरे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

वायु चालकवृन्द (एयर क्रयूज)

1. फ्लाईंग ऑफिसर के० कन्नन
2. पॉइलट ऑफिसर एस० भार्गवा
3. फ्लाईंग ऑफिसर के० बी० सर्मा
4. फ्लाईंग ऑफिसर बी० एस० धालीवाल

निष्कासन चालकवृन्द (हजैकशन क्रयूज)

5. सिपाही कुन्दन सिंह
6. सिपाही चोरी रमानी पटनी
7. सिपाही लेख राज
8. सिपाही राम गोविन्द राय
9. सिपाही रामजी

मुझे विश्वास है कि सदन मृतकों के परिवारों को सवेदना संदेश भेजने में मेरे साथ है। एक जांच न्यायालय, सामान्य तरह के अनुसार दुर्घटना स्थल के लिये रवाना हो गया है ताकि दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा सके। यथा सम्भव सहायता तथा वित्तीय सहायता शीघ्राति शीघ्र मृतकों के परिवार वालों के पास भेजी जावेगी।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस बात का पता लगाया जावे कि यह तोड़ फोड़ के कारण नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सभा की ओर से शोक संदेश दुःखी परिवारों को भेज दिये जावेंगे। यह सारे सदस्यों की इच्छा है। जैसा श्री शर्मा जी ने कहा, यह भी जांच की जावे कि यह तोड़ फोड़ का परिणाम तो नहीं है।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS

परिवहन मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : सदन अब परिवहन मंत्रालय की मांगों को चर्चा तथा मतदान के लिये लेगा जिसके लिये 5 घंटे निर्धारित किये गये हैं।

वर्ष १९६५-६६ के लिये परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
89	परिवहन मंत्रालय	95,57,000
90	केन्द्रीय सड़क निधि	3,67,58,000
91	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	9,49,22,000
92	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	1,26,87,000
93	प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत	97,13,000
94	परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,50,64,000
141	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	55,36,90,000
142	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	7,50,25,000
143	परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,17,73,000

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष 23 मार्च को मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि परिवहन की क्षमता देश में कम है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*

मैं ने इस बात को भी चुनौती दी थी कि रेलों में क्षमता अधिक है। वेगनों की कमी के कारण हमारे कोयला के उद्योग को क्षति पहुंच रही है। और इस बात का उल्लेख 2 अप्रैल 1965 के "फाईनेनशल एक्सप्रेस" में दिया गया भी है।

[श्री मी० रु० मसानी]

कल ही मुझे निर्वाचन क्षेत्र से समाचार मिला है कि वहां नमक पड़ा हुआ है और रेलें उन्हें भेजने के लिये वेगन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही सड़कों को अब भी रेलों के बाद तरजीह दी जाती है। यह हमारी योजना प्रणाली के नाम पर झूठ है। वैसे तो हम टेकनालोजी की बात करते हैं परन्तु हम कार्य में अब भी रूढ़ीवादी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में मिलाकर रेल द्वारा परिवहन 24 प्रतिशत कम हो गया है और सड़कों द्वारा बढ़ गया है।

तीसरी योजना में केवल इसके लिये 454 करोड़ रुपया दिया गया और दूसरी योजना में 272 करोड़ रुपया दिया गया। सड़कों के लिये हम केवल $\frac{1}{4}$ उस भाग का देते हैं जो आय हमको इस से होती है। यही कारण है कि हमारी सड़क बनाने का कार्य ऐसी बुरी स्थिति में है। विदर्भ में कुछ पुलों को पार करने के लिये ट्रकों में से आधा सामान उतारना पड़ता है।

बहुत सी सड़क योजनाओं में बहुत धीमी प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 पर कलकत्ता से सप्तग्राम तक 25 मील की बाहरी सड़क पर केवल 15 प्रतिशत प्रगति हुई है। इसी प्रकर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 के घोदबुन्देर–मनोरी सैक्शन पर जितनी प्रगति होने की आशा थी उस के विपरीत केवल 16 प्रतितश प्रगति हुई है। आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं ?

चौथी योजना अवधि में सड़कों के लिये 750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। मुख्य इंजीनियरों ने इस अवधि के लिये 1,065 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की थी और हाल ही में उन के अपने मंत्रालय के कार्यकारी दल ने 1,150 करोड़ रुपये आवंटित करने की सिफारिश की है। मुझे पता चला है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद् की परिवहन तथा उद्योग सम्बन्धी उपसमिति ने भी यही कहा है कि यह राशि अपर्याप्त है।

दूसरी ओर वर्ष प्रति वर्ष सड़कों पर अधिक कर लगाये जा रहे हैं। 1965–66 में केन्द्र तथा राज्यों को सड़क परिवहन से 317 करोड़ रुपये करों के रूप में मिलेंगे। इसलिये मेरे विचार से यदि सड़क परिवहन से न्याय करना है तो इस 750 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि को कम से कम दुगना कर दिया जाना चाहिये।

हम सदा यही कहते रहते हैं कि कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। परन्तु कृषि को कैसे लाभ पहुंच सकता है यदि देश की सड़क परिवहन पद्धति ही ठीक न हो। प्रधान मंत्री प्रायः शीघ्र लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं की बात करते रहते हैं। क्या सड़कों सम्बन्धी परियोजनायें शीघ्र लाभ पहुंचाने वाली नहीं हो सकती। क्या जो धन हम उन पर व्यय करते हैं उस से शीघ्र ही हमें लाभ नहीं मिलना आरम्भ हो जाता ? इस लिये में मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह आवंटन किस आधार पर किया गया है।

यह ऐसा विषय है जिस का सम्बन्ध अधिकतर उद्योग मंत्रालय से है। देश में मोटर-गाड़ी उद्योग का विकास दो कारणों से रोक दिया गया है। एक तो यह है कि कारों, टायरों तथा पुर्जों पर उत्पादन शुल्क तथा आयात शुल्क बहुत अधिक हैं और दूसरा यह है कि अत्यावश्यक पुर्जों को आयात करने के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा नहीं दी जाती है।

मोटरगाड़ी उद्योग को विलास की वस्तु समझना गलत है । यह किसी देश के आर्थिक ढांचे की बुनियाद है । केवल ट्रक ही नहीं पर्यटन कारें भी आवश्यकता की वस्तुयें हैं न कि विलास की । पर्यटकों को तो छोड़िये ट्रकों के निर्माण में भी कोई प्रगति नहीं हो रही है । 1964 में 41,000 ट्रक निर्माण करने का लक्ष्य था जबकि केवल 33,000 ट्रक ही बनाये गये । इस का कारण यह था कि ट्रक-निर्माताओं को कच्चे माल तथा आयात किये जाने वाले पुर्जे आवश्यकता के अनुसार नहीं दिये गये थे । चौथी योजना के अन्त तक हमें 120,000 वाणिज्यिक गाड़ियों की आवश्यकता होगी तो में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे ।

ट्रकों तथा मोटरगाड़ियों के इतना अधिक मूल्य होने के लिये भी सरकार ही उत्तर-दायी है । परन्तु विधि की विडम्बना तो यह है कि मंत्री महोदय इस सभा में आ कर यह कहते हैं कि यह निर्माताओं का ही दोष है । इस से तो हमें पुरानी लोकोक्ति याद आ जाती है कि "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे"

इस के लिये कारों तथा ट्रकों पर जो रोक लगाई गई है उस को हटाया जाना चाहिये तथा अधिक लोगों को इन के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए । जिस से इन के मूल्य कम हो सकें ।

जब नवम्बर 1962 में चीन ने आक्रमण किया था तो आसाम में केन्द्रीय सड़क परि-वहन संगठन स्थापित किया गया था । इस संगठन को आसाम में प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया था । परन्तु अब इस छोटे से संगठन को सीमित कम्पनी या निगम में बदल दिया गया है । इस का प्रतिरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें आश्वासन दें कि सरकार का यह परिवहन संगठन सरकार की असैनिक तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के वाहन का ही कार्य करेगा और सामान्य बाजार में किराये पर वस्तुओं के वहन में भाग नहीं लेगा ।

ब्रिटेन में भी सरकार ने माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न किया था। तब हर एक मध्य दर्जे के उद्यमकर्त्ता ने अपने ट्रकों आदि को लोक वाहकों में बदल लिया था । यदि हम भी राष्ट्रीयकरण करने जायेंगे तो यही चीज यहां भी होगी । हमें यहां ऐसा नहीं करना चाहिये । मैं तो दूसरी ओर यह सुझाव दूंगा कि छोटे उद्यमकर्त्ताओं को, जिन के पास एक, दो या पांच बसें हैं, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ।

मार्ग परिवहन पुनर्गठन समिति ने संसद् तथा सरकार को अपना प्रतिवेदन 1960 में प्रस्तुत किया था । तब इस सभा ने एक मत हो कर उस की सारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था । परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ एक सिफारिशों को छोड़ कर कोई सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं ।

नियोगी समिति की नियुक्ति करना भी एक भूल ही थी । उस के सभापति ने पदत्याग कर दिया है और उस का अभी तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ है ।

[श्री मी० रू० मसानी]

इस वर्ष के आयव्ययक से भी सड़कों या सड़क परिवहन को कोई राहत नहीं मिली है । हमें आशा थी कि परिवहन मंत्रालय इन समस्याओं को देखते हुए अपना पूरा जोर लगायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ । और भी दुख की बात तो यह है कि मोटरगाड़ियों पर तो पहले ही कर लगे हुए थे परन्तु अब टायरों पर अधिक कर लगा दिये गये हैं । जिस से कारों की और भी अधिक कीमतें हो जायेंगी ।

यह बड़े दुख की बात है कि मार्ग परिवहन पुनर्गठन समिति ने एकसूत्री कराधान की जो सिफारिश की थी उस को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस समिति ने चुंगी को हटाने की भी सिफारिश की थी । परन्तु कुछ ही दिन पूर्व हम ने समाचार पत्रों में पड़ा था कि बम्बई नगर निगम को चुंगी लगाने की अनुमति दी गई है । इस का परिणाम यह होगा कि वहां पर सड़क यातायात में अनुमानतः 30 प्रतिशत कमी हो जायेगी । हम निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं परन्तु चुंगी लगने से उस को धक्का पहुंचेगा ।

ऐसा विचार है कि परिवहन मंत्री ने सड़क परिवहन के मसले के बारे में रेलवे मंत्री से बातचीत की होगी । हमारे वर्तमान रेलवे मंत्री सड़क परिवहन विकास में बहुत रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं । उन्होंने यह कहा है कि जब तक वे रेलवे मंत्री हैं वे सड़क परिवहन के विकास के अहित में कोई बात नहीं करेंगे । मैं अपने माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें बतायें कि उन्होंने रेलवे मंत्री, श्री पाटिल, से क्या क्या मांगें की हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन में से कितनी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है तथा कितनी अस्वीकृत हुई हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत अच्छा अवसर है जब कि इतने अच्छे व्यक्ति रेलवे मंत्री लगे हुए हैं जो कि सड़क परिवहन की समस्याओं को भली प्रकार से समझते हैं । इस लिये परिवहन मंत्रालय को अपनी मांगों को उन को भली प्रकार समस्या का उन से उन्हें स्वीकृत करवाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

अब मैं पर्यटन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पर्यटन का इस देश के अन्दर बहुत महत्व है । अन्य चीजों के अतिरिक्त इस से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है । और विदेशी मुद्रा की हमें बहुत आवश्यकता है ।

देश में आज पर्यटन की क्या स्थिति है । 1964 में केवल 156,000 पर्यटक भारत आये थे । यह दूसरे देशों की संख्या की तुलना में कोई अधिक संख्या नहीं है । इस में देखने की बात तो यह है कि बहुत से पर्यटक संयुक्त राज्य अमरीका, केनाडा, पश्चिमी यूरोप, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जसे दूर देशों से आये थे । एशिया के देशों में से केवल जापान से ही पर्यटक आये थे । जो लोग दूर के देशों से आते हैं उन्हें आने में काफी धन व्यय करना पड़ता है । इन पर्यटकों ने भारत में लगभग 23 करोड़ रुपये व्यय किये । दूसरे शब्दों में हमें यह कहना चाहिये कि हमें 23 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुई । यह कोई छोटी रकम नहीं है । यदि हम अपना काम ध्यानपूवक करें तो छः या सात गुना पर्यटक भारत में आ सकते हैं ।

भारत में विदेशी पर्यटकों के अधिक संख्या में न आने के विभिन्न कारण हैं । उनमें सबसे पहला कारण यह है कि हम ने अपने लोगों पर विदेशों में यात्रा करने के लिये रोक लगा रखी है । ऐसी रोक

से कोई लाभ नहीं होता है बल्कि इस से विदेशी पर्यटक भारत में कम संख्या में आते हैं क्योंकि सभी मानवीय सम्बन्ध परस्पर आधार पर होते हैं ।

इस के अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं जिस से विदेशी पर्यटकों के अधिक संख्या में भारत आने में बाधा होती है। वे हैं विमानों की कमी, अच्छे होटलों की कमी, लम्बी यात्रा के लिये अच्छी मोटरों का पर्याप्त संख्या में न होना आदि। विदेशी पर्यटकों को कैमरा फिल्म, खनिज जल तथा मदिरा के लिये परमिट लेने में भी कठिनाई होतीं है ।

हवाई अड्डों पर भी प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं है। जब मैं यह कहता हूं तो मैं कर्मचारियों को दोष नहीं दे रहा हूं। मेरी उन के साथ कई बार भेंट हुई है, वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। परन्तु वे नियमों में बंधे हुए हैं ।

इसलिये हवाई अड्डों पर लोगों का स्वागत करने के लिये हमें बहुत कुछ और करना है। हमें सीमा शुल्क के बारे में भी और सुविधायें प्रदान करनी है ।

कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य बड़े बड़े नगरों में जब लोग हवाई अड्डों से उतर कर कार द्वारा नगर के भीतर जाते हैं तो गन्दगी, अस्वच्छता की दशा तथा गन्दी बस्तियां दिखाई देती हैं। यह अच्छी चीज नहीं है ।

इस दिशा में सुधार करने के लिये कुछ उपाय किये जाने चाहिये। विदेशों में प्रचार करने के लिये हमारे पास पर्याप्त निधि होनी चाहिये। एयर इंडिया तथा पर्यटक विभाग के विज्ञापनों के लिये भी पर्याप्त धन होना चाहिये ।

मैं भारतीय पर्यटन निगम का स्वागत करता हूं। मेरे विचार से उस निगम के निर्देश पद उपयुक्त हैं। मुझे विश्वास है कि निगम यात्रा एजेंट के रूप में काम नहीं करेंगी। इस को ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिस से विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में भारत आना चाहें।

हमें भारत में अधिक "चार्टर" उड़ानों को प्रोत्साहन देना चाहिये। अधिक विमानों को प्राप्त करने के लिये आई० ए० सी० को अधिक धन दिया जाना चाहिये। आई० ए० सी० प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाती है। इसलिये उन्हें कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपये अधिक विमानों को प्राप्त करने के लिये दिये जाने चाहिये ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि देश में होटलों की कमी है परन्तु होटल चलाना सरकार का काम नहीं है। मैं होटल निगम की स्थापना का भी विरोध करता हूं। इसलिये सरकार को उन व्यक्तियों को होटल बनाने का अवसर देना चाहिये जो होटल बनाना चाहते हैं। परन्तु होता यह है कि बजाये इस के उनको प्रोत्साहन दिया जाये उनके रास्ते में कठिनाइयां पैदा की जाती हैं। फोर्ट-एरिया, बम्बई व नई दिल्ली आदि स्थानों में भूमि की मालिक सरकार होती है परन्तु जब लोग होटल बनाने के लिये भूमि लेने के लिये उनके पास जाते हैं तो उन के रास्ते में कई कठिनाइयां पैदा की जाती हैं ।

मैं यह भी मानता हूं कि एयर इंडिया तथा पर्यटक विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं विदेशों में बहुत बार जाता रहता हूं और मैंने भारतीय पर्यटक कार्यालय के बारे में विदेशों में काम की सराहना ही करते लोगों को सुना है ।

[श्री मी० रू०मसानी]

मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पर्यटन के महा-निदेशक का विदेशों में आदर किया जाता है। मुझे यह भी पता चला है कि उन्हें प्रशान्त क्षेत्र यातायात समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। परन्तु इस समस्या को केवल एक ही व्यक्ति या एक ही विभाग हल नहीं कर सकता। यह राष्ट्रीय समस्या है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। विदेशी मुद्रा कमाने के लिये यह तीसरा या चौथा सबसे बड़ा साधन है परन्तु इस को प्राथमिकता बीसवें दर्जे पर भी नहीं दी जाती।

आज के समाचारपत्र में किसी ने सुझाव दिया है कि चूंकि पर्यटन विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है इसलिये इस को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय के अधिकार में दे दिया जाये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाये तो हमें 23 करोड़ की बजाये 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।

परिवहन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
89	1	श्री मी० रु० मसानी	प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना में और चालू वर्ष के बजट में सड़कों के विकास के लिये पर्याप्त धन न रखा जाना।	100
89	2	श्री मी० रु० मसानी	बार-बार आश्वासनों के बावजूद सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति, 1959 की सिफारिशों को कार्यान्वित न करना।	100
89	3	श्री मी० रु० मसानी	मल परिवहन के क्षेत्र में उतर कर माल परिवहन के राष्ट्रीयकरण का अधिस्थगन (मोराटोरियम) समाप्त करने की सरकार की धमकी से सड़क परिवहन के विकास को खतरा।	100
89	4	श्री मी० रु० मसानी	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात की अत्यधिक संभावनाओं की उपेक्षा।	100
89	21	श्री बड़े	मध्य प्रदेश में महेश्वर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास न करना।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
89	22	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	परादीप बन्दरगाह को केन्द्रीय परियोजना के रूप में अपने हाथ में लेने में विलम्ब।	100
91	23	श्री बड़े	ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिये मध्य प्रदेश को अधिक धन देने की आवश्यकता ।	100
141	24	श्री बड़े	आगरा-बम्बई सड़क पर खालघाट के निकट नर्मदा नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता ।	100
141	25	श्री बड़े	धमनोद से सेंधवा तक आगरा-बम्बई सड़क को चौड़ी करने की आवश्यकता।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मुझे राजस्थान के सीमान्त क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। वहां पांच सीमान्त जिले हैं परन्तु वहां कोई सीमान्त सड़क नहीं है । हमारे जवान बाहर की चौकियों में गये हुए हैं परन्तु उनके लिये कोई संचार व्यवस्था नहीं हैं। मेरे विचार से यह काम प्रतिरक्षा मंत्रालय का नहीं हैं। यह काम तो इसी मंत्रालय का है कि वह सीमा पर सड़कों को बनवाये। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि देश को कभी भी संकट का सामना करना पड़ सकता है इसलिये वह इस बारे में शीघ्र उपाय करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 15 अप्रैल, 1965/25 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 15th April, 1965/Chaitra 25, 1887 (Saka)

GMGIPND—LSIII--687(Ai)LS—22-7-65—600